हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

03-09-2024/1100/ए.जी.-एन.जी/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए।)

प्रश्न संख्या - 1516 (स्थगित)

श्री विपिन सिंह परमार : उपस्थित नहीं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हुए।)

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या - 1937 ...(व्यवधान)

(विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा व कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने **अपने-अपने स्थान** पर खड़े होकर **माननीय अध्यक्ष** से **अपनी बात रखने की अनुमति** मांगी।)

अध्यक्ष : प्रश्न काल चल रहा है। ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने प्रश्न कॉल कर दिया है और इसका जवाब आने दीजिए। ...(व्यवधान) इसका जवाब आने दो, when it will be a terminating period, मैं आपको समय दूंगा। माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। ...(व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

03-09-2024/1100/ए.जी.-एन.जी/2

प्रश्न संख्या - 1937

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बढेड़ा राजपूता, घनारी व रामनगर के साइंस ब्लॉक व आर्ट्स ब्लॉक के भवनों का कार्य पिछले 7 वर्षों से लम्बित पड़ा

है। इन स्कूलों के भवनों का शिलान्यास हमारी पूर्व सरकार के समय में हुआ था और पूर्व भाजपा सरकार ने इसमें कोई कार्य नहीं किया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इन पर जो थोड़े पैसे लगने हैं उन्हें लगाकर इनके निर्माण को कब तक पूर्ण करेंगे?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री राकेश कालिया जी इस माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम दोनों वर्ष 2003 में प्रथम बार इलैक्ट हुए थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय श्री रोहित ठाकुर का माइक ऑन करो।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्कूलों के भवन निर्माण के लिए बजट से संबंधित बात कही है। इनमें से एक स्कूल के भवन का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और इसके लिए विभाग के पास प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन के अनुसार पूरे फण्ड्स उपलब्ध हैं। **इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घनारी के तीन भवनों का निर्माण किया जाना है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर बजट का आवंटन किया जाएगा ताकि शीघ्रातिशीघ्र तीनों भवनों का निर्माण पूर्ण हो सके।**

प्रश्न समाप्त/-

Speaker : Please take your seats (to BJP Members). माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

03-09-2024/1100/ए.जी.-एन.जी/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इनकी सारी बातें को सुना जाए। मैं चाहूंगा कि आप (विपक्ष) अपनी बात को रखें और

जब अपनी बात को रखते हैं तो उसका उत्तर भी सुन कर जाएं। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1105/केएस/एजी/1

व्यवस्था का प्रश्न

संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करुंगा कि प्रश्न काल के बाद ये अपनी बात रख लें। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मन्शा है कि यह सदन सुचारू रूप से चले और विपक्ष के माननीय विधायक भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अभी हमने आपके चैम्बर में भी आपसे चर्चा की है, हम चाहेंगे कि सदन चले और गतिरोध खत्म हो। विपक्ष के साथियों ने भी आपके सामने अपनी बात रखी है। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करुंगा कि आप इनकी बात सुन लें।

Speaker: Anyway, this is an exceptional circumstance whereby I am allowing the Opposition Members and the Leader of the Opposition to what is the viewpoint. What you want to say? If something irrelevant then I may reject it. So please-please be very cautious about your words and whatever you want to say.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में पहली बार इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी है। आज ही बनी, अबकी ही बार बनी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। दोनों पक्ष की ओर से जब इस बात को ले कर सहमति बनती है कि सदन चलना चाहिए, रास्ता निकालिए तो प्रश्नकाल शुरू होने से पहले भी, हालांकि नियम इजाज़त नहीं देते लेकिन उसके बावजूद इस माननीय सदन में यह परम्परा रही है कि ये सारी बाते होती रही हैं। इसीलिए हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि आज के हालात में सदन के संचालन से सम्बन्धित कोई सामान्य परिस्थिति नहीं जो हम इस माननीय सदन में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सब ठीक चल रहा था लेकिन जहां खराबी आई, उस सारी बात को ले कर सिर्फ विपक्ष को ही इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह किसी भी सूरत में उचित नहीं है। हमारे दो-तीन विषय थे जिनमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि नियम-67 के अंतर्गत जो हमने चर्चा दी थी कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जब पहली तारीख़ को सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई। इसका अभिप्राय यह है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट बहुत गम्भीर हो गया है। जब आर्थिक संकट गम्भीर हुआ है, यह सदन चल रहा है तो सदन को भी उस विषय पर गम्भीर होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा गम्भीर विषय कोई हो ही नहीं सकता। जब

03.09.2024/1105/केएस/एजी/2

प्रदेश सरकार के ऐसे हालात बन गए कि कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं दे पा रही है तो हमने क्या गलत किया कि हमने नियम-67 के अंतर्गत इस पर चर्चा चाही? मुझे नहीं लगता कि नियमों का कहीं उल्लंघन हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया हो। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख़ में इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय हो सकता है लेकिन उसकी भी हमें इजाज़त नहीं दी गई।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से आपसे हमारा किस बात का झगड़ा है? है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए लेकिन हमारे एक माननीय सदस्य ने एक विषय उठाया कि आपने कहीं बोला होगा, ठीक है राजनीतिक परिवेश में जब एक माहौल में हम बैठते हैं तो जोश में बातें हो जाती हैं। उत्साहित हो कर आदमी बोल देता है लेकिन उनका केवल इतना ही कहना था कि उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। भावना आहत हुई है तो उस विषय पर भले ही आप सदन के अंदर नहीं लेकिन आप इतना कह देते कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। यह पहली बार नहीं हुआ, मुझे भी इस विधान सभा के अंदर 28 साल का समय हो गया है। हमने गंगू राम मुसाफिर जी, ठाकुर गुलाब सिंह जी, तुलसी राम जी, बी.बी.बुटेल जी, डॉ0 राजीव बिंदल जी और श्री विपिन सिंह परमार जी को अध्यक्ष के रूप में यहां पर देखा है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा सारी चीजों को ले कर कह दिया जाता है। सभी माननीय अध्यक्ष महोदयों ने कई जगह खेद व्यक्त किया है, शब्द वापिस लिए हैं, हम तो शब्द वापिस करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं।

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी--

03.09.2024/1110/av/as/1

श्री जय राम ठाकुर-------- जारी

हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमारे माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं। यहां पर माननीय सदस्य ने कहा कि हम विधायक हैं और आपके कुलीग हैं। कुलीग के बारे में जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। आप केवल इतना ही कह देते कि मेरी इस प्रकार की मंशा नहीं थी। मैं जानता हूं कि इस प्रकार के राजनीतिक माहौल में कई बार बात करते-करते ऊंच-नीच हो ही जाती है और यह सच्चाई भी है क्योंकि एक दोहे में भी कहा गया है कि :-

रहिमन जिह्वा बावरी, कहि गई सरग पताल
आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल

मेरे कहने का मतलब है कि इस जीभ के कारण कई बार हमें भी झेलना पड़ता है। यह विषय सिर्फ इतना-सा था, मगर आपने इस सदन के अंदर हमारी तरफ देखना ही बंद कर दिया। अगर हमने आपसे बात करना चाहा तो आपने हमें सुनना बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त आपने जो मीडिया को अड्रैस किया, उससे तो हमारी भावनाएं और भी ज्यादा आहत हुईं। आपने कहा कि ये जूनियर है या सीनियर है तथा रूल्ज के बारे में नेता प्रतिपक्ष को कुछ पता नहीं है। परंतु मैं इन सारी चीजों पर नहीं जाना चाहता। इस विधान सभा के अंदर जूनियर-सीनियर का तो कोई विषय ही नहीं होता क्योंकि यहां पर सभी सदस्य एक ही व्यवस्था के अनुरूप आते हैं। फिर इन दोनों विषयों को क्लब करके आखिरकार हमने पिछले कल नियम के अनुसार लिखित रूप में दिया। हमारे पास जब कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा तो हम ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे। ...(व्यवधान) नहीं, हमने रूल्ज के मुताबिक किया है और नियम-274 के अनुसार दिया है। अगर एथिक्स की बात की जाए तो आपको उस सारे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था। परंतु आपने वैसा नहीं किया और उसके बाद हमारे सभी विधायकों का यह एकमत बना कि जब सब कुछ एकतरफा ही हो रहा है तो हमें सदन के अंदर अपनी भूमिका को तय करना पड़ा। हमारी भूमिका बिल्कुल

स्पष्ट है। कोई भी प्रस्ताव पक्ष की तरफ से रखा जाता है, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने निंदा प्रस्ताव रखा। यहां पर कोई भी मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री जब किसी प्रस्ताव को रखते हैं तो वह प्रस्ताव केवल पक्ष का नहीं होता है बल्कि पूरे सदन का होता है। उस पर सदन के

03.09.2024/1110/av/as/2

अंदर 68 में से कोई भी सदस्य बोल सकता है। लेकिन आपने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी और हां-की-हां कर दी। ठीक है, आप हां-की-हां बाद में भी कर सकते थे लेकिन हमें अपना पक्ष रखने का अधिकार तो मिलना चाहिए था जोकि नहीं मिला। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार-बार हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि इस सदन के अंदर जो भी हालात पैदा हो, उनको ठीक करने की दिशा में आपकी और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से पहल होनी चाहिए। हम सदन में उठने वाले मुद्दों की गंभीरता को समझते हैं। यहां पर जिस प्रकार से हमारी अनुपस्थिति में कहा जा रहा था कि हम सदन में बैठना नहीं चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन में कोई भी चर्चा चाहे प्रश्न है या किसी दिन के लिए निर्धारित बिजनैस में जो भी हो, वह सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो विवश होकर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ीं। सदन के अंदर अगर सारी चीजों का ठीक से संचालन करना है तो मुख्य मंत्री जी के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, आप भी सारे विषयों का संज्ञान लेकर जिनके कारण हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, अपनी बात कहें।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1115/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
व्यवस्था का प्रश्न .... जारी

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी ने कुछ बातें ठीक कही है और कुछ बातें ठीक नहीं कही है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह सदन चलें और

आप भी ऐसा ही चाहते हैं। सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसलिए 10 दिन का सत्र रखा है ताकि प्रदेश के जो मुद्दे हैं यानी माननीय सदस्यों के जो मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चा हों और सरकार उनका जवाब दें। मैं श्री जय राम ठाकुर जी की बात को काटना नहीं चाहता हूं। इन्होंने कुछ तथ्य सदन में रखे हैं। इन्होंने कहा कि पिछले कल मैं नियम-67 के बारे में कहना चाह राह था लेकिन ये तो उस पर बोलने के लिए खड़े ही नहीं हुए। परमार साहब ने कहा और उनका अटैक आप (अध्यक्ष महोदय) पर था। He never mentioned, जो इन्होंने नियम-67 के तहत विषय दिया, वह इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। यह अलग बात है कि उसके लिए आपने अलाउ नहीं किया लेकिन इन्होंने नियम-67 के तहत दिए गए प्रस्ताव को मेंशन ही नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि जब आपने नियम-67 के तहत प्रस्ताव दिया तो मैंने उसके बारे में मुख्य मंत्री जी से चर्चा की और उन्होंने माना कि हम आपके नियम-67 के प्रस्ताव को मान लेंगे और सारी कार्यवाही को स्थगित करके सदन में चर्चा करेंगे लेकिन आपने उसके बारे में चर्चा ही नहीं की। आपका अटैक अध्यक्ष महोदय पर था। ...(व्यवधान)

Speaker : Please, sit down. I will allow everybody.

03.09.2024/1115/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जय राम ठाकुर जी की बात से सहमत नहीं हूं कि कल इनका एजेंडा सदन में नहीं लगा। यह मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि नियम-130 के तहत बाढ़ आपदा पर श्री जय राम ठाकुर जी की चर्चा लगी थी। इन्होंने कहा कि हमने नियम-67 के तहत लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय लाना है उसको आपने नियम-130 के तहत चर्चा हेतु लगा दिया। अभी तक नियम-61, 62 और नियम-63 के 10 विषय लग चुके हैं जिनमें से 8 रेज्योल्यूशन भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं। ...(व्यवधान)... मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह कहना कि माननीय सदन में आपके विषय नहीं लग रहे हैं, यह तथ्य पर आधारित नहीं है। आपके विषय चर्चा हेतु लग रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मुझे कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने भी कहा कि हमारे प्रश्न नहीं लग रहे है, हमारे विषय चर्चा हेतु नहीं लग रहे हैं लेकिन मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाउंगा। इस सदन में कौन से इश्यूज लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे, यह आपका विशेषाधिकार है लेकिन जो आप कह रहे हैं, यह गलत है और हम चाहते हैं कि यह सदन चले। यहां पर जैसे श्री जय

राम ठाकुर जी ने पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में चर्चा की, वह तो आपका विशेषाधिकार है। हम भी आग्रह करेंगे कि इस पर कोई सार्थक वे-आउट निकले और सार्थक रूप से यह सदन आगे चलता रहे।

आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.09.2024/1115/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपने विचार रखेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। कल जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी ने अपनी बात शुरू की लेकिन आपने समय नहीं दिया। मैं तीन बार खड़ा हुआ और मैंने कहा कि हमने नियम-67 के तहत नोटिस दिया है और उस पर चर्चा हेतु मौका दें लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने नियम-67 का जिक्र ही नहीं किया। ...(व्यवधान)... समय तो परमार जी को भी नहीं मिला। ये कैसे सुन रहे थे जब माइक ही ऑन नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पिछले कल भी सदन को गुमराह किया और आज भी सदन के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पूर्ण रूप से गंभीर हैं। हमने सदन में नियम-67 के तहत नोटिस दिया था लेकिन वह नहीं लगा। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है। यह गंभीरता हमारे विधायक दल की है। इसलिए मेरा आग्रह है कि संसदीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्रीगण जनता को गुमराह न करें।
दूसरा, जो विषय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया उस पर चर्चा हो। हमने कब कहा कि हमारे नोटिसिज नहीं लगे, हमने कब कहा कि हमारे प्रश्न नहीं लगे? ये अपनी तरह से ही बातें करते जा रहे हैं। जो विषय नेता प्रति पक्ष लाएं हैं उस पर व्यवस्था दें।

एन0एस0 द्वारा जारी....

03-09-2024/1120/एन0एस0-डी0सी0/1

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सदन के नियम माननीय सदस्यों ने ही बनाए हैं और सदन का संचालन उन नियमों के तहत ही होगा। न मेरे कहने से सदन चलेगा और न ही श्री जय राम ठाकुर जी के कहने से चलेगा। जो नियम यहां बने

आपने उनको एनफोर्स करना है। उनसे बाहर जाकर हम कोई नई परंपराएं नहीं बनाते हैं। ठीक है, कुछ परंपराएं बनाई हैं, आप अच्छी परंपराएं बनाइए। आप गलत परंपरा को क्यों बना रहे हैं। प्रश्न काल को सही चलने दो। हम तो चाहेंगे कि कम-से-कम प्रश्न लगें लेकिन प्रश्न काल सभी माननीय सदस्यों के हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रश्न काल को एक घंटे की बजाए दो घंटे का करें। लेकिन आप प्रश्न काल को पीछे करके कुछ और मुद्दा रखना चाहते हैं और इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने कल भी कहा कि आप इस मुद्दे को प्रश्न काल के बाद उठाना। यहां पर नियम-67 की बात कर रहे हैं तो मैं रणधीर शर्मा जी की बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि कल यह सारी बात रिकॉर्डिंग में हुई है। अब तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है और उसके लिए हम लोग अपनी बात से मुकर नहीं सकते। जैसे ही सदन में सब असेंबल हुए और आपने प्रश्न काल शुरू करने के लिए कहा तो श्री विपिन सिंह परमार जी तुरंत खड़े हो गए। इन्होंने नियम-67 को नहीं उठाया। अब आप बताइए गंभीरता कहां है। गंभीरता तो नियम-67 के लिए नहीं थी। आज श्री जय राम ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई दिखाई कि आज फिर दोबारा एक मुद्दा उठा दिया। कल जहां ये नियम-67 को उठाने से चूक गए तो आज अपनी बात अध्यक्ष महोदय से कह कर उठा दी। समाचार पत्रों में कल सारा विषय आ जाएगा कि वित्तीय संकट था। आपने नियम-67 में भी यही कहना था, आपने कुछ नया तो कहना ही नहीं था। पर कल ये नियम -67 के विषय के लिए गंभीर नहीं थे। इस माननीय सदन में श्री जय राम ठाकुर जी और श्री विपिन सिंह परमार जी साथ ही बैठते हैं। आप दोनों का आपस में तालमेल नहीं था। अगर आपने अपना विषय सदन में दिया है तो उसको उठाना पड़ता है लेकिन उस विषय को न उठा कर कोई और मुद्दा उठा दिया। मैं इतना यहां जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने नियमों के तहत सत्ता पक्ष व विपक्ष को बोलने का समय दिया है और निष्पक्ष होकर समय दिया है। यह बात ठीक है कि हम कई बार अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर कुछ कह दिया हो तो विपक्ष को इतना ज्यादा नहीं रूठना नहीं चाहिए। रूठो बेशक, पर ऐसा नहीं कि दुल्हन की तरह बार-बार रूठो और दिल मत तोड़ो।

03-09-2024/1120/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : श्री विपिन सिंह परमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विषय इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे हम इस विधान सभा की परंपराओं व नियमों को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं और यहां सत्ता पक्ष बहुत ज्ञानी हो गया है। हां, ये कई बार जो उस तरफ (सत्ता पक्ष) बैठते हैं तो उनमें से कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी बनना शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप बैठे हैं इसका मान-सम्मान करना हमारा धर्म है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दो विषय थे जब इस माननीय सदन में हमारे माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और उसका इशारा आप की तरफ था। आप उस विषय को आज जिस तरीके से ले रहे हैं, अगर कल लिया होता तो कल ही सारी बात खत्म हो जाती। मुख्य मंत्री जी भी अगर इस विषय को गंभीरता से लेते तो शायद यह विवाद नहीं होता। दूसरा, ये कह रहे हैं कि विपिन सिंह परमार ने नियम-67 का ज़िक्र ही नहीं किया।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

03.09.2024/1125/RKS/DC-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

हमने तो नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष : जो भी है वह रिकॉर्ड में है।

श्री विपिन सिंह परमार : हमने विधान सभा सचिवालय के सचिव को नियमानुसार नोटिस दिया है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर अविलंब चर्चा की जाए। लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां से यह बातें आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई आर्थिक संकट नहीं है। कभी कहा जाता है आर्थिक संकट है और कभी कहा जाता है कि वर्ष 2027 तक हिमाचल गुलजार व खुशहाल हो जाएगा। मैं पिछले कल 20 मिनट तक बोलता रहा लेकिन आपने मेरे माइक को ऑन नहीं करवाया। अध्यक्ष महोदय आप हमारे संरक्षक हैं। यह विषय कल ही खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन पता नहीं आपने इस विषय पर हमें क्यों नहीं बोलने दिया? जिस विषय का जिक्र श्री जय राम ठाकुर जी कर रहे हैं मुझे लगता है कि इनके साथ तीन और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। भावनाओं का

मान-सम्मान करना हमारा फर्ज़ है। राजनीति कर्म क्षेत्र में निश्चित होती है। यहां हिमाचल प्रदेश की जन भावनाओं की बात होती है। हम नहीं कहते कि आप हमें बोलने का समय नहीं देते लेकिन पिछले कल आपने हमें बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक तो आप परमार है और ऊपर से इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं I am for you. My weakness is 'Parmar'. माननीय उप-मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस तन लागे सो तन जाने। ....(व्यवधान) हां हमने इतने मजे किए कि श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में हमें इस विधान सभा से एक सप्ताह के लिए बाहर निकाल दिया था। हम तम्बू लगाकर बाहर बैठे थे और श्री जय राम ठाकुर जी कह रहे थे कि आप अपना नया विपक्ष का नेता चुन लो। ....(व्यवधान)

Speaker: No interruption please. Hon'ble Deputy Chief Minister is on his legs, let him speak.

03.09.2024/1125/RKS/DC-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपसे ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई समझे कि मैं स्पीकर से ऊपर हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सीनियर या जूनियर कुछ भी हों लेकिन आप स्पीकर हैं। आप अपने अंदाज के स्पीकर हैं और इस बात का पता पूरे देश व प्रदेश को लग गया है। आपका अपना मिजाज है। आपकी अपनी सोच है। ...(व्यवधान) आप हमें बात तो करने दें। मैं किसी बात से नहीं डरता। ...(व्यवधान) आप चाहे नियम-62 में लाओ या 67 में, श्री बिक्रम सिंह जी धमकाने से कुछ नहीं होने वाला है। ...(व्यवधान) आपका 62 भी वैसा ही है जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सौ करोड़ रुपये का माइनिंग घोटाला हो गया है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने कहा 'you keep quite' श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा 'you keep quite'.

अध्यक्ष : मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। ...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : यह बात यहां आमने-सामने हुई है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह सिलसिला बहुत पुराना है। तब मैं वहां बैठता था और यहां प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी बैठते थे। यह बहुत पुराना मसला है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा हाउस में होता रहा है। आपके आसन में बैठकर डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने कहा कि 'I am proud to be RSS Member'. डॉ0 राजीव बिन्दल जी स्पीकर थे तब उन्हें पछाद में चुनाव प्रभारी बना दिया। उनके फोटो के साथ वहां पर चुनाव लड़ा गया। जब नगर निगम का चुनाव था तो उस समय श्री विपिन सिंह परमार जी विधान सभा अध्यक्ष थे और इनके फोटो पर नगर निगम का चुनाव लड़ा गया।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

03.09.2024/1130/बी.एस./.एच. के-1

व्यवस्था काप्रश्न जारी...

उप-मुख्य मंत्री जारी...

आपने सदन के बाहर क्या किया उसका कंडक्ट नहीं है परंतु आपने सदन में क्या किया, वह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपने देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर लगाया था तो आदरणीय जय राम ठाकुर जी, हम भी आहत हुए थे और वह मुकदमा आज दिन तक चल रहा है। उसमें हमारे छह माननीय सदस्य हैं और उसमें आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी भी शामिल हैं। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है, आप कल माननीय राज्यपाल महोदय के पास गए कि अध्यक्ष को हटा दीजिए। क्या आपके कहने से अध्यक्ष जी हट जाएंगे? यहां पर आप 28 माननीय सदस्य हैं और हम 40 सदस्य हैं आप चाहें तो वोटिंग करवा लीजिए। ...(व्यवधान)... कृपया मेरी बात सुन लीजिए। आदरणीय बिक्रम जी यह मामला खत्म भी बातचीत के बाद ही होगा। हम भी चाहतें कि यह खत्म हो, आदरणीय संसदीय सचित और मुख्य सचेतक दोनों जिला सिरमौर से हैं ये दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सदन को चलाना आप दोनो का काम है, अब आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने पता नहीं क्या रखा है कि आपस में बात ही नहीं करनी है, नहीं तो अब तक तो बात हो जानी चाहिए थी

और यह मामला अब तक सुलझ जाता। सारा प्रदेश जानता है कि आप कर्मचारी हितैषी नहीं है क्योंकि आपने उन्हें ओ.पी.एस. नहीं दी। लेकिन फिर भी आपने कर्मचारियों का प्रस्ताव दिया और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने अध्यक्ष के खिलाफ मार्चा खोल दिया। आपने यह फैसला ही नहीं लिया है कि आपने अध्यक्ष से लड़ना है या सरकार से लड़ना है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने तो सदन को चलाना है इसलिए आप सरकार से लड़ो। आज विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में आए हैं, जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा कि रूठना और बिगड़ना चलता रहता है। परंतु इतना भी मत रूठो की रोज ही रूठ जाओ, फिर वह टेस्ट नहीं रहता, आप रूठे थे आपको मना लिया गया है और आप सदन के अंदर आ गए हैं। कृपया अब सदन को चलाइए।

अध्यक्ष : आदणीय सतपाल सिंह सत्ती जी आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद अब लास्ट में मुख्य मंत्री जी आपनी बात रखेंगे।

03.09.2024/1130/बी.एस./.एच. के-2

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो गतिरोध इस माननीय सदन के अन्दर आया है उसके बारे में बड़े विस्तार से माननीय जय राम ठाकुर जी ने अलग-अलग विषयों पर आपके ध्यान में और माननीय सदन के अंदर बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं बातों के ऊपर आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आ जाता तो सारी चीजें सुलझ जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बात के अन्दर पच्चर फंसाना चाहते हैं और बात को सुलझने नहीं देना चाहते। मैं मुख्य मंत्री जी को अलग से बताना चाहता हूं कि हम ऐसे लोग हैं जो परेशान करें। दूसरा विषय मेरा ऐसा कहना है कि जैसा पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बताया कि सदन के अंदर सब माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। हम सब लोग उस पर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा विषय जो हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि आप भी सभी चीजों को संभाल करके सदन के अंदर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले हम लोग जो भी बोलते थे आप सुन लेते थे परंतु यहां पर भाभी जी बैठीं हैं उन्हें भी बुरा लगेगा कि यहां पर हो क्या रहा है और चल क्या रहा है? ऐसा न हो कि वे कहें कि मैंने सदन के अंदर जाना ही नहीं है आपकी तो सदन के अंदर झण्ड ही बड़ी होती है। इसलिए आपको

जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा कि चलो-चलो सदन में बैठो। मैं माननीय सदस्य का भी स्वागत करता हूं क्योंकि ये पहली बार माननीय सदन में आई हैं और एक महिला घर के अंदर आए तो मुझे लगता है कि इस तरह से लड़ना अच्छा नहीं लगेगा। परंतु इसके लिए सत्ता पक्ष के लोगों को बड़ा मन रखना पड़ेगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1135/डी0टी0/एच0के0-1

श्री सतपाल सिंह जारी....

सदन को चलाना जितना आपके आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए भी है। लेकिन आपस में एक-दूसरे का मान-सम्मान करना हम सभी का फर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो बातें कहीं गईं हैं, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि वेग में आकर ऐसी बातें हो जाती हैं। अगर आप अपने द्वारा उस समय प्रयोग किये शब्दों को वापिस लेलें तो सारा माहौल अच्छा हो जायेगा। इस मान्य सदन की कार्रवाई आगे चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर इस मान्य सदन में चर्चा हो, मुझे लगता है कि उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को व माननीय अध्यक्ष महोदय को बड़ा मन रखकर ही बात करनी चाहिए ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके।

अध्यक्षः इससे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात रखें, माननीय श्रीमती कमलेश ठाकुर जी निर्वाचित होने के उपरांत पहली बार आज इस मान्य सदन में आईं हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पत्नी का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश न कीजिए और प्रतिपक्ष के नेता भी ऐसा ही कर रहें हैं। (व्यंग्य रूप में)

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री मुझे आभास नहीं था कि आप भी पत्नी से डरते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि आप डराने की कोशिश न कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही बात कहना चाहता कि इस सदन में आपने सदैव विपक्ष को सत्ता पक्ष से अधिक समय दिया, ये अच्छी बात है। निश्चिततौर से मैं कह सकता हूं कि पहली बार प्रश्नकाल में जब विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया और उस प्रश्न को उठाने के लिए आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष को समय भी

दिया, जिसमें उन्होंने ड्रोन के माध्यम से अपने घर की जासूसी की बात कही थी। आज भी आपने इस सदन को चलाने के लिए पुनः विपक्ष को बोलने का मौका दिया जिसमें विपक्ष के नेता ने भी अपनी बात रखी, संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी बात रखी, राजस्व मंत्री ने भी अपनी बात रखी और राजस्व मंत्री ने भी कहा कि सदन हमेशा नियमों से ही चलता है। लेकिन आपने उस परम्परा के अतिरिक्त भी अपने विवेक का परिचय देते हुए फिर भी विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया।

3.09.2024/1135/डी0टी0/एच0के0-2

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल बहुत महत्पूर्ण होता है। सभी माननीय विधायक अपनी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न इस सदन में पूछना चाहते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से अगर कोई माननीय सदस्य सुंतष्ट नहीं होता तो अनुपूरक सवाल पूछता और सरकार उसका उत्तर देती है। फिर भी आप इस परम्परा को तोड़ते हुए माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष सच में सही तरीके से मुद्दे उठाता तो अच्छा होता। कल क्या मुद्दा था? संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने ठीक कहा, विपक्ष के हमारे साथी कल सदन में आये और व्यवस्था का प्रश्न श्री विपिन परमार जी के द्वारा इस सदन में पूछा गया। इन्होंने नियम-67 के अंतर्गत कर्मचारियों से संबंधित स्थगन प्रस्ताव इस सदन में लाया था। ये अपना हाथ खड़ा करते और आप इसमें चर्चा के लिए समय देते या न देते, ये आपका विशेषाधिकार है। लेकिन परमार साहिब इस सदन में आये और जोर-जोर से बोलने लगे। आपने कहा भी था कि प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए उसके बाद अपनी बात कह लेना। क्या विपक्ष के हमारे साथी एक घंटा इंतजार नहीं कर सकते? आज भी प्रश्नकाल का आधा घंटा इसी चर्चा में लग गया। मैं चाहूंगा कि जो भी विपक्ष मुद्दा लाना चाहता है, पहले प्रश्नकाल और कागजात सभापटल में रखने के बाद ही इनकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार इनके द्वारा उठाये जाने वाले हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है चाहे वह कर्मचारियों से संबंधित ही क्यों न हो। जिस मेमोरेंडम को भी ये देना चाहते है उसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः तैयार है। लेकिन लेकिन विधान सभा का काम जब से विधान सभा चलती आ रही है तभी से नियम के अनुरूप होता आया है और अब भी उन्हीं नियमों के अनुरूप इसका संचालन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना

चाहता हूं और इसके साथ ही मैं विपक्ष के नेता जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रश्नकाल के उपरांत, क्योंकि प्रश्नकाल में तो दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रश्न लगे होते हैं व कागजात व बिल ले होने के बाद जो भी आप चर्चा लाना चाहेंगे या जो भी पहला मुद्दा ये लाना चाहेंगे

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....
03-09-2024/1140/वाई.के.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री.....जारी

जिस भी नियम के तहत लाना चाहें, उसको लाएं। किसी भी प्रकार की चर्चा हो, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह भी कहना चाहता हूं कि जिस नियम-67 के तहत आप (विपक्ष) चर्चा मांग रहे हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम लॉ एण्ड ऑर्डर की चर्चा के लिए भी तैयार हैं। हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है, उसकी चर्चा के लिए भी हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि कागज़ातों को सभा पटल पर रखने के बाद हम इनके (विपक्ष) विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि अब हम इस पर आगे बढ़ें और जो माननीय सदन की कार्यवाही अवरूद्ध है, उसको आगे बढ़ाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आप तो विपक्ष को ज्यादा समय देते ही हैं इसलिए इनकी (विपक्ष) चर्चा को पहला राइट दिया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अभी जो विषय माननीय सदन में चर्चा में है, जिसका उल्लेख माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है और उस पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की है। अब इस विषय को हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं ठीक हूं या कोई और ठीक है, इस परिस्थिति में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे यह साबित नहीं करना है कि मैं ठीक हूं तथा आपको (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर देखते हुए) भी यह साबित नहीं करना है कि आप ठीक हैं और तभी विषय समाप्त होते हैं। आज आप सभी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया।। was expecting that also

and likewise दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने भी किया। जहां तक कल की बात है, यह सत्य है कि नियम-67 का विषय पहले आता उससे पहले माननीय पूर्व अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा जिसकी मुझे पहले से जानकारी थी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तब मैंने कहा, not allowed.

03-09-2024/1140/वाई.के.-एन.जी/2

उसके बाद, there was a ruckus in the House. हमने प्रश्न काल शुरू कर दिया और नियम-67 अल्टीमेटली आपका (विपक्ष का) सैकेंडरी इश्यू था जोकि प्राइमरी होना चाहिए था। ...(व्यवधान) यह सब रिकॉर्ड पर है। उसके बाद आपने (विपक्ष ने) नियम-274 के तहत एक नोटिस विधान सभा सचिवालय को दिया। कुछ अख़बारों ने भी इसको रिपोर्ट किया। मैं यहां पर नियम-274 को पढ़ देता हूं और आज इसके ऊपर भी निर्णय आ जाए ताकि सारी बात समाप्त हो जाए। Rules-274. Notice of resolution for removal of speaker or Deputy Speaker-(1) A member wishing to give notice of a resolution under Article 179 (c) of the Constitution for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker shall do so in writing or online to the Secretary and shall furnish the full text of such resolution. My Secretariat has received the Resolution signed by 24 MLAs. The sub-section (2) is the most important, which I am referring to now. (2) On receipt of a notice under sub-rule (1) a motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned, on the day fixed by the Speaker, provided that the day so fixed shall be any day after fourteen days from the date of the receipt of notice of the resolution. Second part is the most important part. आपने (विपक्ष ने) यह नोटिस दिया और विधान सभा सचिवालय को मिला। उसके बाद सब सैक्शन-1 की कार्यवाही पूरी हुई। सब सैक्शन-2 की कार्यवाही पूरी तब होनी थी जब वह लिस्ट ऑफ बिजनैस में एंटर करता।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1145/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष जारी----

जब वह लिस्ट ऑफ बिजनैस में एंटर करता। लिस्ट ऑफ बिजनैस में तब एंटर करता जब इसकी statute requirement under the Constitution 179 Article (c) कि 14 डेज़ क्लीयर नोटिस होता, सैशन का समय 9 तारीख़ तक है। 14 डेज़ क्लीयर नोटिस तो है नहीं और फिर स्पीकर ही फिक्स करेगा और कुछ समाचारपत्रों ने यह रिपोर्ट कर दी है कि स्पीकर ने अवहेलना कर दी कि खुद ही कुर्सी पर बैठा रहा और रिजैक्ट कर लिया। अभी तो रिजैक्ट नहीं हुआ था and yesterday also I said and time and again and I am saying it, at time there is a protest, at time there is a boycott. Yesterday it was a boycott. Previously, there was a protest and the News Papers must know what to report and what not to report. All rules applies to you equally also. Let be referred to those also और सब-सेक्शन-3 क्या बोल रहा है, In order that such a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:- 1 और 2 की कंप्लायंस होने के बाद तीसरे में क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वे फुलफिल होनी चहिए तभी नोटिस एंटर होगा। (1) it shall be specific with respect to charges; what charges you are making against the Speaker or the Deputy Speaker to whom you want to remove from the Office. (2) it shall be clearly and precisely expressed; and (3) it shall not contain arguments, inference, ironical expressions, imputations or defamatory statements. यह जो आपका नोटिस था इसमें तो imputations थी। डिफामेटरी पार्ट था इसका, इरोनिकल एक्सप्रेशन्ज़ थे तो यह तो एडमिट हो ही नहीं सकता था और इसको मैंने कल ही रिजैक्ट कर दिया था। नियम-67 की रूलिंग भी मैंने पिछले कल इस माननीय सदन में दे दी थी। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, मैं दस साल तक इस माननीय सदन का सदस्य नहीं था शायद उसमें कन्वेंशंस बदल गई होंगी लेकिन जब मैं इस सदन का सदस्य था, उस समय ऐसा नहीं होता था कि प्रश्नकाल के अंदर ही चर्चा और प्वाइंट ऑफ ऑर्डर शुरू हो जाते थे। ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। अब जब मैं आया तो मुझे नई कन्वेंशंस देखने को मिल रही हैं। पक्ष

और विपक्ष, दोनों तरफ से एडमिशन भी है कि ऐसी कन्वेंशंस हैं तो कोई बात नहीं, उसकी भी हम इजाज़त दे देंगे। हाउस के अंदर 6 के 6 सत्रों में मेरा आचरण न्यूट्रल रहा है और

03.09.2024/1145/केएस/वाईके/2

अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि न्यूट्रल रहना है, वह मैंने किया है। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में अपोजीशन का रोल सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विषय अपोजीशन ही उठाएगी। सरकार की कार-गुज़ारी का लेखा-जोखा भी अपोजीशन ही लेगी और इसलिए नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी के जो विषय आए हैं, उन्हीं के नाम से लिस्ट हुए। उनके क्वेश्चन्ज़ प्रायोरिटी के ऊपर लिस्ट हुए हैं। चाहे वे उनकी अपनी कंसीच्यूएंसी से ही रिलेटिड क्यों न थे। हम लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि अभिव्यक्ति ही डैमोक्रेसी में, अगर अंदर यहां मैं प्रतिपक्ष को बोलने न दूं और सत्ता पक्ष को ही बोलने दूं तो I am not a democrat. So I believe in democracy and I am a person who believes in the principle convince or get convinced. जब-जब आपने मुझे कन्वेंस किया, मैं आपकी तरफ था और जब सत्ता पक्ष ने कन्वेंस किया तो मैं इनकी तरफ था। यही लोकतंत्र का बेसिक फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है। इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मेरा आपसे आग्रह है कि एक तो जब कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो तो बीच में रुकावट न हो। आप मुझसे समय लें, मैं समय देता हूं। आप उन एलिगेशन्ज़ को रिवर्ट कर सकते हैं। किसने समय नहीं दिया? आप एकदम खड़े हो जाओगे इसका मतलब यह है, हां कई बार बातें चूभ जाती हैं और फिर वे टॉलरेट नहीं होतीं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1150/av/ag/1

अध्यक्ष ---------- क्रमागत

जिसके कारण व्यक्ति एकदम से रिएक्ट कर देता है। यहां पर किसने नहीं किया, श्री जय राम ठाकुर जी ने तो इस बात को खुद तसब्बर किया है। मैंने अंदर तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया और भगवान न करे कभी मुझे ऐसा व्यवहार करने का मौका मिले। मैं हर समय

ईश्वर को हाज़िर-नाज़िर रखकर ही काम करता हूं। मैं अपनी जनता का आभारी भी हूं कि मुझे यहां पर चुनकर भेजा है, परंतु जिन परिस्थितियों में मैं लड़कर आया हूं ऐसे यहां पर शायद एक-दो लोग ही होंगे और मैं यहां पर पांचवी बार पहुंचा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभारी हूं जो हमारे ऊपर विश्वास रखा और मैंने जो निर्णय लिए उसको भी अप्रूव किया। हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में सारी परिस्थितियां अलग होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। उन परिस्थितियों में वहां पर जिन-जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सब केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए होता है। उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती। (***) उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार एक साल के अंदर-अदर जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए हर प्रकार की भाषा का प्रयोग करना वाज़िब था जोकि बाहर किया गया। आपको वे शब्द अच्छे नहीं लगे, आप सभी हमारे साथी हैं। आपमें से तीन तो वापिस आ गए हैं और आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों मुझे अंदर और बाहर से अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं कल बाहर कॉंफ्रेंस करके सारी बात स्पष्ट कर दूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि अंदर मेरा आचरण नियमों के अनुरूप ही रहेगा और प्रैस के साथियों से भी मैं ऐसा ही कहना चाहूंगा। इसलिए बात को यही समाप्त करते हुए आगे प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने अब बोल दिया है। अब प्रश्न काल शुरू होने दीजिए।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.09.2024/1150/av/ag/2

मुख्य मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब बात हो गई। माननीय सदस्य श्री नीरज नय्यर जी को प्रश्न करने दीजिए।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दे दी, धन्यवाद। अब माननीय मुख्य मंत्री जी गड़बड़ कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, अब सारी बातें ठीक दिशा में चल रही हैं और आपको भी यही चीज़ सूट करती है। हम यहां आमने-सामने रहकर बात करें तो यह आपके लिए भी अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, बाकी सारी बातें ठीक हैं। लेकिन यहां पर अभी जो (***) वाली बात कही है, उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

अध्यक्ष : ठीक है, उन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाता है।

अब माननीय सदस्य श्री नीरज नय्यर जी अपना प्रश्न करेंगे।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.09.2024/1150/av/ag/3

प्रश्न संख्या : 1938

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज चम्बा में डायलिसिस करने वाली कंपनी चेंज कर दी गई है क्योंकि पहले वहां पर कोई दूसरी कम्पनी डायलिसिस करती थी। अब 'हंस फाउंडेशन' के नाम से एक नई कम्पनी आई है। विभागीय उत्तर में यह लिखा गया है कि डायलिसिस मशीन प्रत्येक कार्य दिवस संचालित की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए काफी धन का प्रावधान किया है और वहां पर अब गाइनोकोलॉजिस्ट्स भी अच्छी मात्रा में हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो यह गैर सरकारी संगठन हंस फाउंडेशन डायलिसिस कर रहा है वह संडे और गैजटिड होलिडेज को बंद रहता है।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1155/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
प्रश्न संख्या : 1938 .. जारी
श्री नीरज नैय्यर .... जारी

इस बारे में मुझे आए दिन चम्बा से लोगों के फोन आते रहते हैं और लोगों को डायलिसिज के लिए पठानकोट ले जाना पड़ता है, जबकि यह एसैंशियल सर्विसिज है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके लिए एक नीतिगत फैसला लें क्योंकि यह एसैंशियल सर्विसिज के अंतर्गत आती है। इसलिए इस डायलिसिज सेंटर को 24X7 खुला रहना चाहिए। पहले जो कम्पनी इसको चलाती थी उसके समय में ऐसा नहीं होता था लेकिन इस कंपनी के समय में यह संडे और गेजेटिड हॉलीडे को बंद रहता है। चम्बा दूरदराज का क्षेत्र है और मैं चाहूंगा कि the company should be directed to take necessary action.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जो मेडिकल केयर यूनिट बन रहा है उसमें डायलिसिज की सर्विसीज प्रदान की जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि संडे और गेजेटिड हॉलीडे के दिन भी वह सेंटर खुला रहे तो इसके लिए सरकार उस कंपनी के मालिक से बात करेगी ताकि वह सेंटर अवकाश के दिन भी खुला रहे।

प्रश्न समाप्त

03.09.2024/1155/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्याः 1939

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में जे0ओ0ए0 (लाइब्रेरी) के कितने पद सृजित हैं और ये कब तक भरे जाएंगे?

इसके अलावा दिनांक 31.07.2024 तक इनमें से कितने पद भरे गए व कितने रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जाएगा? इसके बारे में माननीय कोर्ट से भी आदेश हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जे0ओ0ए0 (लाइब्रेरी) के पदों को भरने की बात है, इस संदर्भ में अभी तक माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आया है। जैसे ही इसका अंतिम निर्णय आएगा इनकी भर्ती की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग भी इस बारे में गंभीर है और जो हमारे बड़े विभाग हैं जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अटल आदर्श विद्यालय या राजीव गांधी डे-बोर्डिंग इत्यादि या जहां पर एनरोलमेंट अधिक होगी वहां पर इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

प्रश्न समाप्त

03.09.2024/1155/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

प्रश्न संख्याः 1940

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस प्रश्न का विस्तार से लिखित उत्तर दिया है लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि राज्य सरकार फंगीसाइड और पेस्टिसाइड पर जो सब्सिडी दे रही है उसमें असंतुलन हैं। बाजार में नये फंगीसाइड आतें हैं सरकार किसानों को केवल उन पर ही 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है जोकि सरकार का अच्छा कदम है लेकिन किसानों को पुराने फंगीसाइड जैसे Dithane m45 and Bavistin जो बागवानों में काफी पॉपुलर है इस पर मुश्किल से 5 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है। यह सब्सिडी इन फंगीसाइड पर वर्ष 1992 में प्रचलित रेटों के आधार पर ही दी जा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इस फरोजन सब्सिडी को खत्म करेंगे और जो प्रचलित दरें हैं उस पर किसानों और बागवानों को सब्सिडी दी जाएगी?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है कि फंगीसाइड पर जो फरोजन सब्सिडी दी जा रही है, इसको करंट रेट के आधार पर देंगे तो इस पर हम विचार करेंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी....

03-09-2024/1200/एन0एस0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या : 1940 ---- क्रमागत

राजस्व मंत्री ---- जारी

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड को यूज न करके जो बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे मित्र कीट हैं उनको प्रयोग करें ताकि ज्यादा-से-ज्यादा इन इंसेक्टिसाइड से बच सकें।

प्रश्न काल समाप्त

03-09-2024/1200/एन0एस0-ए0एस0/2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : श्री विनोद सुल्तानपुरी जी आप क्या बोलना चाहते हैं। You should be very specific and you must read the Point of Order also. Have you read it or not?

Shri Vinod Sultanpuri: Hon'ble Speaker, Sir, I have read it. I want to request you to increase the time of the Question Hour because हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये छूट जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रश्न काल का समय बढ़ाया जाए।

Speaker: Hon'ble Member, your point has come.

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिमला के संजौली में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी भारी दिक्कत दो दिन पहले आई थी।

Speaker : You please give a notice to this. आप नियम-62 में नोटिस दीजिए I will allow you. This is not a Point of Order so I am not allowing you. You are referring to an issue which is of an urgent importance. You must raise this issue under the Rule-62. श्री केवल सिंह पठानिया जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

03-09-2024/1200/एन0एस0-ए0एस0/3

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह मामला रात को 2.58 मिनट पर मुझे अनुपम नामक लड़के का फोन आया। आशीष पाधा जोकि रैत का रहने वाला है उसको सांप ने काट लिया है और एमरजैंसी में है। मैंने रात को 2.59 मिनट पर एम0एस0, टांडा को फोन किया। इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। 3.10 बजे मैंने अनुपम जी को कहा कि आप संपर्क करना और उन्होंने संपर्क किया और कहा कि सी0सी0यू0 में 9 वेंटिलेटर्ज हैं और वहां ऑलरेडी मरीज हैं और दो मरीज वेटिंग पर हैं। मामला गंभीर है। मैं लगातार सवेरे 05.30 बजे तक संपर्क करता रहा। डॉक्टर ने नर्स से बात की या किससे बात की यह मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि सी0सी0यू0 के 9 वेंटिलेटर्ज लगे हुए हैं। कोरोना के समय 92 वेंटिलेटर्ज टांडा मेडिकल कॉलेज में हैं। आशीष पाधा मेरे साथ पढ़ता था और उसकी सवेरे 06.15 मिनट पर मृत्यु हो गई। इस माननीय सदन में एश्योरैंस दी गई। इसके लिए किसी की जिम्मेवारी तो होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये वेंटिलेटर्ज वहां क्यों रखे हैं? क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इन वेंटिलेटर्ज का उपयोग नहीं करेगा? यहां पर एश्योरैंस का इतना मामला आया। मैंने एम0एस0 से बात की और मैं इस बात को सदन में रखना चाहता था।

Speaker: Your concern has come. This is a serious issue. I am allowing this, reason, being the matter stand discussed in the House and in the House also Hon'ble Health Minister, you had assured the House that in future, in snake bite cases, a very urgent and necessary step will be taken. Despite that, this case has happened and that too during the Session itself. This is a very serious issue.

Health & Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the Hon'ble Member has brought a serious issue to the notice of this august House. The matter will be looked into.

Speaker: What action you are likely to take against the erring officials, those who were in the duty.

03-09-2024/1200/एन0एस0-ए0एस0/4

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, strict disciplinary action will be taken in the matter.

Speaker: Hon'ble Minister you assured this House that you are likely to take some administrative action against all those erring persons.

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, the matter will be looked into and the officials those who at fault, the administrative action will be taken against them.

Speaker: Your Point of Order has come and your concern is noted. I have given a direction from the Chair that कि उन ऑफिशियल्ज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने सुबह तक कोताही की है। श्री केवल सिंह पठानिया जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया ----आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाए। यहां पर सदन के नेता और अन्य माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस चीज को कौन गसवर्नेंस करने वाला है? आपने आश्वासन कमेटी का गठन करना है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि यह मसला भी कमेटी में जाए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो वहां पर 92 वेंटिलेटर्ज़ स्थापित किए गए हैं क्या वहां जाकर उनका रिव्यू लिया जाता है। टांडा मेडिकल कॉलेज में कांगड़ा, चम्बा व पूरे प्रदेश से मरीज अपना उपचार करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वेंटिलेटर्ज़ वहां स्थापित किए गए हैं उन्हें क्रियाशील बनाया जाए। मेरे सहपाठी के बेटे ने मुझे फोन किया है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर समयबद्ध जांच करवाई जाए।

अध्यक्ष : मुझे भी इमरजेंसी से रात के दो बजे फोन आया था may be relating to that also in the morning I found out that somebody is admitted in Dr. RPGMC Tanda. This is a very serious issue, Hon'ble Health Minister please take a very strict action against all those erring officials and the procedures which are to be in place in Dr. RPGMC, because ventilator is a procedure, they should be made in place.

Health Minister: Mr. Speaker, Sir, the matter which has been brought by the Hon'ble Member, Shri Kewal Singh Pathaniaji regarding the accessibility of ventilator in Dr. RPGMC, we will also look into the matter and administrative action will be taken against the erring officials, whosoever are involved.

अध्यक्ष : श्री पवल कुमार काजल जी क्या आप भी व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहते हैं? What is your Point of Order?

03.09.2024/1205/RKS/AS-2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, टांडा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के आधार पर 450 के लगभग नर्सिज, वार्ड बॉय व अन्य पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जिन कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी क्या पहले उन कर्मियों को दोबार से भर्ति किया जाएगा? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आउटसोर्स के आधार पर जो भर्तियां हो रही हैं क्या ये भर्तियां किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर की जाएगी या इनके लिए कोई परसेंटेज या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है?

Speaker : Okay, Hon'ble Member, your point has come. It doesn't fall within the purview of the Point of Order. I request the Hon'ble Health & Family Welfare Minister please take a note of it. Yet, it is not a Point of Order, yet you take a note of it whatever he has referred to this.

03.09.2024/1205/RKS/AS-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश का पहला विधान; और

(ii) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)।

अध्यक्षः अब माननीय उप-मुख्य मन्त्री सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 49वाँ वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 49वाँ वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मन्त्री हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 की धारा 30 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम (गौजातीय वीर्य के उत्पादन, विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विनियमन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचनासंख्याः एएचवाई- ए(3)-3/2018-पी-I, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2023 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

03.09.2024/1205/RKS/AS-4

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम, 2019 की धारा 30 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौजातीय प्रजनन अधिनियम (गौजातीय वीर्य के उत्पादन, विक्रय और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विनियमन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः एएचवाई- ए(3)-3/2018-पी-I, दिनांक 11.10.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2023 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मन्त्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-2/2024, दिनांक 05.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-2/2024, दिनांक 05.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मन्त्री हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

Speaker: Before taking Item No. 3, the Hon'ble Chief Minister wants to make a statement.

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विपक्ष के नेता आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने दो दिन पहले ड्रोन के बारे में कहा था, मैं उसके बारे में स्टेटमेंट के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूं। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शिमला शहर में निरंतर दबाववयुक्त जल आपूर्ति के निष्पादन के लिए m/s SUEZ India Private Limited के साथ परिणाम आधारित अनुबंध (Performance Based Contract) किया है। शिमला शहर में निरंतर दबाववयुक्त जलापूर्ति के लिए इस अनुबंध के तहत ड्रोन सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जलापूर्ति प्रणाली के पूर्ण डिजाइन के लिए आधार मानचित्र तैयार

करना है। ड्रोन द्वारा आसमान से केवल घरों का भौतिक डेटा ही एकत्र किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति/निवासी की गोपनीयता से समझौता नहीं किया जा रहा है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त डेटा को तीसरे पक्ष के साथ सांझा नहीं किया जाएगा।

Operator m/s SUEZ India Private Limited ने 25 जून, 2024 को अनुबंध के निर्धारित समय के भीतर ड्रोन सर्वेक्षण को पूरा करने की अनुमति से लिए आवेदन किया था। जिला प्रशासन ने 03 अगस्त, 2024 को ड्रोन सर्वेक्षण हेतु उन्हें अनुमति प्राप्त हुई। ड्रोन सर्वेक्षण शुरू होने से पहले 07 अगस्त, 2024 को एस.पी. कार्यालय द्वारा शिमला के सभी पुलिस स्टेशनों को अनुमति विवरण बता दिया गया था। जिला प्रशासन द्वारा दी गई वर्तमान अनुमति 05 सितम्बर, 2024 तक वैध है। खराब मौसम की स्थिति के कारण अभी तक 60 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है व ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने के लिए और 15 दिनों की अनुमति की आवश्यकता है। कल-परसों ओक ओवर के ऊपर भी ड्रोन घूम करके गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ड्रोन के माध्यम से कोई भी जासूसी नहीं की जा रही है और नेता प्रतिपक्ष की कोई भी जासूसी नहीं हो रही है।

03.09.2024/1210/बी.एस./ डी.सी.-2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 73वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 75वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 76वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 77वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

03.09.2024/1210/बी.एस./ डी.सी.-3

(vi) समिति का 78वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 79वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखपरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 80वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 113वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है; और

(ix) समिति का 81वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 114वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान) से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार (उपाध्यक्ष) सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री विनय कुमार (उपाध्यक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

(i) समिति का तृतीय प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित किए वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि चौदहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

03.09.2024/1210/बी.एस./ डी.सी.-4

नियम 62 अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा जल शक्ति मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो चेयर की

अनुमति से स्पष्टीकरण भी ले सकते हैं। अब मैं माननीय बिक्रम जी से चाहूंगा कि वे अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "ब्यास नदी से बड़सर के लिए पेयजल योजना से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू "

अध्यक्ष महोदय, चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि मैं मंत्री महोदय का परम मित्र हूं और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है, फिर भी मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि जो विषय इतना गंभीर है उसके ऊपर आप अवश्य कार्रवाई करवाएंगे और यही मेरी मंशा है। बड़सर विधान सभा के अंदर 'Augmentation of the source of various lift water supply schemes from river Beas in Badsar by NDB(New Development Bank) funding' ये प्रोजैक्ट आया था और इस प्रोजैक्ट के ऊपर वस्तुस्थिति यह है कि ब्यास के पानी उठा करके बड़सर की प्यास को बुझाने का विषय आया था।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

03.09.2024/1215/डीटी/DC-1

श्री बिक्रम सिंह जारी

इसकी डी.पी.आर. बन गई और डी.पी.आर. बनने के बाद उसका टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद जो लोएस्ट टेंडर है उसको वह टेंडर अवार्ड नहीं हुआ। यह जरूर कहा गया कि किसी व्यक्ति का लोएस्ट टेंडर है और तब सभी लोगों को यह लगा कि 130 करोड़ रुपए के काम के पीछे 214 करोड़ रुपये में वह टेंडर गया है। बाद में नेगोशिएशन करके वह रेट कम हुआ है। जब यह सारा विषय आ गया तो यह आवाज उठी कि पैसे 130 करोड रुपए हैं और टेंडर 214 करोड़ रुपये तक चला गया लेकिन यह पहले किसी ने नहीं देखा। यह सारा काम होने के बाद विषय उठा तो यह लगा कि पैसे कम है। जो 214 करोड़ वाले टेंडर में ब्यास से पानी उठाना था, आपने यह पानी ब्यास से न उठाकर एक नई स्कीम बनाने की शुरुआत कर दी कि ब्यास नदी बड़ी दूर है और वहां से पानी उठाएंगे तो खर्चा

बड़ा होगा इसलिए हम सतलुज से पानी उठाएंगे। यानी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक पूरे विभाग की यह थी। ऐसे कौन इतने समझदार इंटेलिजेंट अफसर हैं, उनके ऊपर मैं चाहूंगा माननीय उप मुख्य मंत्री जी इस बात का संज्ञान लें कि इतने पढ़े लिखे लोगों को यह मालूम नहीं था कि जो आप सोर्स दे रहे हैं उसके पास भी कोई और सोर्स है। अगर उसके पास कोई सोर्स है तो उसे सोर्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? 200 करोड़ वाली बात शुरू हो गई और उतनी देर में सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को जल शक्ति विभाग मिला। इन्होंने सारी चीजों को देखा तो इनको भी लगा कि यह जो हुआ है यह गलत है। इन्होंने बड़सर क्षेत्र में 200 करोड़ की स्कीम के टेंडर को रद्द कर दिया। यह सर की स्टेटमेंट है। उसके बाद133 करोड़ रुपये का बजट था और टेंडर कर दिया 200 करोड़ रुपये का। इन्होंने बोला कि इस टेंडर को रद्द कर दिया जाए जबकि वास्तविकता में यह टेंडर रद्द नहीं हुआ। उसके बाद यह हुआ कि जो पैसे हैं उन्हीं पैसों के अंदर गुजारा करना है। फिर इन्होंने उसे सोर्स को बदलकर दूसरे सोर्स के ऊपर जस्टिफिकेशन बनाकर 130 करोड़ रुपये का नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। जो पिछला मैं बता रहा हूं वह 214 करोड़ रुपये का टेंडर किसी को अवार्ड नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति का 214 करोड़ रुपये का लोएस्ट गया था उसी व्यक्ति को बिना टेंडर किए हुए इन्होंने इस नये सोर्स के ऊपर टेंडर कर दिया।

03.09.2024/1215/डीटी/DC-1

इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लेंडर क्यों हुआ? इसमें कौन-कौन लोग मिले हुए हैं? उस समय के जो ई.एन.सी हैं, मेरे ख्याल से अब भी वहीं होंगे। इन सभी अधिकारियों की इसके पीछे क्या मंशा थी? उसके बाद एक बहुत बड़ा विषय आया कि जब टेंडर होता है तो उसमें कमेटी गठित की जाती है। उस कमेटी में एक्शियन, और चीफ इंजीनियर तथा बाकी लोग होते हैं। उस समय के जो चीफ इंजीनियर हैं, डॉक्टर एस के शर्मा उन्होंने नोट दिया हुआ है कि सोर्स बदल गया, मशीनरी बदल गई, लेंथ बदल गई, राइजिंग मेन कम हो गई और जब यह सारी बातें हो गई है तो वह करोड़ रुपये वाला टेंडर जिसका सोर्स अलग था उसको दोबारा से रिटेंडर करना चाहिए था। लेकिन अफसोस का विषय यह है कोई रिटेंडरिंग नहीं हुई। उसी व्यक्ति को दूसरा टेंडर मेनुप्लेट प्लेट हुआ। एस.के.शर्मा जी

जो लिख रहे हैं वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके ध्यान में दो-तीन चीज लाना चाहता हूं। जब ये सारी चीजें चेंज हुई उन्होंने कहा 'Keeping in view the facts as explained above this office is of the opinion that we should go ahead to revise the technical sanction estimate since technical sanctity of earlier T/S estimate is no more valid due to change in proposal on techno economic consideration. It is pertinent to mention here that there is a decreasing trend in Wholesale Price Index for GI Pipe (उन दिनों इन पाइपों का बहुत ज्यादा रेट कम हो गया) between June(WPI 143.7) and December (WPI 129.6) as published by the Ministry of Commerce & Industry, Office of the Economic Advisor, Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Govt. of India. Pipe component constitutes about 80% of total cost of the project. क्योंकि उसमें 80% से ज्यादा पाइप लगनी है। Thus there is ample scope of competition if tender is re-invited with revised design parameters.

श्री एनजी द्वारा...जारी

03-09-2024/1220/एच.के.-एन.जी/1

श्री बिक्रम सिंह.....जारी

यह वो लिख रहा है जो टेण्डर देने वालों में से एक व्यक्ति यानि के चीफ इंजिनियर है। इस पत्र पर ई.एन.सी. साहब ने भी कुछ काम नहीं किया और उन्होंने इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। जब वह व्यक्ति रिटायर हो गया तब दोबारा से उसी फर्म को टेण्डर दे दिया गया। मेरा उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब इनको पता चला कि गलत हुआ है तो यह ठीक क्यों नहीं किया गया? ये स्वयं बोल रहे हैं कि 200 करोड़ रुपये का टेण्डर बिलकुल गलत है और इसको री-टेण्डर करेंगे। इनकी स्टेटमेंट्स भी मेरे पास हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? इसके अलावा मैं आश्वासन चाहता हूं कि इन

मामलों में जो भी लोग शामिल हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मेरा निवेदन है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस विषय को चर्चा के लिए दिया था तब मैंने इसके साथ दो अन्य विषयों को भी जोड़ा था। उन विषयों में से एक विषय माननीय मुख्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र का था। भारत सरकार के माध्यम से एक स्पेशल असिस्टेंट आती है और उसका सारे-का-सारा पैसा इनके क्षेत्र में लग रहा है। वहां पर एक पानी की योजना को 24x7 चालाना चाहते हैं और उसका 200 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट था। इसे 200 करोड़ का प्रोजैक्ट नहीं कह सकते बल्कि 200 करोड़ रुपये आए हैं। कहां से आया और कहां से शिफ्ट किया, यह सारी कहानी अलग है। उस 200 करोड़ रुपये को तोड़ कर 60, 60, 60 व 20 करोड़ रुपये के चार टेण्डर बना दिए गए। उस 200 करोड़ रुपये का ग्लोबल टेण्डर नहीं हुआ। किसी विशेष कम्पनी को खुश करने के लिए टेण्डरों को तोड़ा गया और उन चार टेण्ड्र्स में से 3 टेण्डर एक ही कम्पनी को दिए गए। अब ये कहेंगे कि वहां पर कम्पटीशन करवाया गया था।

03-09-2024/1220/एच.के.-एन.जी/2

वह कम्पटीशन कैसे हुआ, यदि डीटेल में चर्चा करने का समय होगा तो उसके बारे में भी बता दूंगा कि कौन-कौन सी फर्म्ज़ कैसे आपस में मिली हुई हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इसका भी संज्ञान लें। किसने ये टेण्डर तोड़े? किस कारण से यह सारा विषय आया? मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि आपने पांच शहरों के लिए एक सैनिटेशन का प्रोजैक्ट दिया हुआ है और उसकी टर्म एण्ड कंडीशन्ज़ के अनुसार जब कोई व्यक्ति टेण्डर करता है तो टेक्निकल बिड व फाइनेंशियल बिड जरूरी होती है। लेकिन ये एक ऐसा विशेष प्रोजैक्ट है जिसके अंदर केवल टेक्निकल बिड है और फाइनेंशियल बिड नहीं है। मुझे यह बताया गया कि बैंक या एजेंसी ने यह ऐसे ही दिया हुआ है और कहा कि इसे ऐसे ही करना है। मेरा कहना है कि बाकी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं होता? इस विशेष प्रोजैक्ट के अंदर ही इस प्रकार की व्यवस्था क्यों खड़ी की गई? यदि इस व्यवस्था के अंदर

आपको लग रहा था कि इसके कारण कोई-न-कोई कमी आएगी या भ्रष्टाचार होगा तो अपने इस व्यवस्था को क्यों नहीं बदला? माननीय उप मुख्य मंत्री जी, मैंने 2-3 प्रश्न खड़े किए हैं और मुझे यह भी बताया जाए कि जब हम 214 करोड़ रुपये के टेण्डर को 130 करोड़ रुपये के ऊपर ले गए तो जिस एजेंसी ने पैसा दिया हुआ है, क्या अधिकारियों ने वहां पर अपनी फाइल मूव की, क्या उसके बाद उस एजेंसी ने अपनी सिफारिश की कि आप बिलकुल ठीक कर रहे हैं? पिछला टेण्डर अवॉर्ड नहीं हुआ और उसके बाद भी यह स्थिति कैसे बनी? आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने तीन विषयों पर बात कही है और उन अधिकारियों को किसी भी प्रकार का शैल्टर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ठेकेदार गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रोजैक्ट की फाइल आपके पास नहीं आती और आपका इसमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैंने विषय उठाया है और मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर गहन विचार करके जल्दी-से-जल्दी इस पर कार्रवाई करें। प्रदेश को जो नुकसान हुआ है उससे बचा जाए क्योंकि हम पहले ही बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03-09-2024/1220/एच.के.-एन.जी/3

अध्यक्ष : अब माननीय उप मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्होंने जल शक्ति विभाग के प्रोजैक्ट में बड़सर की योजना की टेण्डरिंग का मामला इस माननीय सदन में उठाया है। मैं इनकी चिंता से अवगत हूं और मेरी इनसे पहले भी इस विषय को लेकर बात हो चुकी है। इनसे पहले माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी भी पिछले सैशन से पहले इस मामले को उठा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बड़सर की योजना के टेण्डर का मामला है, यह एन.डी.बी. का प्रोजैक्ट है और फॉरेन फंडिंग का प्रोजैक्ट है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1225/केएस/एचके/1

उप-मुख्य मंत्री जारी ---

और फॉरेन फंडिड प्रोजैक्ट है। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है और पूरी क्रिस्टल क्लीयर बात हम इस माननीय सदन के समक्ष रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट के लिए 131 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे और यह भारतीय जनता पार्टी के समय की बात है। इनकी सरकार थी, इनकी सरकार ने उस समय इसकी सारी स्टडी की। स्टडी भी इनके समय में हुई और उसका टेंडर भी इनके समय में हुआ। तीन कम्पनियों ने इसके लिए बिड की। एच.एस. इंजीनियर्ज़ एण्ड एसोसिएट्स कम्पनी ने इसके लिए 217 करोड़ रुपये की बिड की। एक कम्पनी जे.डब्ल्यू.आई.एल. सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट ने 228 करोड़ रुपये की बिड की और तीसरी यूनिप्रो टैक्नो कम्पनी ने 236 करोड़ रुपये की बिड की। तीन लोगों ने बिड की और एल-1 एच.एस. इंजीनियर्ज़ एण्ड एसोसिएट्स कम्पनी के साथ इनका 217 करोड़ रुपये का डायलॉग हुआ। जिन चीफ इंजीनियर साहब की माननीय सदस्य ने बात की, वे इनके परम मित्र भी हैं और इनकी मित्रता बहुत गहरी रही है। लेकिन उन्होंने इसको 201 करोड़ रुपये में नेगोशियेट किया। उन्होंने ही बताया कि ब्यास का सोर्स होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक तो शुरुआत ही गलत हो गई कि अगर बड़सर में पानी जाना था तो बड़सर के लिए ब्यास से पानी क्यों लेना था? सामने सतलुज है, सतलुज से पानी लिया जा सकता था लेकिन सारी स्कीम ब्यास से तैयार कर दी गई। 201 करोड़ रुपये का मतलब हो गया कि जो फॉरेन बैंक हमें दे रहा है, उससे 70 करोड़ रुपये ज्यादा उसके एस्टिमेट्स बना दिए गए जो कि एक बहुत बड़ी त्रुटि है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता था कि आप थे या हम थे लेकिन यह था कि प्रोजैक्ट बड़सर में बनना था। जहां 40 किलोमीटर दूर पानी उठाने चले गए जबकि उससे 20 किलोमीटर पहले ही सतलुज का पानी अवेलेबल था। उसके बाद इन्हीं की सरकार के समय में इस बात को रियलाइज़ कर लिया गया कि यह गलत हो गया और इन्होंने पत्र लिख दिया कि इसको किसी भी ढंग से

131 करोड़ रुपये में लिमिट किया जाए। हमारे पास लिमिट करने की तारीख़ भी है। यह वर्ष 2022 में हुआ जो पत्र आया कि इसको किसी भी ढंग से लिमिट करो।

03.09.2024/1225/केएस/एचके/2

अब लिमिट ब्यास से तो हो नहीं सकती थी फिर आनन-फ़ानन में जय राम जी ने शिलान्यास कर दिया। उन्होने शिलान्यास कर दिया और 201 करोड़ रुपये की उसकी वायबिलिटी बना दी और जब यह सारा कुछ हो गया और यह देखा कि ब्यास से 131 करोड़ रुपये लिमिट नहीं हो सकती फिर यह शुरू हुआ कि इसको किसी ढंग से सतलुज में ले जाया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1230/av/yk/1

उप-मुख्य मंत्री -------- जारी

फिर यह शुरू हुआ कि इसको किसी ढंग से सतलुज पर ले जाया जाए। यहां पर जिन चीफ इंजीनियर साहब की बात की गई है उन्होंने एक पत्र लिखा जिसका इन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन उन्हीं चीफ इंजीनियर साहब ने सतलुज की 135 करोड़ रुपये की जस्टिफिकेशन बनाकर भेज दी। ...(व्यवधान) यह भी उन्होंने ही किया। यदि उन्होंने 201 करोड़ रुपये की जस्टिफिकेशन बनाई थी और उसके बाद उन्होंने एक पत्र भी लिखा तो उसके पश्चात उनके साइन से ही सतलुज से 135 करोड़ रुपये की बात आ गई। यहां पर जिस बात का उल्लेख मेरे माननीय मित्र कर रहे हैं कि 131 करोड़ रुपये है। सवाल यह है कि इसमें प्रदेश के वित्त विभाग ने कह दिया कि हम आपको 70 करोड़ रुपये नहीं दे सकते। आपका प्रोजैक्ट है और एन0डी0बी0 फंडिड है, सारी स्कीम उस हिसाब से बनती है कि कितना पैसा चाहिए था। आपने 131 करोड़ रुपये सैंक्शन करवाए तो आप इसको 131 करोड़ रुपये के अंदर लिमिट कीजिए। इन्होंने फिर सतलुज से पानी उठाने का फैसला किया। इसमें दो कम्पोनेंट हैं जिसके अंतर्गत एक तो पूरे बड़सर को पानी देना है और जो बड़सर को पानी देना है उसमें कोई चेंज नहीं है। वहां बड़सर में पूरी आबादी को पानी मिलना है, इसमें एक कम्पोनेंट तो यह है। दूसरा कम्पोनेंट जो मेरे साथी उठा रहे हैं कि

आपने व्यास से पानी उठाना था तो आपने सतलुज से क्यों उठाया? यह एक तकनीकी विषय बन गया क्योंकि अगर व्यास से उठाते तो 70 करोड़ रुपये ज्यादा लगने थे। इन्होंने नेगोशिएट किया और उसमें 126 करोड़ रुपये की नेगोसिएशन करके उसको सतलुज से कर दिया। अब इनका यह कहना है कि अगर सतलुज से किया तो आपको टैण्डर करना चाहिए था। यहां पर जो पाइप का इश्यू है तो उसमें 40 करोड़ रुपये के आस-पास की सेविंग है अगर व्यास या सतलुज से ले जाना हो। पाइप तो उन्हीं सौ प्रतिशत हैबिटेशन को जानी है और वैसे ही सबको पानी मिलना है। मेरे साथी का यह कहना कि आपने सोर्स कैसे बदला तो मैंने यह डायरैक्शन दे दी है कि सोर्स का टैण्डर द्वारा किया जाए। अगर आप व्यास से सतलुज पर ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, विभाग का यह कहना है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब कीमत बढ़े या घटे लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने सोर्स चेंज किया है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि इस दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली से नेगोशिएट किया। पहले सतलुज

03.09.2024/1230/av/yk/2

से पानी नहीं उठाने देते थे और हमें उनसे एन0ओ0सी0 लेना पड़ता था। इसी बीच यह करार हो गया और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने पत्र जारी कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अगर किसी भी ढंग से सतुलज से पानी उठाना है तो उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहले यह कहा था कि हम व्यास इसलिए जा रहे हैं कि सतलुज से परमिशन नहीं मिलती और उसी में सालों-साल निकल जाते हैं। इन्होंने जो 201 करोड़ रुपये की जस्टिफिकेशन बनाई थी उसमें बिल्कुल क्लीयर लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि बड़सर को सतलुज से पानी देना है तो मैंने जैसे ही आपने ध्यान में लाया उसका काम रुकवा दिया था और बाईचांस इस स्कीम के सोर्स पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। हमने अब यह कर दिया है कि आगे से जब भी कोई प्रोजैक्ट मंजूर किया जाएगा तो वह फाइनल अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री के ध्यानार्थ आएगा। कोई भी प्रोजैक्ट जो आपको लगता है कि 10-15 करोड़ रुपये से ऊपर का है, वह फाइनल अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री के ध्यानार्थ आएगा ताकि कम-से-कम मिनिस्ट्री को तो पता हो कि विभाग में हो क्या रहा है।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1235/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
उप मुख्य मंत्री .... जारी

ताकि कम-से-कम मिनिस्ट्री को तो पता हो कि हो क्या रहा है? अब तक यह होता था कि मिनिस्ट्री को पता ही नही होता था कि विभाग में टेंडर कौन कर रहा है? ...(व्यवधान)... नहीं-नहीं 131 करोड़ तो आपने लिमिट किया और हमारी सरकार के समय में 126 करोड़ रुपये में फाइनल हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि 131 करोड़ रुपये में लिमिट करने का पत्र आपने लिखा था। यह आपकी चिट्ठी है। अध्यक्ष महोदय, एन0डी0बी0 का सारा टेंडर 745 करोड़ रुपये का था। इसमें क्या हुआ है, मैं किसी पर अंगुली नहीं उठाना चाहता और न ही मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता हूं लेकिन मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसके 18 पैकेज थे। इसका जो पैकेज नम्बर-1 था उसके लिए 61 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन मिली थी। अध्यक्ष महोदय, यह 61 करोड़ रुपये का टेंडर था और यह टेंडर पूर्व की सरकार ने 71 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था। जब सरकार बदली तो हमने इसको 65 करोड़ रुपये पर लाया । दूसरा, टेंडर 29 करोड़ रुपये का था और उसको 28 करोड़ रुपये में अवार्ड किया गया और जब इसकी डी-स्कोपिंग की गई तो यह 25 करोड़ रुपये में लाया गया। तीसरा टेड़र जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 31 करोड़ रुपये की थी उसको इन्होंने 34 करोड़ रुपये में दे दिया। हमारी सरकार ने बाद में उसको 27 करोड़ रुपये में लिमिट किया। चौथा टेंडर 13 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 20 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था उसको हम 12 करोड़ रुपये पर लेकर कर आए। पांचवां टेंडर 27 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 33 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था और हम इसको 27 करोड़ पर लेकर आए। अगला टेंडर 21 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 25.5 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था इसको हम 24 करोड़ रुपये में लेकर आए। इससे अगला टेंडर 59 करोड़ रुपये का था जिसको 61 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था, इसको 55 करोड़ रुपये में लिमिट किया गया। इससे अगला टेंडर 45 करोड़

रुपये का था, ये सारे टेंडर एन0डी0बी0 के हैं। ...(व्यवधान) मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप भी सुन लीजिए सारे टेंडरों में क्या हुआ? ...(व्यवधान)

03.09.2024/1235/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

Speaker: I will allow you Shri Bikram Singhji, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए समय दूंगा।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये 24 टेंडर एन0डी0बी0 के टेंडर हैं। ये एक टेंडर की बात कर रहे हैं, मैं इनको सभी टेंडर की बात बताना चाहता हूं कि उनमें क्या हुआ है? आठवां टेंडर 45 करोड़ रुपये का था उसको इन्होंने 46 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया और बाद में उसको 40 करोड़ रुपये में लिमिट किया गया। नौवां टेंडर 60 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 81 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था इसको हमने 65 करोड़ रुपये पर लाया। इससे अगला टेंडर 30 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 36 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था, इसको 27 करोड़ रुपये में लाया गया। अगला टेंडर 32 करोड़ रुपये का था इन्होंने इसको 38 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था और इसको 31 करोड़ रुपये पर लाया गया। इससे अगला टेंडर 30 करोड़ रुपये का था जिसको इन्होंने 44 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया था इसको 38 करोड़ पर लाया गया।

एन0एस0 द्वारा जारी

03-09-2024/1240/एन0एस0-ए0जी0/1

उप-मुख्य मंत्री----- जारी

अध्यक्ष महोदय, तेरहवां टेंडर 17 करोड़ रुपये का था और इन्होंने 26 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया, बाद में इसको 19 करोड़ रुपये में लाया गया। चौदहवां टेंडर 26 करोड़ रुपये का था और इन्होंने 29 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया जिसको बाद में 25 करोड़ रुपये किया गया। पंद्रहवां टेंडर 30 करोड़ रुपये का था जिसको 66 करोड़ रुपये में अवार्ड

किया गया और इसको बाद में 54 करोड़ रुपये में लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सोलहवां टेंडर 68 करोड़ रुपये का था और इसको 70 करोड़ रुपये में अवार्ड कर दिया तथा बाद में इसको 63 करोड़ रुपये पर लाया गया। सत्रहवां टेंडर 36 करोड़ रुपये का था, यह 38 करोड़ रुपये में अवार्ड हो गया। जिस टेंडर की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसके लिए लगभग 131 करोड़ रुपये थे और उसमें लिमिट करने की डायरैक्शन आपकी सरकार के समय ही हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 12 करोड़ रुपये जैसे प्रोजैक्ट मेनेजमैंट जैसे छोटे कार्य होने हैं, स्टेशनरी आदि के लिए रखे गए थे। अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर 745 करोड़ रुपये के टेंडर में लगभग 200-225 करोड़ रुपये ऊपर हो गए हैं। हमने बाल की खाल नहीं निकाली अन्यथा आप ये देख सकते हैं कि इन टेंडर्ज में क्या हुआ है? माननीय सदस्य ने यहां पर एक पर्टिकुलर टेंडर की बात ध्यान में लाई और उसमें सोर्स का विवाद है। टेंडर एल-1 को ही गया है। टेंडर आपके समय में ही हुआ। ...(व्यवधान) इसलिए तो उसको सोर्स पर ले जा रहे हैं।

Speaker: I will allow you (Shri Bikram Singhji). Let him complete.

03-09-2024/1240/एन0एस0-ए0जी0/2

उप-मुख्य मंत्री : अगर आप चाहते हैं कि उसको ब्यास पर ले जाना है। मैं ब्यास पर ले जाने के आदेश दे दूंगा पर 70 करोड़ रुपये फालतू लगेगा और उसके जिम्मेवार आप होंगे। अध्यक्ष महोदय, एन0डी0बी0 से उसकी सारी रीइंबर्समेंट आ रही है। They are in agreement. जो इलाके को पानी मिलना है उसमें कोई चेंज ही नहीं है। वह तो शत प्रतिशत उसी इलाके को मिलना है। मसला सोर्स का है। हम सोर्स का टेंडर दोबारा करवा रहे हैं। सोर्स का टेंडर ध्यान में लाने के बाद हमने कह दिया कि आप सोर्स का टेंडर रद्द करो और सोर्स का नया टेंडर करवाओ। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। आपने मेरे ध्यान में लाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हालांकि, सारे लोग कह रहे हैं कि ये कॉंपिटेटिव रेट्स पर है और इसकी एन0डी0बी0 से परमिशन्ज हैं और इसके लिए 10 सदस्यों की टेक्निकल कमेटी ने अप्रूवल्ज दी हैं। हमने इन सब को नजरअंदाज करते हुए आपके पक्ष को वैल्यू करते हुए कहा कि आप सोर्स का टेंडर करें ताकि अगर लगता है कि

कॉंपिटेटिव रेट्स में सोर्स डाउन जाता है तो डाउन जाएगा। अब दिक्कत क्या है? साथ में नदौन की एक स्कीम बन रही है। इस स्कीम में जो पार्ट 8 करोड़ रुपये का है तो नदौन की स्कीम में 15 करोड़ रुपये का है और इसका टेंडर प्रेजंट रेट्स पर हो गया है। इसलिए प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज जरूर हैं लेकिन मैंने आपकी सोच को वैल्यू किया है। हमने यह भी कर दिया है कि अब टेंडर्ज मंत्रियों के पास आएंगे। मैं अभी दिल्ली गया था और हमें जो सैंक्शन्ज लेनी थीं उनकी सारी सैंक्शन्ज मिनिस्टर करते हैं। उसकी फाइनल अप्रूवल मिनिस्टर करते हैं। हमने कहा कि जब दिल्ली में 40 करोड़ रुपये की अप्रूवल यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं, 65 करोड़ रुपये की अप्रूवल यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं तो यहां पर भी ऑफिसर्ज लैवल तक सारे टेंडर्ज unlimited power to officers उसको रोक कर प्रधान सचिव या सचिव, हि0 प्र0 सरकार तक फाइल आए और मिनिस्टर को भी फाइल आए ताकि पता लगे कि विभाग में क्या हो रहा है? आप मेरे ध्यान में लाए और हमने उसके अनुसार कदम उठाया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष ---- आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

03.09.2024/1245/RKS/AG-1

अध्यक्ष : माननीय श्री बिक्रम सिंह जी क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्ट हैं। मैंने इनसे दो-तीन चीजों के बारे में प्रश्न पूछे हैं लेकिन इन्होंने दुनियाभर के टेंडरों के रेट बता दिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर आप क्या देखते रहे? अब बाल की खाल निकालने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रदेश में जो ए, बी,सी, या डी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि जिन्होंने गलती की है उनके विरुद्ध आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपने कहा था कि मैं 200 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द कर रहा हूं लेकिन वह टेंडर अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे मुख्य-मुख्य प्रश्नों का ही उत्तर जानना चाहता हूं। आपने पानी के सोर्स को बदल दिया है लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जिस सोर्स का आपने 131 करोड़ रुपये का टेंडर किया है, उस सोर्स का क्या स्टेटस रहेगा? अगर आपने विधान सभा में काम करना है तो आपको विधान सभा के परिसर से बाहर वाला सोर्स ही पकड़ना चाहिए। आपको माल रोड वाले सोर्स की पकड़ने की कोई

आवश्यकता नहीं हैं। आपको इस अंतर को समझना होगा। पाइप या मोटर कम हुई हो या नहीं यह अलग बात है लेकिन सारी चीजें बदलने के बाद एक अधिकारी यह लिख कर दे रहा है कि उसने ही 201 करोड़ रुपये का टेंडर दिया था। यह बात आपने भी कही है। मैं कह रहा हूं कि 8 सदस्यों वाली कमेटी में एक व्यक्ति यह कह रहा है कि हम टेक्निकली गलत करने जा रहे हैं और इस चीज़ को ठीक किया जाए। यह तभी ठीक हो सकता है जब इसकी रिटेंडरिंग होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने रिटेंडर क्यों नहीं किया? आप कह रहे हैं कि उसके रेट बड़े तुलनात्मक थे। यह इस बात का उत्तर नहीं है। अगर किसी प्रोजैक्ट में मेरे रेट ठीक हो तो फिर क्या आप टेंडर नहीं करेंगे? ब्यास नदी का टेंडर अभी अवार्ड नहीं हुआ था लेकिन आपने सोर्स चेंज करने के बाद उसी टेंडर में उसी ठेकेदार को टेंडर अवार्ड कर दिया। मेरा सवाल है कि इसके पीछे जिन लोगों की गलती है क्या आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? मुझे इस बात का पता नहीं है कि ई.एन.सी. प्रोजैक्ट कौन है? क्या आप उनसे पूछेंगे कि ई.एन.सी. प्रोजैक्ट कौन है? मुझे यह भी आश्वस्त किया जाए कि जो इतना बड़ा घपला हुआ है उसकी आप किस एजेंसी से जांच करवाएंगे? जिन इंजीनियर्ज के पास इतनी बड़ी डिग्रियां हैं उन्हें यह मालूम नहीं है कि एक सोर्स पास में भी है। यह करोड़ों रुपये का प्रोजैक्ट है और वे इस प्रकार की गलती कर रहे हैं जोकि उचित नहीं है। आपने उन पर क्या एक्शन लिया?

03.09.2024/1245/RKS/AG-2

आपने खुद कहा है कि यह गलत है और इस टेंडर को रद्द करना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यह टेंडर रद्द क्यों नहीं हुआ और जिन लोगों ने गलती की है उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सारी बात को जान चुके हैं। अब मैं न मानूं की बात अलग है। माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं और इन्होंने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस चीफ इंजीनियर ने यह 200 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द करने के लिए कहा था उसी ने 135 करोड़ रुपये का टेंडर अवार्ड किया है। अब क्या हम उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दें? पहले उसने 200 करोड़ रुपये का प्राक्कलन बनाया और फिर उसने कहा कि इसे रद्द कर दो। ...(व्यवधान) उसके बाद उसी ने उस टेंडर को 135 करोड़ रुपये में लिमिट किया। यह प्रोजैक्ट अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है।

अभी हमारे पास बहुत समय है और जब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने इस मामले को मेरे ध्यान में लाया था मैंने उसी समय इस काम को रोक दिया था। जब इन्होंने कहा कि सोर्स चेंज हो रहा है और उसके टेंडर होने चाहिए; हमने उसी समय सोर्स के टेंडर करने के लिए कह दिया था। हमने सोर्स को सतलुज नदी से लेने के लिए कहा था। उसके बाद ओर्जिनल स्कीम आ गई। अब ब्यास नदी से बड़सर को पानी मिलना है। आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए मैंने प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी गठित की है। यह टेंडर पहले क्यों 200 करोड़ रुपये में हुआ, इसका सोर्स पहले क्यों ब्यास नदी में ढूंढा गया और फिर क्यों सतलुज नदी से यह सोर्स पकड़ा गया तथा यह टेंडर किस ढंग से हुआ इसके बारे में मैंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आपका जो असली मकसद सोर्स चेंज होने का था उसका हमने समय रहते निवारण कर दिया है। आपको धन्यवादी होना चाहिए कि मंत्रालय की ओर से इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। जब मेरी रात को आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि इसमें ऐसा-ऐसा हुआ है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

03.09.2024/1250/बी.एस./ए.एस-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

बाकी जो 17-18 मीटर पाइप का अंदर खत्म हो रहा है उससे 40 करोड़ रुपये की पाइप कम लग रही है। इसमें सिर्फ यही है कि सोर्स की अनुमति हमें सतलुज वालों से नहीं लेनी पड़ेगी। हम नया सोर्स ले सकते हैं, बाकी सारा वही है और उसी बड़सर को पानी मिलना है। एक बात मैं आपसे और भी कह देना चाहता हूं कि ब्यास में जितनी स्कीमें बन चुकी हैं, आपने देखना कि ब्यास का हाल क्या है, इसकी स्थिति क्या है? वहां पर मुख्य मंत्री जी की भी स्कीमें बन रही हैं। आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में स्कीमें बन रही हैं, इसे आपने सदन के ध्यान में भी लाया है और कहा कि आपने 200 करोड़ रुपये दे दिए और उसके टेंडर अलग से कर दिए। वे स्कीमें उसी तरीके से स्वीकृत हुई हैं। इन्होंने वे स्कीमें अपने क्षेत्र में पानी पहुंचाने के हिसाब से स्वीकृत करवाई हैं और वह पैसा स्पेशल असिस्टेंस का है। तीसरा, माननीय सदस्य यह देख लें कि जो आपके समय में जो टैंडर होते थे,

उससे हट करके कोई टेंडर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो 745 करोड़ रुपये इस स्कीमें के लिए आया है और जो सवा नौ सौ रुपये के टेंडर हो गए, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें प्रदेश सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा और 745 करोड़ रुपये में 24 में से 24 स्कीमें लिमिट की जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन अधिकारियों को यह कार्य करना पड़ेगा। आप प्रश्न उठा रहे हैं परंतु मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य किसने किया? जिसने भी किया यह सब आपके सामने हैं और यह आपके साथी ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोस्ती होती है और मुझे भी पता है कि आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा सही जवाब कोई नहीं हो सकता। इसका और क्या तरीका है आप ही बताइए? आप मंत्री रहे हैं, क्या इसके रिटेंडर कर दें?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो इसमें आश्वासन मिल गया है। आप क्या स्पष्टीकरण चाहते है?

03.09.2024/1250/बी.एस./ए.एस-2

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ व्यक्ति लगातार इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, रिटेंडर हो जाएगा, यह तो मैंने भी बता दिया है। परंतु जिन्होंने यह किया है उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, इनके चुनाव क्षेत्र से हैं। उसकी दो चिट्ठियों को ऑथेंटिकेट मान रहे हैं कि 201 की बात की 131 की बात की। उसने यह लिख करके दिया कि रिटेंडर होना चाहिए। इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। आपकी जो लगातार लगभग सात स्टेटमेंट्स हैं आपने कहा कि 200 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द हुआ परंतु जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वह टेंडर क्यों रद्द नहीं हुआ?

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी अपनी बात कहिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये एन.डी.बी. का टेंडर है और दिसम्बर तक उनके पैसे की रिइंबर्समेंट होनी है। उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि नहीं लेना है, मेरी तरफ से बड़सर की स्कीम को समाप्त कर दो। ...(व्यवधान)..

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया उप-मुख्य मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दें।

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, कृपया आप मेरी बात सुनिए। ये दिसम्बर तक 131 करोड़ रुपये एग्जॉस्ट करना है। यदि नहीं करेंगे तो उसके बाद स्कीम शैल्फ हो जाएगी। अभी तक तो इस पर पैसा ही खर्च नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य उस कैबिनेट के सदस्य थे जिसमें कि ये सारे साथी, सहयोगी थे जिन्होंने सवा दो सौ करोड़ से ऊपर टेंडर किए हैं। आप उस वक्त एक बार भी नहीं बोले कि ये 23 में से 23 टेंडर ओवर एंड अबव क्यों चले गए?

श्री बिक्रम सिंह : उप-मुख्य मंत्री जी, आप भी नेता प्रतिपक्ष थे आपने क्यों नहीं इस बात को उठाया?

उप-मुख्य मंत्री : उस वक्त तो आप माननीय मंत्री थे। हमें जितनी जानकारी होती थी हम उस पर अवश्य बात करते थे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1255/डी0टी0/ए0एस0-1

उपमुख्य मंत्री जारी....

2.25 करोड़ रुपये के टेंडर हुए हैं। ये टेंडर व्यवधान... सी0बी0आई0 को तो वे केस जायेगा जब उद्योग विभाग में आपके समय में एक रुपये की लीज में चार फैक्ट्रीज को जमीन दे दी जो चार सौ करोड़ रुपये की थी। यहां तो 77 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। व्यवधान...

Speaker: Hon'ble Member Shri Bikram Singh I will allow you. Let him reply, I will give a chance to you also.

उपमुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप ही बताएं कि 400 करोड़ की जमीन इण्डस्ट्रीज को 4 रुपये में दे दी। व्यवधान... हम डरने वाले नहीं हैं हमने भी रिटेंडर के आदेश दे दिये हैं। हम 2.25 करोड़ अप हुए हैं , आप ये बात अब कर ह रहे हैं आपने उस समय एक्शन लेना था। मैंने कह दिया कि जब हमने इसके लिए कमेटी बना दी है जब कमेटी की रिपोर्ट आयेगी फिर देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। जब आपके द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया तो हमनें टेंडर दोबारा करने के लिए ओदश दे दिए। इससे ऊपर सरकार और क्या कर सकती है कि दोबारा टेंडर करने के लिए बोल दिया गया है और इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अगर बडसर के क्षेत्र को पानी देना है तो ये स्कीम लाजमी है और इसमें 77 करोड़ रुपये की सेविंग हो रही है और कुल मिलाकर 2.25 करोड़ की सेविंग हो होगी। इस मामले में कमेटी की जो भी रिपोर्ट आयेगी वह माननीय सदस्य का बता दी जायेगी।

अध्यक्षः माननीय बिक्रम सिंह संक्षिप्त में अपनी बात पूछिए।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो मैं बात कह रहा हूं उस बात से आप भी कन्विंस होंगे। मैंने एक प्रश्न किया लेकिन माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने 35 उदाहरण इसे जस्टिफाई करने के लिए दे दिए। हमनें कब रोका है? अगर मंत्री होने के नाते मैंने गलती की है तो मुझे अंदर करवाओ इससे कौन इंकार कर रहा है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे तो वह गलत होगा। आप सीधेतौर पर दो बातें बालिए कि जिन लोगों ने इतना बलेंडर किया क्या आप उनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लेंगे या नहीं? यदि कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठकर लगातार प्राजैक्टस के अंदर इस प्रकार का काम कर रहा है, क्या आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा इतना सा प्रश्न माननीय उपमुख्य मंत्री जी से है।

3.09.2024/1255/डी0टी0/ए0एस0-2

उपमुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद मंत्री रहे हैं और हम कह रहें हैं कि हम टेंडर ही रद्द कर रहे हैं और ये भी कह रहें हैं कि उसमें पैसा लगा ही नहीं है, तो ये किसके ऊपर एक्शन चाहा रहे हैं? जब हम कह ही रहे हैं कि हम टेंडर रद्द कर रहे हैं और उस सोर्स को बदल कर उसे वहां पर ले जा रहे हैं जहां माननीय सदस्य चाहते हैं, अब चाहे नफ़ा हो या नुक्सान हो, उसमें क्या है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने शराब के ठेकों से संबंधित कुछ बातें उठाईं थीं और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी भी उसपर बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि चम्बा,कांगड़ा, नुरपूर, ऊना व शिमला के रिजर्व प्राइस से बोली कम गई थी। कुछ समाचार पत्रों ने उसे ऐसे छापा जिसको हमारा लोक सम्पर्क विभाग देख रहा है, जिस भी अख़बार ने किसी के बयान को गलत छापा होगा और छापने से पहले उसमें रिसर्च नहीं की होगी, उसके खिलाफ लोक सम्पर्क विभाग जो भी कुछ हो सकता है वह करेगा। मैं कुछ चीजे स्पष्ट करना चाहता हूं हमनें जो प्रक्रिया अपनाई, क्योकि उस समय मेरे पास जो बात माननीय सदस्य ने रिजर्व प्राइस के बारे में बात रखी थी, उसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आक्शन टेंडर के माध्यम से ठेकों को आबकारी नीति व आबकारी नियमों के अंतर्गत आबंटन किया है। आपकी सरकार ने कभी भी टेंडर नहीं किया और हमेशा उन्हीं लाईंसेंसियों के पक्ष में रिन्यूवल व नेगोशिऐशन किया इसके पिछे इनका क्या उद्देश्य रहा होगा, उसका मुझे पता नहीं। जिन पांच ज़िलों की आप बात कर रहे हो उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि हमनें पूरी पारदर्शिता से आबंटन प्रक्रिया को अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया और ये आबंटन प्रक्रिया नौ बार तक की गई जो पांच जिलों की बात इन्होंने कही है। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय ये आप को सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिये।

मुख्य मंत्रीः आप बहुत अच्छे तरीके से सुनवा देते हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

03-09-2024/1300/डी.सी.-एन.जी/1

मुख्य मंत्री .....जारी

मुख्य मंत्री : यह अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, 9 बार हुई है और इसमें क्या होता है कि नेशनल व स्टेट लेवल के ऑनलाइन टेण्डर होते हैं। यह पहली बार हुआ और पिछले पांच वर्षों में कभी नहीं हुआ। इसमें जो रिजर्व प्राइज रखा होता है तो उसका टेण्डर बॉर्डर के इलाकों में कई बार रिजर्व प्राइज से कम चला जाता है और मनाली व शिमला के ऐरियाज़ में ज्यादा जाता है। रिजर्व प्राइस की प्रकिया अभी से नहीं बल्कि अनेक वर्षों से चल रही है और हमने इसमें थोड़ा परिवर्तन करके सुधार किया है। इनकी सरकार के समय में जो प्रकिया होती थी और इनका जो रिजर्व प्राइस था...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस वर्ष के लिए है और मुख्य मंत्री पूर्व के पांच वर्षों का बता रहे हैं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : विपक्ष के नेता ने बात उठाई है तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने नीचे मीडिया में बोला है इसलिए बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Chief Minister are you yielding or not? ....(Interruption)

मुख्य मंत्री : मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विपक्ष के नेता ने मीडिया में बोला है और मैं उस पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

Speaker : He is not yielding so let him complete. ....(Interruption)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस वर्ष की नीलामी का है और मुख्य मंत्री जी पिछली सरकार का बताने लग पड़े हैं। ...(व्यवधान)

Speaker: Hon'ble Member Shri Randhir Sharmaji please be seated. Let the Hon'ble Chief Minister complete. ....(Interruption)

03-09-2024/1300/डी.सी.-एन.जी/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रक्रिया बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य अपने आप में बड़े बुद्धिमान हैं और हमारे साथ रहे हैं।

अध्यक्ष : बिलकुल बुद्धिमान हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि मैं इस साल का पूछ रहा हूं और मैं इसी साल का बता रहा हूं। नियमों में कोई तोड़-फोड़ नहीं की गई है। ...(व्यवधान) सुनिए तो सही। पता नहीं बीच मे उठने की आदत क्यों हो गई है?

अध्यक्ष : थोड़ा-थोड़ तो हो जाता है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में लाइसेंस रिन्यू होते थे। इनकी सरकार के समय में कभी भी इन जिलों को आरक्षित मूल्यों से ज्यादा पर ठेका नहीं दिया गया। आपकी सरकार के समय में ठेकों का जो रिजर्व प्राइस रखा गया था वह रिन्यूअल के समय उससे भी कम रेट पर गए। जिससे प्रदेश को 221 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मैं जिलों के नाम पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आपने भी जिलों के नाम पढ़े थे। ...(व्यवधान) आप गुस्सा मत होना। आपने ठीक सवाल पूछा था तथा विपक्ष के नेता ने उसे थोड़ा सा और अच्छा बना दिया था। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि उस समय वे ही मुख्य मंत्री थे।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, ऐसा बोल-बोल कर क्या आप उन्हें बुलाना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला कांगड़ा में वर्ष 2018-19 में रिजर्व प्राइस 189 करोड़ रुपये था और ठेका 179 करोड़ रुपये में गया। वर्ष 2020-21 में 198 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस था और ठेका 181 करोड़ रुपये में गया। यह 10 प्रतिशत रिन्यूअल करने के बाद गया है। ...(व्यवधान) अब जिला मण्डी का सुन लीजिए।...(व्यवधान) जिला मण्डी तो पूर्व मुख्य मंत्री जी का गृह जिला है और उसका भी सुन लीजिए। वहां पर पिछली सरकार के पांचों साल में रिन्यूअल के बाद भी रिजर्व प्राइस से कम में ठेके दिए गए हैं।

03-09-2024/1300/डी.सी.-एन.जी/3

हमारी सरकार में बोली हुई है और आपकी सरकार के समय में रिन्यूअल किए गए थे। रिन्यूअल का मतलब यह है कि 10 या 9 प्रतिशत पर रिन्यूअल पर करना है। इनकी सरकार के समय तो रिजर्व प्राइस को भी कम कर दिया गया था। जिला मण्डी में वर्ष 2018-19 में 128 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस था और ठेका 114 करोड़ रुपये में गया। वर्ष 2019-20 में रिजर्व प्राइस 133 करोड़ रुपये था और ठेका 108 करोड़ रुपये में गया। वर्ष 2022-23 में रिजर्व प्राइस 131.44 करोड रुपये था और ठेका 131 करोड़ रुपये में गया। यह आंकड़े मैं इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि रिजर्व प्राइज मार्किट द्वारा तय किया जाता है। पूर्व मुख्य मंत्री जी जब नीचे बोल रहे थे कि स्कैम हो गया है तो मैं उन्हें उनके स्कैम की घटना के बारे में याद करवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कुल्लू में हुआ है। कुल्लू जिला एक ऐसा ऐरिया है जहां से हमें एक्साइज़ के अंतर्गत सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इनके समय में कुल्लू जिला में भी रिजर्व प्राइस से कम में ठेके आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में रिजर्व प्राइस 102.60 करोड़ रुपये था और ठेका 98 करोड़ रुपये में गया। वहां पर 4 करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया। इसी प्रकार सोलन जिला में हुआ है। इनकी सरकार के समय में हर जिला में इसी प्रकार का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक्साइज़ के जो नियम बने हैं तो हमारी सरकार ने उन नियमों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है और वे नियम जब से चलते आ रहे हैं हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। आपने तो खुदरा दुकानदारों को भी 19 करोड़ रुपये की छूट दे दी। अच्छी बात है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1305/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी---

आपने खुदरा दुकानदारों को भी 19 करोड़ रुपये की छूट दे दी और आपने मिनिमम गारंटी कोटे में देसी शराब में 5 प्रतिशत और अंग्रेजी शराब में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान कर दी जबकि आबकारी नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आपने आबकारी नीति को भी तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। आबकारी नीति में छूट का कोई प्रावधान नहीं होता। कारण कुछ भी हो सकते हैं परंतु नियम आपको इसकी अनुमति नहीं देते। हमारे समय में आपदा आई परंतु हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे राजस्व को हानि हो। कोविड वर्ष 2020 में था परंतु रिज़र्व प्राइस वर्ष 2018 से 2022 तक सभी जिलों में कम आया। अब और भी सुन लीजिए, हमने पारदर्शिता तथा निष्पक्षता रखी। 3 मार्च से बोली शुरू हुई और बोली ऐसे नहीं हुई कि कागज़ के लिफ़ाफे में बंद कर दी। घर में बैठ कर ऑनलाइन भी बोली की जा सकती है। 3 मार्च से 31 मार्च तक 9 बार बोली रखी गई। न्यूज़ पेपर, वेब पोर्टल,डी.पी.आर.ओ. के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। सभी को मौका दिया गया और इस वर्ष भी पूरे हिमाचल प्रदेश के राजस्व में 150 करोड़ से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है, दृढ़ इच्छाशक्ति है, पारदर्शिता है। हर चीज़ ईमानदारी के साथ हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। जब विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उनको अपनी याद आ रही होगी, मैं बताना चाहता हूं कि हमने अभी एक वर्ष का समय हुआ है, ऑक्शन-कम-टेंडर के माध्यम से 485 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दी। आपके पांच वर्ष के कार्यकाल में कुल 665 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। हम इस साल 150 करोड़ रुपये ले रहे हैं, 485 हो गई है और हम केवल दो साल में ही उतनी कर रहे हैं और यह सरकार की कटिबद्धता है। रिज़र्व प्राइस मार्किट तय करती है। हमने जो रिज़र्व प्राइस होता है, पिछले से 10 प्रतिशत बढ़ाकर रखा होता है। नूरपुर और इन जिलों में स्मगलिंग होती है तो कई वैंड्ज़ पहली ऑक्शन में नहीं होती तो दो वैंड जोड़कर जो नीति है, जो पिछली सरकार की नीति है, उसी के अनुसार किया जाता है तो इस प्रकार की जो स्टेटमैंट प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने दी, उसका जवाब देने के लिए हमने यह बात रखी। मैने स्टेटमेंट सम्भालकर रखी थी और मैं कल भी इंतज़ार करता रहा परंतु आप चले गए। आज आप बैठ गए तो मैं यह बताना चाह रहा था कि हमारी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पत्रकार बंधु भी हर चीज़ का डेटा-डिटेल ले कर लिखा करें। धन्यवाद।

03.09.2024/1305/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष : रणधीर शर्मा जी, लंच के बाद पूछ लेना। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह विषय तो इतना खोल दिया कि शायद लंच के बाद भी समाप्त न हो। ऐसा है कि अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर उंगलियां उठाने से वे गुनाह छिपते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था इस साल की नीलामी का और उसके साथ-साथ कुछ प्रश्न और भी थे कि पिछले साल कितनी नीलामी हुई, इस साल रिज़र्व प्राइस कितना था, जिलाशः कितनी नीलामी हुई, पिछले साल कितने युनिट्स थे, इस बार जिलाशः कितने युनिट्स बने और पॉलिसी में क्या बदलाव किया? अब उसमें भी प्रश्न लगा था सप्लीमेंट्री सारे आए नहीं थे, मैं तो सोच रहा था, मैंने फॉर्म भी लिया था कि नियम- 61 में दोबारा चर्चा मांगू परंतु मुख्य मंत्री जी ने आज ऐसे ही मौका दे दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन 12 के 12 जिलों में पिछले साल जितने में नीलामी गई, आपने उतना ही रिज़र्व प्राइस तय किया। उसमें कोई दुविधा नहीं है । मार्किट प्राइस या यह-वह तो कहने की बातें हैं।

श्रीमजी अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1310/av/hk/1

श्री रणधीर शर्मा -------- जारी

आपने उतना ही रिज़र्व प्राइस तय किया, क्लीयर? उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शराब की बिक्री के साथ-साथ टैक्स और सेल भी बढ़ती हैं। ये सारी चीजें रूटीन में बढ़ती हैं और आपने तो इन सबको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। आपने मिल्क सैस और वैट लगाया जिसके कारण इस साल नीलामी ज्यादा जानी चाहिए थी। परंतु वह 5 जिलों में कम आ गई और 4 जिलों में उतनी ही रही, मैंने इस पर प्रश्न उठाया कि ऐसा क्यों हुआ? अब मुख्य मंत्री जी इस बारे में उत्तर देने की बजाय पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। अगर पिछली सरकार के समय में रिन्यू हो रहा था तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह रिन्यूल की प्रथा कब शुरू हुई थी? मैं यह बताना चाहता हूं कि यह

प्रथा तब शुरू हुई थी जब आदरणीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। वह पॉलिसी चलती रही जिसमें आपने बदलाव किया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत है। (***)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अच्छे व सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। This will not become a part of record.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हो रहा है वह बोलना पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यूनिट क्यों कम किए? मण्डी में आठ यूनिट थे और वहां पर आठ ठेकेदार काम लेते थे मगर आपने वहां पर एक यूनिट बना दिया। वह क्यों बनाया, क्या पॉलिसी रही और किसके आधार पर बनाया, आप इस बारे में जवाब दीजिए? जिला बिलासपुर में 5 यूनिट थे, ...(व्यवधान) आप (श्री सुन्दर सिंह ठाकुर) एक्साईज मिनिस्टर हो? आपने बिलासपुर में 5 यूनिट से 2 यूनिट कर दिए। इसी तरह से नूरपुर में एक यूनिट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जिला चम्बा में 11 यूनिट से 1 यूनिट कर दिया, वहां यह किसको लाभ देने के लिए किया गया, वह आदमी कहीं आपका तो नहीं है?

अध्यक्ष : मेरे तो आप सब हैं, आपको लाभ मिलें तो मुझे भी मिलेगा। लाभ लेने वाली जगह तो आप लोग ही बैठे हैं।

03.09.2024/1310/av/hk/2

श्री रणधीर शर्मा : हम तो पिछले कल वह नोटिस इसीलिए लाए थे कि आपको उधर बिठाएं परंतु आपने रिजैक्ट कर दिया, तो हम क्या करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यही पर ठीक हूं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप शराब खरीदते हैं तो उसमें एम0आर0पी0(मैक्सिम रिटेल प्राइस) लिखा होता है और उससे ज्यादा कोई चीज़ नहीं बिकती। हिमाचल सरकार ने इस बार एम0एस0पी0 कर दिया जिसकी फुल फॉर्म मिनिमम सेल प्राइस है। ठेकेदार उससे ज्यादा 30 प्रतिशत तक बेच सकते हैं, यह कौन-सा फॉर्मूला है और किसके लिए

बनाया गया? एम0आर0पी0 में क्या दिक्कत थी जो आज एम0एस0पी0 लाना पड़ा और ठेकेदार तो 30 प्रतिशत पर भी नहीं रुक रहे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार को तो घाटा है। लोग शिकायत कर रहे हैं और इस संदर्भ में वीडियो वायरल हो रहे हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मुद्दों को भटकाने की बजाय सीधा-सीधा जवाब दीजिए। इस साल जो गड़बड़ियां हुई हैं वे क्यों हुईं और उनका आधार क्या था और वह किसको लाभ देने के लिए की गईं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गड़बड़ियां नहीं, आप क्लेरिफिकेशन मांगिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऑक्शन ऑनलाइन हुई है तो मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं हुई है। बिलासपुर में ऑफलाइन टैण्डर डाले गए और ठेकेदारों को बुलाकर कहा गया कि जिसका टैण्डर डालना था, डाल दिया और अब आप टैण्डर मत डालो। यह काम एक नहीं बल्कि अनेक जिलों में हुआ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक (***) है, यह आपकी जानकारी में नहीं है तो आपके अधिकारियों ने किया होगा। इसीलिए मैंने उस दिन भी इस मामले की न्यायिक जांच मांगी थी और मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप पारदर्शी हैं तो इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए।

टी सी द्वारा जारी...

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.09.2024/1315/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

मुख्य मंत्री : जब पढ़ कर नहीं आते तो ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसी आपकी हुई है। मैं इनको उन शब्दों का जवाब दे रहा हूं जो ये जोर-जोर से बोलकर कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने नहीं मानना, अगर नहीं मानना है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। (...व्यवधान...) क्योंकि जिस चीज का कोई मतलब न हो उसमें कहते हैं कि मैं जुबान से नहीं हारूंगा। कल आप अच्छी तरह पढ़कर आना फिर और जवाब देंगे। हमने जो आबकारी यूनिट बनाएं हैं, ये आबकारी यूनिट हर साल मार्किट को देखकर बनते हैं। इनकी टेंडर

प्रक्रिया भी होती है और ये ऑनलाइन भी होते हैं लेकिन ये इस बारे में कई बार गलत कहते हैं। आबकारी यूनिट नीति और आबकारी नियमों के तहत बनाए जाते हैं लेकिन आपके समय में इनके नियम तोड़े गए। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय शराब की दुकानों के यूनिट 60 लाख रुपये से लेकर 35 करोड़ रुपये तक के थे। जब भी यह बात होती है तो यह मार्किट को देखकर होती है और इस तरह की बात करना, सनसीन फैलाना, अपनी बात को रखना, न्यूज में बनना है तो किसी फैक्ट्स के साथ बनें। जो भी विषय तथ्यों पर आधारित होंगे हमारी सरकार उनकी इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार है लेकिन जो बातें आज बता रहे हैं ये तथ्य पर आधारित नहीं हैं। (...व्यवधान...) जो नियम होते हैं उसी के तहत सरकारें चलती है और जब नियमों की अवहेलना होती है तो आगे इंक्वायरी होती है। हमने खुदरा दुकानों को यूनिट बनाकर आबंटित किया और ठेकों का आबंटन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा होता है। अगर टेंडर या बोली आरक्षित मूल्य से कम होती है तो आबकारी राजस्व के हित में यूनिटों का आकार आबकारी नीति व आबकारी नियमों के अंतर्गत यूनिटों को बड़ा या छोटा किया जाता है जिसे क्लबिंग व डी-क्लबिंग कहते हैं। इसका निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा राजस्व हित में मौके पर लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य को जब हम एक यूनिट मानकर देखते हैं तो उससे हमें इस साल 150 करोड़ रुपये ज्यादा राजस्व अर्जित हुआ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पांच साल में 656 करोड़ रुपये और डेढ़ साल में 565

03.09.2024/1315/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

करोड़ रुपया हम अभी तक कमा चुके हैं। दूसरा, आपके समय में भी ओवर चार्जिंग होती थी और हमने भी इसमें सख्ती का प्रावधान किया है। शराब के लाइसेंस द्वारा ओवर चार्जिंग यानी मूल्य से अधिक दाम वसूलने के मामलों पर हमने पेनल्टी का सख्त प्रावधान किया है। पहले यह जुर्माना 5,000/- से 25,000/- रुपये था परंतु ओवर चार्जिंग से सख्ती से निपटने के लिए हमने 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है। 0-4 बार से अधिक उल्लंघन करने पर लाइसेंस को रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। शराब की

अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करवाने हेतु विभाग द्वारा फ्री नम्बर तथा व्हाटसऐप नम्बर 94183-31426 भी जारी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमने जहां मिल्क सैसे से 116 करोड़ रुपये कमाए वहीं

एन0एस0 द्वारा जारी ....

03-09-2024/1320/एन0एस0-वाई0के0/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

हमने एक और सैस लगाया है, पी0के0 सैस लगाया है। हमने यह सैस इस बार लगाया है और इससे भी इंकम होगी। लगभग 150 करोड़ रुपये राजस्व में आ रहे हैं और उसके अलावा पी0के0 सैस मतलब प्राकृतिक खेती सैस से भी इंकम होगी यानी जो व्हिस्की पिएगा उसको एक सैस और लगेगा। इसलिए माननीय सदस्य मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : शुक्र है पीने के बाद कोई सैस नहीं देना पड़ रहा है। अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक स्थगित की जाती है।

03.09.2024/1420/RKS/एजी-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02:20 बजे पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : आप पता नहीं कौन सा प्वाइंट रेज करने वाले हैं। अब हम अगली आइटम विधायी कार्य ले रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं उस विषय पर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) हमारे पास अभी बहुत समय है। अगर आप सभी की इजाजत है तो मैं कुछ और करने जा रहा था। ...(व्यवधान) मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में पढ़ देता हूं।

Points of Order and decisions thereon.—(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker. This is one thing.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a Member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House.

(3) Subject to the conditions referred to in sub-rule (1) and (2), a Member may formulate a Point of Order and the Speaker shall decide whether the point raised is a Point of Order and if so, give his decision thereon, which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a Point of Order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

03.09.2024/1420/RKS/एजी-2

(6) A Member shall not raise a Point of Order:

(a) to ask for information; or

(b) to explain his position; or

(c) when a question on any motion is being put to the House; or

(d) which may be hypothetical; or

(e) that Division Bells did not ring or were not heard.

So these are the six conditions.

Conditions by BS in Hindi . . . .

03.09.2024/1425/बी.एस./ ए.जी-1

व्यवस्था का प्रश्न जारी....

अध्यक्ष जारी जारी...

जो व्यवस्था के प्रश्न को फोरबिड करती हैं। मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी और मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी। इसमें स्पष्टीकरण हो गया है और इश्यू भी क्लीयर हो चुका है। अब यह व्यवस्था का प्रश्न हर इश्यू पर नहीं हो सकता। यदि आप मुख्य मंत्री जी की स्टेटमेंट पर कोई चर्चा चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों के तहत आप एक नोटिस दे दीजिए, कल-परसों तक मैं उसे परमिट कर दूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो इश्यू रेज करना चाह रहा हूं वह मीडिया से संबंधित है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मीडिया की तरफ से कुछ बोलना चाह रहे हैं? I am not permitting you only to the extent what you want to clarify regarding the Media. Shri Randhir Sharmaji, only to that extent otherwise I will not allow.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब सुबह प्रश्न काल के दौरान चर्चा हो रही थी और आपने चर्चा करवा कर व्यवस्था देने की बात की उस समय आपने कुछ निर्देश और कुछ बातें मीडिया के बारे में कहीं हैं। आपने कहा कि बहिर्गमन होता है या बहिष्कार होता है या प्रोटेस्ट होता है।

Speaker: There is a difference between boycott and protest.

श्री रणधीर शर्मा : यदि यहां कोई बात आती है तो कहीं आप घोटाला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अध्यक्ष महोदय, यदि हम यहां से बाहर जा करके बहिर्गमन बोलते हैं तो मीडिया उसे बहिर्गमन लिखता है। उसमें अगर आप कार्रवाई करेंगे तो यह सही बात नहीं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी कौन उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है?

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी ओर से चेतावनी दी गई है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है और न ही मैंने इस तरह की कोई चेतावनी दी है।

03.09.2024/1425/बी.एस./ ए.जी-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यदि घोटाला हुआ है तो पत्रकार उसे घोटाला लिखेंगे। यदि आप कहेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई होगी तो यह उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रोग न लगे।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं कि बाहर जा करके कोई चोर बोलता है तो उन्हे चोर लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता। जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स हैं कि उसकी पहले जांच करवाइए और उसके बाद उसे लिखे। किसी की बात के अगर कोई डेरोगेट्री रिमार्क्स होते हैं। उसको किसी पत्रकार को जांच से पहले नहीं लिखना पड़ता ये कुछ नियम होते हैं। अगर कोई लिख दे, या कल को बोल दे कि यह चोर है जी, या हमने बोल दिया तो उसे नहीं लिखा जाएगा। उसकी जांच करके पत्रकार महोदय, लिखते हैं। किसी भी चीज को लिखने से पहले जांच जरूरी है। कल को मैं बोल दूं कि आदरणीय रणधीर शर्मा जी चोर हैं, मैं बाहर बोल दूंगा तो क्या पत्रकार उसे लिख देगा? पहले वह जांच करता है। पत्रकारिता का सम्मान करना हम सब की जिम्मेवारी है परंतु पत्रकारिता के भी कुछ एथिक्स होते हैं। उसके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है और मुझे लगता है कि पत्रकार भी एथिक्स के हिसाब से काम करें। निश्चित तौर पर सब आदमियों को अधिकार है अगर किसी के बारे में कुछ लिखना है तो उसकी व्यक्तिगत जानकारी की जांच होनी चाहिए, तभी कुछ लिखना चाहिए और तभी अच्छा लगता है, धन्यवाद।

श्री रणधीर शर्मा : मुख्य मंत्री जी, जो आप बात कह रहे हैं, आप भी कई बार प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपने यहां पर उस दिन मेरे ही प्रश्न पर कहा कि घोटाला तो आपके समय में हुआ है और आपने यह इच्छा जाहिर की कि उसे मीडिया लिखे। उसी आधार पर हम भी कह रहे हैं और हम भी तथ्य दे रहे हैं। यदि आपको लगता है कि घोटाला नहीं है तो आप हम पर कार्रवाई करो। आप पत्रकारों को क्यों लिखने से रोग रहे हैं। उनकी स्वतंत्रता को क्यों बंद कर रहे हैं? हम नाम ले करके आरोप लगा रहे हैं और मीडिया पर लाइव हो करके लगा रहे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1430/डी0टी0/ए0एस0-1

श्री रणधीर शर्मा जारी....

अगर वह आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं और आप समझते हैं कि गलत आरोप हैं, तो जो कार्रवाई आपने करनी है वह हमारे ऊपर कीजिए। अगर आप मीडिया को इस तरह डरायेंगे-धमकायेंगे तो जो हमारे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तम्भ है उसके अधिकारों का हनन होगा और हम इसे सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस संबंध में एफिडेविट देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार उसमें जांच भी करवायेगी क्योंकि जो एफिडेविट दे हम उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लायक होते हैं। सदन की छूट प्राप्त करके यहां पर सदस्य हर कुछ बोलता है क्योंकि सदन ने माननीय सदस्यों को ये छूट दे रखी है। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी आप एफिडेविट दीजिए, हमारी सरकार किसी भी घोटाले की जांच करवायेगी। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। This is true. अगर घोटाला है तो उस पत्रकार को घोटाला लिखना चाहिए। अगर किसी के कहने से घोटाला या चोर शब्द किसी के विरूद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं बोल दूं कि रणधीर शर्मा जी डाकू है, रणधीर शर्मा जी चोर है। ये बात मैं इस सदन में बोल सकता हूं कि आप चोर हैं लेकिन बाहर मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैंने बाहर ऐसा बोला तो आप मुझमें मानहानि का दावा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय आप इसमें अपनी व्यवस्था दीजिए।

Speaker: Shri Randhir Sharmaji, please complete your statement within one minute.

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जो बात कह रहे हैं मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज तक जिन भी सरकारों ने जांच की है क्या उन्होंने जांच एफिडेविट लेकर की है? इतिहास बता दें या उससे संबंध कोई रिकार्ड दिखा दें हम भी एफिडेविट दे देंगे। अगर सरकार ईमानदार है, अगर मुख्य मंत्री मानते हैं कि हम बड़े पारदर्शी हैं, तो जांच करने से क्यों घबराते हैं। आप ज्यूडिशियल इन्क्वारी करवाईये आपको डर किस बात का है, उसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है? फैक्टस सामने हैं। वह मैंने नहीं दिए ये फैक्टस मैं अपने घर से नहीं लाया। ये फैक्टस आपके ही विभाग ने दिए, आप के माध्यम से दिए, आपने वेट करके दिए, उन्हीं के आधार पर ये साबित हो रहा है। इसलिए आप जांच से डर क्यों रहे हैं? जांच करवाना या न करवाना सरकार का

3.09.2024/1430/डी0टी0/ए0एस0-2

विशेषाधिकार है। परन्तु आप समाचार पत्रों में लिखने से मीडिया को नहीं रोक सकते। अगर हम आरोप तथ्यों के आधार पर लगायेंगे तो Media is free. उपमुख्य मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी हंस रहें हैं क्योंकि ये खुद भी पत्रकार रहे हैं। ये क्या-क्या लिखते थे कैसे-कैसे लिखते थे, ये सब जानते थे। इसलिए पत्रकारों की आजादी को समाप्त करने का प्रयास अगर होगा तो ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।

अध्यक्ष: ये जो विषय यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने उठाया उसमें मेरा ही उल्लेख किया, फिर उसे किसी ओर दिशा में डाइवर्ट कर दिया। मैंने सुबह ये कहा था पत्रकारों की स्वतन्त्रता के ऊपर कहीं भी हस्तक्षेप ये मान्य सदन नहीं करना चाहता। Let me clarify this पर पत्रकार बंधुओं की भी जिम्मेवारी है। पत्रकारिता भी लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है जो यहां के संवाद को जनता तक पहुंचाता है। काई भी ऐसी ख़बर जिसका संबंध किसी से ही न हो और जो रिकार्ड में न हो और सदन के भीतर उसको उस तरीके से डिस्कस न किया हो और उसकी मीडिया रिपोर्ट कर दे तो नियम तो उनपर भी वही लगते हैं। मैने सुबह भी यही कहा था that if you will distort from news whatever is being discussed in the House and i.e. distorted in the Media obviously is covered

under same rules. This House is a supreme House and it can take action against all the four pillars of democracy also. So this is what I wanted to refer. Yesterday also I said it that we have not taken a cognizance of the issue which brought under Rule-274. We have not taken a cognizance of it then how the Media reported to that. That issue was not discussed in the House. Even the H.P. Vidhan Sabha Secretariat had rejected it.

Continued in English by A.S. ...

03-09-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/1

अध्यक्ष.....जारी

So that is the concern. By that distortion a very wrong message has been travelled to the public at large. You can say anything but that is not a thing to be reported. So this is what the concern of the Hon'ble Chief Minister is? The things are to be reported, first, it should be verified from the record. So this is what I wanted to clarify. Therefore, in any case anybody violates to that certainly he will liable to the actions.

Now we take the Item No.-5

03-09-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, इसके ऑब्जैक्ट एण्ड रीजन भी बता दीजिए। What do you want to bring before the House.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब इस बिल पर चर्चा की जाएगी उस समय बता दूंगा। आज तो केवल ले करना है।

अध्यक्ष : इस बिल पर अख़बारों ने तो पहले ही लिख दिया है। You can make a small statement about it.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

03-09-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 24) पुरःस्थापित हुआ।

03-09-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/4

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार-विमर्श :-

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी से आग्रह है कि इस पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) लाया गया है। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977 की धारा-1 में जो संशोधन किया गया है उससे प्रदेश में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं।

सरकार का इस संशोधन को लाने का मकसद तो ठीक है क्योंकि आपदा व बाढ़ के समय अनेक इमारतें व भवन ढ़ह जाते हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए इमारतों का निर्माण सही ढ़ंग से हो, जल निकासी सही ढ़ंग से हो, मजबूत नींव व संरचना आदि सभी को सुनिश्चित किया जाए, इसलिए सरकार ने यह

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1440/केएस/डीसी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी ---

एक अमेंडमैंट लाई है। जो पहले हमारा 1977 का अधिनियम था, उसके मुताबिक 2500 स्क्वेयर मीटर या इससे ज्यादा के जो प्लॉट थे, उनमें टी.सी.पी. की धाराएं लागू होती थीं। अब इन्होंने संशोधन लाकर 2500 वर्ग मीटर की बजाय 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट और उसके ऊपर के जितने भी प्लॉट हैं, उनमें अगर हमने कोई भवन बनाना है, कोई परियोजना शुरू करनी है तो उस पर भी टी.सी.पी. के नियम लागू होंगे, यही आपका संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमेंट दी थी वह तो मात्र इतनी थी कि आप होरिजेंटल देख रहे हैं परंतु वर्टिकल भी देखिए। एरिया 100 स्क्वेयर मीटर नहीं है परंतु मंजिलें 7 उठा दी हैं, स्वॉयल टैस्ट नहीं हुआ है तो वह भी कई बार खतरे की निशानी होती है। तो उसको भी इन्क्लूड करना चाहिए परंतु जो इस बिल की मूल भावना है, वह सिर्फ इतना करने से कवर नहीं होती। इससे समाज में हड़कंप मचेगा और समाज में बहुत ज्यादा रोष पैदा होगा क्योंकि इन्होंने कोई एरिया स्पैसिफिक नहीं किया है। इसके मुताबिक तो कोई अपने गांव में भी, अपनी पालंगरी में भी, अपनी जमीन पर अगर बड़ा मकान बनाना चाहेगा तो उसके ऊपर भी टी.सी.पी. लागू हो जाएगा। इसलिए सुझाव तो यह है कि नदी-नाले जहां बाढ़ आने की संभावना है, उनके नज़दीक तो आप इस तरह के नियम लागू करें परंतु जो प्लेन क्षेत्र हैं, उसमें आप हमारे बिलासपुर और ऊना आदि के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ रहे हैं। इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि टी.सी.पी. से नक्शा पास करवाना आसान नहीं होता और पूरे प्रदेश में लागू करने से लोगों में बहुत ज्यादा रोष होगा।

दूसरा, जो यह अमेंडमेंट है, टी.सी.पी. से रिलेटिड किस एरिया में लागू होना है और किस एरिया में लागू नहीं होना है, उसके लिए कहीं न कहीं लोगों से ऑब्जैक्शन्ज़ भी मांगने पड़ते हैं। आपने कोई एरिया टी.सी.पी. के अंडर लेना है तो जनता को तीन महीने का समय देना पड़ता है कि वह अपने ऑब्जैक्शन्ज़ दे। आप सडनली यह बिल ला रहे हैं जिसमें पूरे प्रदेश की जनता आ रही है। ऑब्जैक्शन्ज़ आपने विधायकों से भी नहीं लिए हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह संशोधन जल्दबाजी में

03.09.2024/1440/केएस/डीसी/2

लाया गया है। इसको जल्दबाजी में पारित करने की बजाय सिलेक्ट कमेटी बनाकर उसमें उसको भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी प्रदेश में भ्रमण करे। जो ऐसे स्पैसिफिक क्षेत्र हैं, जहां बाढ़ से नुकसान हो सकता है, बाढ़ से जो प्रभावित हो सकते हैं, उन क्षेत्रों में तो आवश्यक है, करिए परंतु एक ही निर्णय पूरे प्रदेश में लागू करना तर्कसंगत नहीं है। आपने तो इस मामले में एक तरह से तुगलकी फ़रमान लागू करने वाली बात की है। उसको न करके इसको सिलेक्ट कमेटी बनाकर उसमें भेजा जाए। विधायकों की राय आए और सिलेक्ट कमेटी के विधायक पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से तथा अन्य जन प्रतिनिधियों से चर्चा करके इससे भी ज्यादा बातें लानी होंगी, वह भी लाए परंतु इस तरह जल्दबाजी में इसको ला कर जनता को परेशान करने का काम न करें। धन्यवाद।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, जो भावना यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने रखी है, मैं अपने आपको उसी में समावेश करता हूं। विषय पूरे हिमाचल प्रदेश का है। जो यहां पर श्री राजेश धर्माणी जी के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद इनकी मंशा ठीक हो सकती है परंतु क्यों न यहां पर माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इसको सिलेक्ट कमेटी में रखा जाए और इसको उसमें चर्चा करने के बाद ही अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

श्री सुधीर शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)जो यहां पर लाया गया है, मैं उसके बारे में

यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जब लगातार बरसात हो रही है तो आपदा आ रही है। यह विधेयक लाने से पहले

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1445/av/dc/1

श्री सुधीर शर्मा------जारी

प्रदेश में इस प्रकार का एक सर्वे करवा लिया जाना चाहिए था कि यह किन क्षेत्रों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। हमारे नदी-नालों का जो एच0एफ0एल0 है उस बारे में स्टडी करके कि कहां-कहां, कितनी-कितनी दूरी पर है। इसके अतिरिक्त स्ट्राटा के बारे में भी स्टडी कर लेते कि कहां पर लूज़ या मज़बूत है। मैं चाहता हूं कि ऐसे नियम सख्ती से लागू हों। लेकिन आपने जब इसको पूरे प्रदेश में लागू करना है तो यह भी देखना पड़ेगा कि एक तो आपका टी0सी0पी0 डिपार्टमेंट अण्डर स्टाफ है, उसमें इतने लोग नहीं है कि नक्शों का निवारण जल्दी-जल्दी हो जाए। इसमें जब पूरे ग्रामीण क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया जाता है तो लोगों को एक तो जानकारी नहीं होती और दूसरे उसका खर्चा इतना पड़ जाता है कि कई बार आम आदमी को जो सरकारी योजनाओं के तहत घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा तो उसका नक्शा बनाने या दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने में लग जाएगा। वैसे चाहिए तो यह था कि पूरे प्रदेश का सर्वे करते या फिर भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र जोनिंग करके स्टडी करवा लेते। इसके लिए अगर विभाग के पास स्टाफ नहीं है तो यह काम एजेंसीज के माध्यम से भी करवाया जा सकता था और फिर इसको लागू करते। लेकिन लागू करने से पहले मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी को दीजिए। कमेटी में इस संदर्भ में चर्चा हो और उसके उपरांत इसका पारण हो ताकि आम जन-मानस परेशान न हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, बोलिए।

03.09.2024/1445/av/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) लाया गया है, इस

ारे में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, श्री विपिन सिंह परमार जी और श्री सुधीर ार्मा जी ने अपनी-अपनी बात कही है। इस बिल को लाने की आपकी मंशा अच्छी है, रंतु निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपने एकदम छलांग मार दी। यहां पर स्वाभाविक ूप से यह सबकी चिंता है क्योंकि वर्ष 2023 और 2024 हमारे प्रदेश के लिए बहुत ुकसानदायक साबित हुए हैं। इन दो वर्षों की वर्षा ऋतु के दौरान प्रदेश में जान-माल ा नुकसान हुआ है। इसमें प्रदेश के बहुत से लोगों की जिन्दगियां गई हैं। इसके ातिरिक्त प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोपर्टी डैमेज हुई है। लेकिन यही एकमात्र समाधान ै, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस बारे में बहुत ज्यादा विचार करने की ावश्यकता है। हमने बरसात में जो डैमेजिज देखें वे चाहे पिछले साल के हैं या इस ाल के हैं, उसमें हमने यह देखा कि डैमेजिज वहां पर भी हुए हैं जहां एक छोटा-सा ांव था। उन गांवों में कोई बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्ज या कई मंजिला मकान नहीं थे। हालांकि पेछले साल की बरसात के दौरान ज्यादातर बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्ज और जहां बहुत ज्यादा ंस्ट्रक्शन हुई थी, ऐसे डैमेजिज शामिल थे। व्यास रीवर बेसिन पर बड़े स्ट्रक्चर थे। रंतु यदि आप इस बार देखें तो पाएंगे जैसे समेज एक छोटा-सा गांव है। वहां पर आप भी सोच भी नहीं सकते थे लेकिन वहां पर तबाही हो गई और उसमें 36 लोगों की जेन्दगी चली गई। इसी तरह से दरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजवन में बाढ़ आई ी। वहां पर तो लकड़ी से बने हुए केवल एक-एस या दो-दो मंजिला मकान थे परंतु वे ाढ़ में सारे डैमेज हो गए। हमें ऐसे लगता है कि हम इस तरह से मैनेज करें कि जहां ादी के किनारे गांव बसे हुए हैं जहां इस प्रकार की सम्भावनाएं ज्यादा हैं या फिर जो ैंड स्लाइड प्रोन एरिया है, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1450/टी0सी0वी0/एच0के0-1
श्री जय राम ठाकुर जी.... जारी

क्योंकि गावं में लोगों के पास जहां जमीन उपलब्ध होती है, वे वहीं मकान बनाना शुरू कर देते हैं। वे इंजीनियर से उस जमीन का स्ट्रैक्चर भी चैक नहीं करवा पाते हैं। इन सारी चीजों को लेकर विचार करने की आवश्यकता है। इन बड़े-बड़े स्ट्रक्चर से समाधान होने वाला

नहीं है। इसलिए सारी चीजों के विषय में विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है कि इसके लिए क्या-क्या करना जरूरी है। जैसे यहां पर माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी एच0एफ0एल0 का जिक्र कर रहे थे, यह भी उसमें एक महत्वपूर्ण एस्पैक्ट है। नदी- नालों के करीब कई घर बसे हुए हैं जो अभी बच गये हैं लेकिन आने वाले समय में वहां पर फिर से संकट आ सकता है। मैं बंजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सैंज के गांव में गया था। वहां पिछली बार भी बरसात में नुकसान हुआ और इस बार भी वह गांव बाल-बाल बच है और नहीं बचेगा। भगवान करे वह बच जाए लेकिन वहां के लोगों को तुरंत शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इसको भी आपको साथ में जोड़ना चाहिए क्योंकि कुछेक गांव ऐसे हैं जहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना जरूरी है। जब तक आप उनको शिफ्ट नहीं करेंगे वे वहीं पर बसे रहेंगे और जब बरसात आएगी तो हादसा हो सकता है। अगर हम हादसा होने के बाद सोचने लगेंगे तो उससे कोई फायदा होगा। मैं सैंज गांव की बात कर रहा हूं ऐसे और भी एक नहीं अनेकों गांव होंगे। इनके लिए कोई विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें एक ही बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि 1000 वर्गमीटर से अधिक का जो मकान होगा उसको हम नहीं बनने देंगे, that doesn't make any sense. मुझे लग रहा है कि यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपकी स्पिरिट अच्छी है लेकिन इस पर सोच-समझकर काम करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन होती है हमें उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डवलप करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को समझा सकते हैं कि जहां आप मकान बना रहे हैं यह जगह ठीक नहीं है। इसलिए दूसरी जगह मकान बनाइये। आजकल लोग यही करते हैं कि खेत को बचाने के चक्र में ऐसी जगह पर मकान बना लेते हैं जो मकान बनाने के लिए ठीक नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास लैंड होल्डिंग ज्यादा नहीं होती है इस कारण से वे कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और बाद में उससे नुकसान होता है।

03.09.2024/1450/टी0सी0वी0/एच0के0-2

इसलिए हमारा सुझाव है कि इस प्रस्ताव को सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए और वह कमेटी इसके सारे एस्पैक्ट्स को एग्जामिन करें। इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर 3-4 महीने में अच्छी तरह से सोच-विचार करें क्योंकि अब समय आ गया है कि ऐसे

विषयों पर निर्णय करने पड़ेंगे और सख्त निर्णय भी करने पडेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में हर साल बरसात से जो नुकसान हो रहा है इसको कम किया जा सके। यह मेरा सुझाव है यदि इसको सलैक्ट कमेटी को भेजा जाता है तो उचित रहेगा और इसमें जिन बातों का हमने जिक्र किया है उनका समावेश भी होना चाहिए। धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा गया कि इस बिल की मूल भावना ठीक है लेकिन पिछली बार जब आपदा आई थी और इस बार जब हम उसी क्षेत्र में दौरे पर गए तो लोगों ने वहीं पर मकान बनाए थे। जिससे उनका इस बार भी नुकसान हुआ। भुंतर में तो नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी साथ थे वहां पर एक मकान जो पूरा बह गया था लेकिन इस बार वहां दोबारा काम चला हूं था और वह दोबारा बह गया। इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए प्रयास किए जाएं।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम में 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट वाला व्यक्ति का जिक्र है, इसमें क्लीयर मेंशन होना चाहिए कि एक फ्लोर में जिसका 1000 वर्गमीटर होगा, यह उसके लिए ही लागू होगा। यह प्लॉट के बारे में दिया गया है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-09-2024/1455/एन0एस0-एच0के0/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा----- जारी

मेरे पास 10 बीघे का प्लॉट है और मैं घर उस प्लॉट के बीच में बनाता हूं तो मैं भी उसी में आ गया। गांव में जो आदमी 1000 मीटर से ऊपर घर एक फ्लोर में बनाएगा तो यह उसके ऊपर लागू होना चाहिए। यह प्लॉट के लिए लागू नहीं होना चाहिए। इसमें यह बहुत जरूरी है कि इसको अमैंड करें। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में नदियां और नाले हर जगह हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक कानून बनाएं कि नदी में इतने मीटर किसी भी क्षेत्र में किसी भी गांव में कोई भी आदमी नदी व नाले से मकान आगे के लिए न बनाएं। जब आप इसमें

थोड़ी सख्ती करेंगे तो आगे कभी भी आपदा आती है, बादल अभी भी फटे हैं और आगे भी फटते रहेंगे लेकिन नदी व नालों से मकान दूर बनाएंगे तो उनके लिए सुरक्षित रहेगा। तीसरा, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो स्लाइडिंग जोन हैं। उसकी डिपार्टमेंट से जियोलॉजिकल रिपोर्ट जरूर ली जाए कि वहां कितनी मंजिले बन सकती हैं। मैं आपको एक गांव बताता हूं। नौरा बोरा गांव पूरा एक किलोमीटर नीचे धंस रहा है। इसमें यह भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आदमी एक मंजिल बना सकता है और वह कैसे बना सकता है? हिमाचल प्रदेश में सॉयल टेस्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। हिमाचल में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जैसे शिमला में स्लाइडिंग जोन और सिस्मिक जोन भी हैं। हिमाचल प्रदेश के हर गांव में ऐसे क्षेत्र आते हैं। विशेषकर जो 1000 वर्ग मीटर का है। मान लो, मुख्य मंत्री जी अपने गांव में बनाना चाहते हैं और इनका 10 बीघे का प्लॉट है तो उसमें प्लॉट एरिया आएगा। फ्लोर में तो चाहे 500 फुट बनाएं। पर प्लॉट एरिया तो 10 बीघे का 7,550 मीटर आएगा। अगर इसमें क्लीयर मेंशन हो जाए कि गांव में कोई आदमी 1000 मीटर का एक फ्लोर बनाएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाकर बात क्लीयर होगी। अध्यक्ष महोदय, इस विषय को सलैक्ट कमेटी को जरूर भेंजे। यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हरेक क्षेत्र में अलग-अलग दिक्कतें हैं।

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र सिंह जी अपनी बात रखें।

03-09-2024/1455/एन0एस0-एच0के0/2

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, टी0सी0पी0 एक्ट के तहत जो चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मेरा क्षेत्र बल्ह पंजाब की तरह प्लेन है। लोगों के पास वही जमीन हैं जहां पर उन्होंने घर बनाए हैं। उससे पहले ये सोचा जाए कि अगर उनको वहां से उठाना है तो कहां जगह मिलेगी। टी0सी0पी0 एक्ट के पहले जो विधेयक लाया है तो इससे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्ह में इसका विरोध हो चुका है। मेरे क्षेत्र की टरोह, रस्सी, मसखेड़े और किसाना पंचायतों में पहले भी विरोध हो चुका है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी नाले का एच0एफ0एल0 पड़ता है तो उसके आधार पर उसका चेनलाइजेशन किया जाए, उसका तटीयकरण किया जाए ताकि उन लोगों की सुरक्षा हो सके। यह मेरा मानना है। धन्यवाद।

Speaker : Anybody else wants to speak? श्री विनोद सुल्तानपुरी जी आप चर्चा में भाग लें।

Shri Vinod Sultanpuri : Hon'ble Speaker, Sir, I was going through this Act, the Bill that has been laid इसमें मैंने देखा कि जो एरिया बांधा गया है तो इसके ऊपर हमें दोबारा विचार करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पर बैली एक्ट जो लागू हुआ है तो मैं समझता हूं कि उसने एक लिमिटेशन रखी है और उसमें फेवरिटिज्म साफ दिखता है। टी0सी0पी0 संस्थान में साइंटिफिक स्टडी के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए। विदेशों में जब घर बनते हैं तो जमीनी स्तर पर फाउंडेशन ले की जा रही होती है तो उसकी इंस्पेक्शन होती है। इस तरह से जब मकान तैयार होगा तो नुकसान कम होगा। मैं समझता हूं कि जापान की तरह वर्टिकल बिल्डिंग्ज लगभग 100 मंजिले पहुंच जाती हैं। उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से प्रदेश के लोगों को वर्टिकल बिल्डिंग्ज के लिए एनकरेज कर सकते हैं। मात्र एक इलाके तक, जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो जो सेट बैक टी0सी0पी0 के द्वारा लागू होना चाहिए, जीरो टू जीरो बिल्डिंग्ज बनती हैं और कोई सेट बैक छोड़ा नहीं जाता है। इसके ऊपर हमें सोचना होगा कि किस तरीके से यह एक्ट लिमिटिड कर रहा है। ज्यादा-से-ज्यादा आदमी अपनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है और सेट बैक छोड़ने पर विचार नहीं करता है। इसलिए we must revise it और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब इतना पैसा आदमी लगाता है तो अपनी जमीन का पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए जो लिमिटेशन की गई है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। **आर0के0एस0 द्वारा ------जारी**

03.09.2024/1500/RKS/वाइके-1

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टी.सी.पी.कानून पर अपने विचार सांझा करने की अनुमति दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पंचायती राज या 'पेसा' कानून की बात की जाए तो इसमें ऑलरेडी इस तरह का प्रावधान है। ट्राइबल क्षेत्रों में 'पेसा कानून' के तहत ग्राम सभा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो इस तरह के कानून बना सकती हैं। गांव में किस तरह की कंस्ट्रक्शन्स होनी चाहिए, किन रूल्ज व मापदंडों के आधार पर वहां घर बनने चाहिए यह सारा प्रावधान कानून में है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि धरातल पर यह कहीं भी लागू नहीं हो पाता। इसमें अगर हम जागरूकता का अभाव या

पंचायती राज के नुमाइंदों या फिर विभाग की कोई नाकामी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। मुझे स्मरण है कि पिछली साल टी.सी.पी. के तहत जिला लाहौल-स्पिति के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के तहत हमारे कई गांवों को टी.सी.पी. में शामिल किया गया था। हमारा पूरा जिला ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हमारा जिला पोपूलेशन वाइज तो सबसे छोटा है लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहां ऐसे एवालाँच प्वांइट्स हैं जहां हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हम नेचुरल टी.सी.पी. के तहत भी काम करते हैं। हम कहां घर बना सकते हैं कहां नहीं इसकी जानकारी हमारे बुजुर्गों को पहले ही होती है। अगर मैं अपने हार्ड एरिया की बात करूं तो मेरा आग्रह है कि आप ट्राइबल एरिया के लिए इस एक्ट को रिव्यू करें। पंचायती राज और 'पेसा' कानून के अंतर्गत Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) ट्राइबल एरिया में जहां इस कानून में प्रावधान है अगर वह धरातल में लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि यह टी.सी.पी. से ज्यादा प्रभावकारी होगा। हमने देखा है कि टी.सी.पी. कानून लागू होने के बाद भी आए दिन नदी-नालों में घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। नदी-नालों के समीप निर्मित घर आपदा में बहे भी हैं। हम टी.सी.पी. में कई तरह का भ्रष्टाचार देखते हैं जिसके कारण आम जनमानस को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इस कानून के तहत जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें एक प्रश्नचिन्ह लगता है। मेरा आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के माध्यम से या 'पेसा' कानून को देखते हुए अगर यह ग्राम सभा के लैवल पर लागू किया जाए तो यह ज्यादा प्रभावकारी होगा। धन्यवाद।

03.09.2024/1500/RKS/वाइके-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 Section-1 and Section-71 ये दो अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हैं। इसमें प्लानिंग एरियाज के साथ इन्होंने स्पेशल एरियाज मेंशन किया है। ये स्पेशल एरियाज कौन-कौन से हैं आप इनका रेफरेंस दीजिए।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सभी एरियाज के लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए। शिमला में हाई कोर्ट भवन, नगर एवं ग्राम योजना का

निदेशालय, लॉयर चैम्बर और पार्किंग नाले के ऊपर बनी हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप शिमला को ज्वालामुखी और घुमारवीं को कुल्लू के साथ कंपेयर न करें। आप इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजें ताकि इस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। यह पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के भविष्य का सवाल है। आपदा पिछले वर्ष भी आई थी और इस वर्ष भी आई है। आपदा भविष्य में भी आ सकती है। यह समय की पुकार है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं इसलिए इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज देना चाहिए ताकि इस पर विस्तृत चर्चा की जा सके। यह नहीं होना चाहिए कि हां की हां में रही और न की न में रही और बिल पास। इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए ताकि हम हिमाचल प्रदेश के जनमानस को बचाने के लिए अच्छा कानून पारित कर सकें।

अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

03.09.2024/1505/बी.एस./.वाई.के-1

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठनिया जी आज क्या कहना चाहते हैं?

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तार से कह दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने स्पेशल एरिया कहा है जैसे मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में सुखदेहड़ और खरोंह हैं, विधान सभा लगी है आप नियम लाएंगे है लेकिन मेरा मानना है कि वहां पर अभी शनिवार और रविवार को मैं वहां पर गया था। लोगों ने भी कहा कि ये एरिया आ गया वह एरिया आ गया। यह माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है कि पहले तो शिमला और शिमला नहीं मेकलोड़गंज है, आज की डेट में टी.सी.पी. वालों को बहुत काम है। क्या मंत्री जी अभी बताएंगे कि कितने नक्शे धर्मशाला में पेडिंग पड़े हैं? आपने तो नया पिटारा खोल दिया। मैं यही नहीं कहूंगा, अभी जहां पर हम पर्यटन गांव बनाने जा रहे हैं उसके लिए लोग एक दिन के चार-चार और छह-छह चक्कर लगा रहे हैं। यह एरिया पहले धर्मशाला में था और अब मेरे क्षेत्र में आ गया है। मैं चाहता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाए, कितने नक्शे वहां पर पेडिंग पड़े हुए हैं? आदरणीय संजय रत्न जी

ने ठीक कहा कि कानून सबके लिए बराबर हो। इसमें वहां की लोकल पंचायत और लोगों के साथ कन्सेंट अवश्य किया जाए और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर अपनी बात रखेंगे।

03.09.2024/1505/बी.एस./.वाई.के-2

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बिल संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए रखा है इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछली आपदा हुई है, ये सरकार की चिंता वाजिब है लेकिन उसके साथ ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और आशंका जताई है। मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त जिस प्रकार से गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है वह स्वभाविक है। मैं चाहूंगा कि इससे पहले यह पलायन के लिए हमारे पास जगह कहां बची है? आज लाहौल की जनता कुल्लू आ रही है, मण्डी के लोग कुल्लू में बस रहे हैं, पांगी के लोग कुल्लू में बस रहे हैं। आप पांगी को भरमौर से अलग मत कीजिए। आज स्पिति के लोग भी वहां पर बस रहे हैं। आपके सराज के लोग भी वहां पर बहुत बस रहे हैं। यदि आप कुल्लू वालों को नहीं मानते ये बात अलग है परंतु कुल्लू वाले सभी लोगों को स्थान देते हैं। मैंने इसमें एक बात अवश्य कहनी है कि चीन जैसे देश में देखा है कि उनका मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्ज में एक-एक शहर बसा हुआ है और एक-एक वॉर्ड बसा हुआ है। उसी बिल्डिंग के अन्दर अस्पताल बना है और ये हाई राइज बिल्डिंग्ज बनी हैं। इतनी ज्यादा जनसंख्या को ये शहरों में अकोमोडेट कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले स्थान चिन्हित करने पड़ेंगे। चाहे वे शिमला में है, धर्मशला में है या मण्डी में है, ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्ज के लिए, क्योंकि लोगों ने अब शहरों में अपने बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग स्वभाविक है कि गांव से पलायन करेंगे। उसके लिए यह जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है यह खत्म होती जा रही है। अब कुल्लू में देखेंगे, राइट फ्रोम मनाली से बजौरा तक सारे जो मकान बन रहे हैं वे कुल्लू के लोगों के भी बन रहे हैं। मेरे आउटर सराज से हो या मनाली के गांव से हो, वे दो-दो बिस्वा और चार-चार बिस्वा जमीन खरीद रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारा नगर नियोजन, योजना विभाग है उनके पास इतना ज्यादा काम पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम एक और वर्क लोड ले लेंगे? उससे पहले प्लानिंग एरिया में ये चीजें निश्चित की जानी जाहिए कि अगले सालों में किस शहर में कितने लोग बसने जा रहे हैं और उसके आधार

पर प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो संदेश गांव में जाएगा वह संदेश मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं जाएगा। इसलिए

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

3.09.2024/1510/डी0टी0/ए0जी0-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव जारी...

हमें प्लानिंग एरियाज देखने हैं जैसे साडा के एरियाज की बात आपने कही। मैं मानता हूं कि हमारा कसोल साडा का एरिया है। वहां पर पिछले कुछ सालों में काफी कंस्ट्रक्शन हुई है। वहां पर साडा के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है लेकिन आज के दिन हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है जो इस एक्स्ट्रा बर्डन को ले पायेगा। आप ये रिस्ट्रिक्शन्ज लगाने की सोच रहे हैं ये एक अच्छा स्टेप है जिससे कई चीजों में सरकारी नियंत्रण होगा। जापान में जहां इतने भूकम्प आते हैं अगर वह 10 मंजिला इमारत बना सकते हैं तो हम हिमालयी क्षेत्रों का अध्ययन कर ऐसे क्षेत्र चिन्हित कर सकते हैं जिससे की हमारे प्रदेश में जो कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है इस पर ये बोझ न पड़े।

3.09.2024/1510/डी0टी0/ए0जी0-2

अध्यक्षः अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय मुख्य संसदीय श्री आशीष बुटेल।

श्री आशीष बुटेल, मुख्य संसदीय सचिवः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

आज इस सदन में जो विधेयक लाया गया है इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। विधेयक में जो संशोधन लाया गया है वो कहता कि विशेष क्षेत्रों के बाहर किसी क्षेत्र पर विकसित किए जाने वाले हज़ार वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र वाले समस्त भवन व परियोजनाऐं, इसका अर्थ ये हुआ कि हज़ार वर्ग मीटर का जो प्लॉट एरिया होगा उसको कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। इसमें जो त्रुटि रह गई है वे है कि मान लीजिए अगर किसी के पास 100 स्क्वायर मीटर जमीन है और वह उस पर 10 मंजिला भवन बनाएगा तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। लेकिन 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर वो एक मंजिल, यानी की 1000 स्क्वायर मीटर पर अगर 100 स्क्वायर मीटर यूज करेगा और प्लॉट एरिया

उसका 1000 स्क्वायर मीटर होगा तो वह इस नियम के अंदर आ जाता है। एक त्रुटि महोदय जो मुझे लगता है वह ये रह गई। दूसरा, जो मुझे लगता है वह है Change of Land Use क्योंकि अभी तक जो हमारे टी0सी0पी0 के बाहर के क्षेत्र हैं उस पर डवेल्पमेंट प्लॉन कहीं पर भी नहीं बना। अभी जहां-जहां पर टी0सी0पी0 के एरियाज है नक्शा पास करवाने से पहले वहां पर Change of Land Use सबसे जरूरी होता है। अगर किसी गांव के अंदर जहां पर हम 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया ले लेते हैं मान लीजिए वहां पर कृषि भूमि है और कोई वहां पर कुछ बनाना चाहता है तो Change of Land Use कैसे होगा, ये भी जानना चाहूंगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि पिछली सरकार ने पालमपुर को नगर निगम बनाया और उसमें हम खुद भुगतभोगी हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलाके ऐसे ले लिए गये जो कि ग्रामीण क्षेत्र थे और अब इन क्षेत्रों में टी0सी0पी0 के नियम लागू होते हैं। इसका बहुत विरोध भी हुआ लेकिन पूर्व सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं मानी। पालमपुर नगर निगम के ये क्षेत्र जो टी0सी0पी0 के अधीन आ गये उसमें आज भी समस्या ये आती है कि नक्शे पास करने के लिए बहुत समय लगता है, लोगों को बहुत कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टी0सी0पी0 के नियमों में बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन चीजों पर एक Change of Land Use वहां पर कैसे होगा क्योंकि उसके लिए डवेल्पमेंट प्लॉन नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जरूर चर्चा की जाए। जहां पर आपने 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र बिल्डिंग के लिए लेना है तो वह 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर लिया जाये न कि प्लॉट के क्षेत्र को लेकर। जैसा कि एक उदाहरण मैंने पहले भी

3.09.2024/1510/डी0टी0/ए0जी0-3

दिया कि अगर छोटा प्लॉट होगा और उस पर 10 मंजिला 1000 स्क्वायर मीटर का भवन अगर एक कनाल के ऊपर बन जाता तो वो इस परिधि से बाहर हो जायेगा। लेकिन अगर 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होगा और उसमें अगर 100 स्क्वायर मीटर पर मकान बन रहा है वह इसके अधीन आ जायेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर पुनः विचार करने की कृपा करें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी।

3.09.2024/1510/डी0टी0/ए0जी0-3

श्री नीरज नैय्यरः अध्यक्ष महोदय, आज ये जो विधेयक इस सदन में लाया गया है इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो टी0सी0पी0 एक्ट है इसके अंदर अगर मैं अपने चम्बा क्षेत्र की बात करूं, आपको पता है कि जो हमारा क्षेत्र है वहां पर जमीन बहुत कम उपलब्ध है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03-09-2024/1515/ए.जी.-एन.जी/1

श्री नीरज नैय्यर.....जारी

आए दिन जब कंस्ट्रक्शन होती है या नक्शे पास होते हैं तो जो नियम कांगड़ा व अन्य क्षेत्रों में लगते हैं वही नियम हमारे इलाके में भी लगते हैं। मैं चम्बा की पार्किंग की बात करना चाहता हूं और हमें बोला गया है कि उसे चार मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी से कहना चाहता हूं...!

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका म्यूनिसिपल ऐरिया है और यहां पर town and country planning की बात हो रही है।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर टी.सी.पी. एक्ट लगता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके चम्बा में एम.सी. एक्ट लगता है और उससे बाहर टी.सी.पी. एक्ट लगता है।

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, चम्बा शहर के साथ suburbs की दो पंचायतें लगती हैं उन्हें टी.सी.पी. एक्ट के तहत लाया गया है। जिस कारण लोगों में अभी से बहुत रिज़ेंटमेंट है। क्योंकि वे लोग हमारे शहर में देखते हैं कि काफी दिनों तक नक्शे पास ही नहीं होते और उसके लिए लाइनों में लगना पड़ता है। वहां पर स्टाफ की भी बहुत कमी है। मेरा मानना है कि इस पर बहुत गहनता से चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमें अपने laws को stringent करके आगे बढ़ना होगा। अभी जापान की बात हो रही थी और वहां पर भुकंप बहुत अधिक आते हैं। लेकिन वहां की buildings are vertically very high. भारत में भी जिस स्पीड के साथ आबादी बढ़ रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि सड़कों के किनारे एक इंच जगह भी नहीं मिलेगी।

03-09-2024/1515/ए.जी.-एन.जी/2

हमें इस पर गहनता से सोचने की आवश्यकता है। । think order of the day is जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है हमें अपने रूल्ज़ चेंच करके उन्हें strengthen करना चाहिए। इसके अलावा सॉयल टेस्टिंग करके और earthquake proof चीजों को डाल कर हमें vertically high जाने की जरूरत है न कि horizontally and this should be taken care of. मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद।

03-09-2024/1515/ए.जी.-एन.जी/3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव, श्री किशोरी लाल अपनी बात कहेंगे।

श्री किशोरी लाल, मुख्य संसदीय सचिव : अध्यक्ष महोदय, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी यहां पर एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इससे संबंधित कुछ कहना चाहता हूं और बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के बीड़, चौगान व क्यूरी क्षेत्र पहले ही साडा में थे। लेकिन साथ लगते गांव जोकि बिलकुल ग्रामीण क्षेत्र हैं, गुनेड़, बटुप (उपरला व निचला), भारग और गरनाला को साडा में शामिल कर लिया गया और इनकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसके बारे में न हमसे पूछा गया और न ही गांव वालों से कोई आपत्तियां व सुझाव लिए गए। इसके अलावा बैजनाथ के साथ लगते काफी गांव जो कृषि क्षेत्र हैं, वहां के लोग गरीब हैं और वहां पर बहुमंजिला इमारतें भी नहीं हैं। वहां पर कोई बड़े होटल्स भी नहीं हैं। वे बिलकुल ग्रामीण क्षेत्र हैं। शीतला चौक, कुंसुल उपरली, कुंसुल बुरली, पानथुबा, मंधोल, चकोल, गकैना, अवैरी और घोड़पीठ, इन

सभी क्षेत्रों को टी.सी.पी. में शामिल कर लिया गया और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मैं इसका विरोध करता हूं और पूरी जनता भी इसका विरोध कर रही है। पिछले दिनों मुझे चबील क्षेत्र में जाने का मौका मिला और कुंसुल में मुझे स्थानीय लोगों ने रोक कर इसका भारी विरोध किया। मैं उन लोगों को आश्वस्त करके आया हूं कि सरकार के समक्ष यह सारा मुद्दा रखूंगा और उन सभी क्षेत्रों को वैसे ही बहाल किया जाएगा। मेरी आप से गुजारिश है कि हम पर कृपा करें और उन क्षेत्रों को बाहर निकालें ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

03-09-2024/1515/ए.जी.-एन.जी/4

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री विवेक शर्मा (विक्कू) अपनी बात कहेंगे।

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे 2-3 गांव इसमें जुड़े हैं। 3 गांवों का तो पहले ही बंदोबस्त चल रहा है और उनकी जमीनों का पता नहीं है तथा मकान बनाने के लिए जो दिक्कतें आएंगी, वे अलग हैं। वह सारा ग्रामीण इलाका है। जिन लोगों ने शहरों में पलयान करना था वे लोग पहले से ही शहरों में चले गए हैं। अब उन ग्रामीण इलाकों में यदि किसी ने मकान बनाना है तो उन पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1520/केएस/एएस/1

नगर और ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जो यहां इस एक्ट में अमेंडमेंट प्रस्तुत की है इसमें 16 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी की भावना मूलतः यही है कि डिजास्टर की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान होता है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इससे पहले पिछले दिन तक 39 घंटे तक लगभग 30 माननीय सदस्यों ने बरसात से होने वाले नुकसान पर चर्चा में हिस्सा लिया। उसमें भी सभी का यही कंसर्न था कि क्योंकि डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते लेकिन उससे होने वाले नुकसान को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, इसके बारे में सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रत्येक बरसात में और जब मॉनसून सत्र होता है, उसमें हर साल इस तरह की चर्चाएं होती हैं। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। इससे कैसे बचा जाए, इस बारे में न सिर्फ माननीय सदस्य अपने सुझाव देते हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट से भी पिछले साल एक पी.आई.एल. थी, उसमें वर्ष 2023 के फर्स्ट मंथ में डायरैक्शन आई थी कि जो इस तरह की कंस्ट्रक्शन है उसको रैगुलेट किया जाए तो उनकी डायरैक्शन को फॉलो करने के लिए भी यह अमेंडमेंट यहां पर लाई गई है। यह कोई नया बिल नहीं है। जो हमारा पुराना एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट को लाया गया है। जो आप सिलेक्ट कमेटी की बात कर रहे थे, नया बिल होता तो उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की हम बात कर सकते थे परंतु यह पुराने बिल में सिर्फ अमेंडमेंट है। पहले यह प्रोविज़न था कि 2500 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा का जो प्लॉट एरिया है, उस पर यह लगती थी। अभी इसमें दो माननीय सदस्यों श्री बलबीर सिंह वर्मा और आशीष बुटेल जी ने जो बात कही, आपका प्वाइंट बड़ा वैलिड है और यह चीज़ मैंने अधिकारियों से डिस्कस भी की है। हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचली हैं, जिनके पास पैतृक सम्पत्ति है, आपने ठीक कहा कि अगर उसमें 100 स्क्वेयर मीटर भी करेंगे तो भी इसके दायरे में आता है जिसका प्लॉट एरिया 1000 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा है। उसका हम रूल्ज़ में प्रावधान करेंगे। वह पावर विभाग के पास रहती है। हम रूल्ज़ में इस तरह से नोटिफाई करेंगे कि जो एग्रिकल्चरिस्ट हिमाचली हैं, जिनके पास पैतृक सम्पत्ति है, उनके ऊपर यह कंडिशन नहीं लगेगी। वहां हम 1000 स्क्वेयर मीटर का फ्लोर एरिया कंसिडर करेंगे।

03.09.2024/1520/केएस/एएस/2

दूसरा, अध्यक्ष महोदय जो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, यह बात सही है कि टी.सी.पी. एक्ट को पीपल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों को अपने नक्शे पास कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस सम्बन्ध में जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे, वह आप हमें लिखित तौर पर दे दें। उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़र फ्रेंडली बना सके। क्योंकि यह सिर्फ इस अमेंडमेंट से रिलेटिड नहीं है, टी.सी.पी. कानून से सम्बन्धित जनरल बातें आपने कही हैं। रणधीर शर्मा जी ने विरोधाभासी बात कही है। एक तरफ इन्होंने कहा कि रैगुलेट करना भी जरूरी है जहां पर ऊंची-ऊंची इमारतें हैं दूसरी तरफ आपने यह भी कहा कि इसको जल्दबाजी में भी नहीं लाना चाहिए। ...(व्यवधान) क्योंकि यह नया बिल नहीं है, अमेंडमेंट है और बड़ी अमेंडमेंट भी नहीं है इसलिए यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, जो साढ़े तीन स्टोरी से ऊपर की बिल्डिंग है, यह बात उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। जो आउट साइड प्लानिंग एरिया है, वहां पर 600 स्क्वेयर मीटर से ऊपर का जो प्लॉट एरिया है, उसके ऊपर भी यह लागू होती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1525/av/as/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री------जारी

यह प्रोविजन पहले से है और यह कोई नई बात नहीं है। यह 600 मीटर से ज्यादा प्लिंथ एरिया और साढ़े तीन मंजिल के ऊपर पहले से लागू है। यहां पर जैसे माननीय श्री जय राम ठाकुर जी सहित दूसरे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। यह एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। हालांकि यह सुझाव अच्छा है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम कांगड़ा, कुल्लू और शिमला यानी इन तीन जिलों की रिजनल प्लानिंग करवा रहे हैं। इस बारे में काम शुरू कर दिया है और रिजनल प्लानिंग में बहुत सारे इश्यूज को सैटल करके उनका समाधान किया जाएगा। यहां पर नदी-नालों के साथ लगते एरिया

में हुई कंस्ट्रक्शन के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बारे में पहले से ही गाइडलाइन्स हैं कि नाले से 5 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इसके अतिरिक्त खड्ड से 7 मीटर तथा रीवर से 25 मीटर तक अलाउड नहीं है। लेकिन इसका उल्लंघन बहुत ज्यादा होता है और इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इस प्रकार का उल्लंघन करके पहले से ही बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है।

माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी ने एच0एफ0एल0 के संदर्भ में भी सुझाव दिया है, तो उसको भी एनफोर्स करने की जरूरत है। उसको भी इसके बाद इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि कई बार फ्लैश फ्लड की वजह से हमारी सम्पत्ति और जान-माल को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमने इस साल भी देखा है कि क्लाईमेट चेंजिज की वजह से ओवरऑल रेन फॉल कम हुआ है। लेकिन आइसोलेटिड प्लेसिज पर उसकी इंटैंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वह डैंजरस प्रूव होता है और इससे नदी-नालों के नज़दीक तथा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हम सभी गांवों में जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा और we should appreciate wisdom of our ancestors. उनकी प्लानिंग बिना कानून के हमारे से बेहतर थी। गांवों में जहां-जहां पर भी घर बने हैं वह सारी लैंड हाउसिंग के लिए डैडिकेटिड थी। उसको कई जगह आबादीदेह और कई जगह लाल डोरा जमीन बोलते हैं। पुराने समय में हाउसिंग उसी स्पेसिफिक एरिया में होती थी और उस दौरान हर-कहीं पर घर नहीं बनाए जाते थे। हमने उसको छोड़ दिया और आज़ादी के बाद हमने जहां-जहां पर जगह मिली वहीं पर घर बनाने शुरू

03.09.2024/1525/av/as/2

कर दिए। उसके बाद हमारे रास्ते का झगड़ा शुरू हो गया। अब तो अगर कहीं से बिजली की लाइन भी ले जानी होती है तो लोग उसके लिए भी ऑब्जैक्शन करते हैं, दूसरी सुविधाएं देने की तो बड़े दूर की बात है। हालांकि शहरों में एम0सी0 ऐक्ट लगता है परंतु आप शिमला में ही देख लीजिए। यहां पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पैदल चलने के लिए भी रास्ते नहीं है और कई जगह झगड़े हैं। इन झगड़ों को मिनिमाईज करने के लिए भी हमारा टी0सी0पी0 ऐक्ट मदद करता है। मैं जैसे पुराने गांवों का जिक्र कर रहा था तो आप देखेंगे कि हर पुराने गांवों का आर्किटैक्चर लगभग पूरे प्रदेश में एक जैसा है, वे घर चाहे लकड़ी

के थे या उनमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त घर एक-दूसरे के अपोजिट फेसिंग होते थे। कोई घर ऐसा नहीं होता था कि एक का फेस है और दूसरे घर की उसकी साइड पीठ है, उसके कारण हमारे कोर्ट यार्ड डबल हो जाते थे। वहां पर इस प्रकार से लाइटिंग और हवा की अच्छी व्यवस्था होती थी। कॉमन यूज़ की लैंड हर गांव के आस-पास होती थी। उसमें चाहे पशुओं को चराते थे या उसमें प्लेटफॉर्म बनाते थे। पहले गांवों में एक जरेब या दो जरेब रास्ता पशुओं को आने-जाने के लिए छोड़ा होता था जहां पर आज के समय में बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं। हमारे एनसैस्टर्ज ने बिना कानून के बेहतर प्रबंधन किया था। आप देखेंगे कि ज्यादातर घर ऐसे एरिया में बने होते थे जोकि सेफ होते थे। अभी माननीय सदस्या अनुराधा राणा जी ने सही कहा कि बुजुर्गों को पता होता था अवालांचे से प्रभावित एरिया कौन-कौन से हैं, इसलिए वहां पर घर नहीं बनते थे। हमारे यहां भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में घर नहीं बनते थे। अभी पीछे मैंने अपने एरिया में भी देखा और आपने भी देखा होगा कि जहां पर न्यू सैटलमेंट हुई है खासकर जिनको नौतोड़ जमीन मिली हुई है या जिन्होंने बाद में जमीन खरीद कर घर बनाएं, ज्यादातर वे लोग प्रभावित हुए हैं। इनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है लेकिन इसमें बहुत सारे रिसोर्सिज इनवॉल्व्ड हैं। इन सबको एकदम से टेकअप नहीं कर पाएंगे परंतु जैसे-जैसे

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1530/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
नगर और ग्राम योजना मंत्री .... जारी

इनको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूत है लेकिन इनमें बहुत सारे रिसोर्सिज इन्वॉल्वड हैं। इन सभी को तुरंत टेकअप नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे-जैसे रिसोर्सिज आएंगे वैसे-वैसे हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय सदस्यों ने हाईसाइज बिल्डिंग्ज का भी बहुत अच्छा सुझाव दिया है लेकिन जियोलॉजिकल इन्वैस्टिगेशन के बाद जितनी लोड बियरिंग केपैस्टी उस एरिया की होगी उसको भी अलाउ करने के लिए सरकार के सामने रखेंगे। माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग इसलिए डरते हैं कि अगर हम छोटा घर भी बनाएंगे तो उसके ऊपर भी यह कानून लगेगा लेकिन

इसमें बहुत सारी एग्जैम्पशन दे रखी है। जो 600 वर्गमीटर से नीचे का एरिया है वह प्लानिंग एरिया से बाहर है। इसमें अगर किसी ने मकान की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर करनी है तो वह पहले से ही एग्जैंप्टिड है। अगर किसी ने 100 वर्गमीटर तक कोई दुकान कॉटेज इंडस्ट्री के तहत कंस्ट्रक्शन करनी है तो वह भी पहले से ही एग्जैंप्टिड है। इन पर किसी तरह का कानून नहीं लगता है। यह एग्जैंप्शन टी0सी0पी0 एरिया के अंदर दी गई है। हमारी कोशिश है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश का एक डवलपमेंटल प्लॉन बनाएं। जिसको आप सभी माननीय सदस्यों ने इन-डायरेक्टली रैफर भी किया है। अगर डवलपमेंटल प्लान बनता है तो हम यह नहीं कर सकते हैं कि कौन-सा एरिया सेफ है और कौन-सा नहीं है? कौन-सा एरिया ग्रीन एरिया होना चाहिए और कौन-सा नहीं होना चाहिए? यहां तक कि सड़क कहां प्रपोज की जाएगी वह भी इसमें आना चाहिए? हम इकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए आने वाले समय में कहां इंडस्ट्रियल एरिया या मार्किट प्रपोज करते हैं। इस तरह की सारी चीजें हमारी रीजनल प्लानिंग में आएगी और उसके बाद डवपलमेंटल प्लान बनेंगे तथा वे उसके अंतर्गत आएंगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा क्योंकि यह ऑरिजिनल बिल नहीं है बल्कि पुराने बिल में संशोधन किया गया है और माननीय सदस्यों ने जो वैलिड प्वाइंट उठाए थे उनको हमने एड्रैस किया है। वे पहले से ही रूल्ज में हैं और उनको भी हम नोटिफाइ करेंगे। धन्यवाद।

03.09.2024/1530/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा और सभी माननीय सदस्यों ने यहां अपने क्षेत्र की चिंता जाहिर की है। यहां जिन विधायकों ने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से संबंधित अपने विचार रखे हैं लेकिन जो अमेंडमेंट आई है वह कुछ और है। यह जो अमेंडमेंट आई है यह 2500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर करने के संदर्भ में है और 1000 वर्गमीटर ऊपर कंस्ट्रक्शन करने पर प्लॉनिंग लगेगा। यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी पंचायतें हैं वहां सवा बिघे तक कोई भी टी0सी0पी0 एक्ट नहीं लगेगा यानी 25 विस्वा या दो कनाल तक नहीं लगेगा।

दूसरा, जो नगर निगम का क्षेत्र, साडा एरिया, नोटिफाइ प्लानिंग एरिया है उनमें एक्ट के प्रावधान लग जाते हैं। अब ताज होटल ठियोग में बना हुआ है उसको कैसे रेग्युलेट करना है? उसमें कितनी स्टोरी बनी है? इसी तरह से कसौली में बहुत बड़ी बिल्डिंग्ज बनाई जा

रही है। रियल एस्टेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कसौली न्यु एरिया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। जो एरियाज नोटिफाइ एरियाज में नहीं हैं उनके लिए यह स्पेशल अमेंडमेंट लाई गई है। यह एक्ट तो पहले से ही है इसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट की गई है जो पहले 2500 वर्गमीटर था उसको 1000 वर्गमीटर किया गया है। इसलिए इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की अमेंडमेंट्स आती रहती है। माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि सिलेक्ट कमेटी को वह एक्ट जाता है जो नया एक्ट होता है। यह हमने देख लिया है कि 2500 वर्गमीटर में बहुत बिल्डिंग्ज बनीं हैं। इनको रेग्युलेट करने के लिए और वह भी तब यदि 1000 वर्गमीटर से ऊपर बनाएगा यानी सवा बिघा से ऊपर बनाएगा तो उन पर लगेगा। गांव और पंचायतों में जहां 1000 वर्गमीटर से नीचे होगा वहां इस एक्ट का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-09-2024/1535/एन0एस0-डी0सी0/1

मुख्य मंत्री----- जारी

इनेब्लिंग लॉ रूल बनेंगे और रूल्ज में हम और प्रोवीजन्ज कर देंगे। मैं आपको यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। जो एरियाज नोटिफाई होते हैं तो जैसे शहर में डवल्पमेंट होती है वैसे ही उनमें होती है। जैसे टूटू चले गए या फिर अब साधना घाटी की तरफ जा रहे हैं तो इन एरियाज में जहां सवा बीघा का प्लॉट होगा वहां यह एक्ट नहीं लगेगा। हॉरिजॉंटल और वर्टिकल की बात तो तब आएगी जब वह एक्ट लगने के बाद अपना नक्शा सबमिट करेगा। अभी तो 1000 वर्ग मीटर से नीचे नक्शा भी सबमिट नहीं हो रहा है। जो दो सेक्शन्ज इंसर्ट किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं कि पिछले वर्ष जो आपदा आई तो कई लोगों ने 8 मंजिलों की बिल्डिंग्ज बना लीं और उनके पास लैंड कितनी थी। बाहर जो होटल्ज या रिसॉर्ट्स बन रहे हैं तो उनको कैसे रेग्युलेट करना है, उनको हम रेग्युलेट ही नहीं कर पाएंगे। इन सब विषयों को शामिल करने के लिए यह अमेंडमेंट लाई है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस बिल का समर्थन करें। माननीय सदस्यों की जो भी चिंताएं हैं तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि जब रूल बनाएंगे तब रूल्ज में आपकी सब-प्लॉट की

चिंता को शामिल करेंगे। जो आप रूल्ज के अनुसार चाहेंगे उसको कर दिया जाएगा। धन्यवाद।

03-09-2024/1535/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : अब श्री सुधीर शर्मा जी अपने विचार रखेंगे।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि एक्ट में अमेंडमेंट आई है। लेकिन सबकी भावना है कि इसके ऊपर आपत्तियां और सुझाव लिए जाएं और जो रूल्ज बनने हैं उसके ऊपर भी लिए जाएं। सदन में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे आपत्तियां और सुझाव ले लिए जाएं और अगले सत्र में इसे कर दिया जाए। इसे इतनी जल्दबाजी में न किया जाए। सबके सुझाव आने के बाद कर दिया जाए अगर सलैक्ट कमेटी को नहीं जाना है। सदन के चुने हुए सदस्यों को नहीं देना है तो पब्लिक के लिए कुछ समय के लिए ओपन कर दें। सबकी भावना आ जाएगी। यह जानकारी आप किसको समझाते फिरेंगे कि इसमें यह टेक्निकेल्टी है और इसलिए किया है। उसमें कुछ बातें रह गई होंगी तो जब सुझाव या आपत्तियां दी जाएंगी तो उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। यही हमारे कहने की मूल भावना है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्री भी रहें हैं। जब इनेब्लिंग एक्ट बनता है तो रूल्ज पब्लिक डोमेन में लाए जाते हैं। उसका समय होता है। जो इन्होंने कहा है जब रूल्ज बनेंगे तो पब्लिक डोमेन में आएंगे और पब्लिक से भी ऑब्जेक्शन्ज लिए जाएंगे। उसके बाद ही रूल्ज को अमेंड किया जाता है और रूल्ज को लाया जाता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिसका प्लॉट 800 वर्ग मीटर है, क्या वह 20 मंजिला भवन बनाएगा? क्या मंजिलें बनाने में रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती कि हिल्ली एरिया में इतनी मंजिलें बनेंगी। आपने 1000 वर्ग मीटर से ऊपर तो कर दिया। आप रूल्ज में स्टोरीज को इन-कॉर्पोरेट करें।

अध्यक्ष : नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी आप बोलिए। आप एक रेफरेंस उसका भी दें कि स्टेट एक्ट का जो प्रोवीजन है it is just to regulate the real estate proprieties.उसके लिए यह कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि गांव के बाहर जो एरिया प्लान नहीं हैं वहां पर होटल्ज बन रहे हैं।

03-09-2024/1535/एन0एस0-डी0सी0/3

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों विषय शामिल हैं। इसमें रीयल एस्टेट का विषय भी गवर्न होगा और दूसरा, जो आउटसाइड प्लानिंग एरिया, साडा और एम0सी0 एरिया में जो हाई राइज बिल्डिंग्ज बन रही हैं, वे भी शामिल होंगी। आप देखेंगे कि शोघी में 10 मंजिला बिल्डिंग है जो अभी टिल्ट हो रही है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन्ज कई जगहों पर हुई है जो अनसेफ हैं। भगवान न करे कि हिमाचल प्रदेश में भूकंप आए। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1905 में भूकंप आया था। अगर 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो 80-90 प्रतिशत बिल्डिंग्ज सहन नहीं कर पाएंगी। हमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की तरफ भी सोचना पड़ेगा। जो आपने 800 वर्ग मीटर की बात की है तो फ्लोर एरिया रेशो से भी ये सब विषय गवर्न होते हैं। उसमें भी नम्बर ऑफ स्टोरीज कवर हो जाती हैं। आपका सुझाव ठीक है कि साढ़े तीन मंजिलों से ऊपर अलाऊ नहीं किया जाएगा जहां एरिया कम हो जाएगा।

अध्यक्ष : अब तो सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हैं।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

03.09.2024/1540/RKS/एचके-1

अध्यक्ष.... जारी

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-5 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4 व 5 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024(2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ'।

03.09.2024/1540/RKS/एचके-2

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है इसलिए वह भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। श्री संजय रत्न जी पहले आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि ‘राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।’

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि ‘राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।’ इस पर कोई मतदान नहीं होगा और माननीय मुख्य मंत्री जी बाद में इसका उत्तर देंगे और उत्तर के साथ यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वे कृपया अपने-अपने नाम मुझे दे दें। मेरा श्री संजय रत्न जी ने अनुरोध है कि आप विस्तृत रूप से अपना प्रस्ताव इस सदन में रखें।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के ध्यान में राज्य लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा जिन संस्थानों में Local Resident Audit Scheme का कार्यान्वयन किया जा रहा है और अन्य संस्थान जिनका State Audit Department द्वारा ऑडिट किया जा रहा है उनके सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देर से करने की प्रवृति की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रायः यह भी देखने में आया है कि उक्त संस्थानों द्वारा मात्र अपने Annual Reports & Audited Accounts को ही सदन के पटल

पर उपस्थापित किया जा रहा है, जिस कारण State Audit Department द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा अर्थहीन हो जाती है और इस कारण उक्त संस्थानों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती। जबकि कुछ संस्थानों के अधिनियमों/नियमों में ऐसा करना प्राबधित भी है,
03.09.2024/1540/RKS/एचके-3

जैसे हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, हि०प्र० विश्वविद्यालय शिमला, हि०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला, चौ० सरवण कुमार हि०प्र० कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ० वाई०एस० परमार औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन इत्यादि कई संस्थान ऐसे हैं जो स्थानीय निधि वसूल करते हैं पर अपनी लेखा परीक्षा किसी सरकारी लेखा परीक्षा संस्थान से नहीं करवाते हैं, मात्र चार्टड एकाउटेंट (CA) से करवा कर खानापूर्ति करवा देते हैं। जिसके कई उदाहरण हैं जैसे पंचायत भवन शिमला, विभिन्न मेला/उत्सव कमेटियां, मन्दिर कमेटियां इत्यादि। तो इन सब का ऑडिट भी सरकार की एजेंसी द्वारा ही प्रावधित होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विधान सभा की स्थानीय निधि लेखा समिति द्वारा मुख्य सचिव व प्रधान सचिव (वित्त) को अगस्त, 2023 को इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की तर्ज पर नया अधिनियम बनाने हेतु लिखा था।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

03.09.2024/1545/बी.एस./ एच.के-1

श्री संजय रत्न जारी...

जिससे ऐसे सभी संस्थानों को जिनका ऑडिट राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है और वे संस्थान जो स्थानीय निधि (Student Fund, Users Charges etc.) इकट्ठा (Generate) करते हैं उनको ऑडिट रिपोर्टों या लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को महालेखाकार कार्यालय (CAG) की तर्ज पर (Analogy) पर विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने के लिए बाध्य हो जिससे कि विधान सभा की स्थानीय निधि लेखा समिति (Local Fund Account Committee) इन सभी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से लेखा आपत्तियों के उत्तर मांग कर उनकी समीक्षा कर सकें, साथ ही संबंधित विभाग इन लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से इंगित लेखा आपत्तियों के उत्तर में विधान सभा की समिति के समक्ष रखे जाएं। समिति के दायरे में आने वाले कुछ संस्थानों को विधान सभा सचिवालय

द्वारा बार-बार लिखा जाता है। बावजूद उनके लिखने के उपरांत भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित नहीं किया जाता है। परंतु वित्त विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 1518 पैराज हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 841 पैराज हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विश्वविद्यालय विपणन बोर्ड के 372 पैराज हैं, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 525 पैराज हैं। डॉ0 वाई.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन के 1134 पैराज हैं। जबकि पंचायती राज संस्थानों के 13,747 पैराज हैं और Urban Local Bodies के 15,000 पैराज लंबित हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी तंत्र विकसित नहीं हो पाया है कि ये किस तरह सैटल होंगे। जैसा कि महालेखाकार कार्यालय के पैराज को लोक लेखा समिति देखती है।

हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के लेखों की लेखा परीक्षा, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 से आरंभ किया गया था और वर्ष 2019-20 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं परंतु विधान सभा के पटल पर आज तक इन्हें उपस्थापित नहीं किया गया। इसी तरह से हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखों की लेखा परीक्षा, राज्य लेखा परीखा विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 से आरंभ किया गया था

03.09.2024/1545/बी.एस./ एच.के-2

और वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं परंतु विधान सभा के पटल पर उपस्थापित नहीं किये जा रहे हैं।

हि0 प्र0 विश्वविद्यालय शिमला के लेखों की लेखा परीक्षा, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 से आरंभ किया गया था और वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं परंतु विधान सभा पटल पर उपस्थापित नहीं किये जा रहे हैं।

डॉ0 वाई0एस0 औद्योनिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के लेखों की लेखा परीक्षा, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 से आरंभ किया गया था और

वर्ष 2020-21 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं परंतु विधान सभा पटल पर वर्ष 2010-11 व 2011-12 तक ही उपस्थापित किये गये हैं जोकि इसी सत्र में किये गये हैं।

चौ0 सरवण कुमार हि0 प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लेखों की लेखा परीक्षा, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 से आरंभ किया गया था और वर्ष 2020-21 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं परंतु विधान सभा के पटल पर 2017-18 के उपरांत के कोई भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित नहीं किये जा रहे हैं।

ऐसे कई और संस्थान हैं जो ऐसा कर रहे हैं जिनको सरकारी खजाने से पैसा जारी होता है या वो लोकल फण्ड वसूल करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों ने इनमें से 15 राज्य हैं, जिन्होंने एक्ट बनाया है जिसमें Madhya Pradesh (The MP Local Fund Audit Act 1973), Uttrakhand (The Uttrakhand Audit Act, 2012), Uttar Pradesh (The Uttar Pradesh Local Funds Audit Act, 1989), Mizoram (The Mizoram Local Funds (Accounts and Audit) Act, 2006, Rajasthan (The Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954), Orissa (The Orissa Local Fund Audit Act, 1948), Tamil Nadu (The Tamil Nadu Fund Audit Act, 2014), Kerala (Kerala Local Fund Audit Act, 1994), Maharashtra (The Bombay Local Fund Audit Act, 1930), Assam (Assam Local Fund (Accounts and Audit) Act, 1930), Gujarat

(Gujarat Local Fund Audit Act, 1963), Bihar (Bihar and Orissa Local Fund Audit Act, 1925), Andhra Pradesh (The Andhra Pradesh State Audit Act, 1989), Jharkhand (The Jharkhand Local Fund Audit (Amendment) Act, 2012), and Telangana (The Telangana State Audit Act, 1989). इस तरीके से 15 जो हमारे राज्य हैं जिन्होंने लोक फंड के लिए एक्ट बनाया है। हिमाचल प्रदेश में भी जल्द-से-जल्द ऐसा एक्ट बनाया जाए। ताकि इससे संबंधित रिपोर्ट विधान सभा में ले करें। बहुत से ऐसे संस्थान हैं, प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, मार्किट कमेटीज हैं और शिक्षा बोर्ड हैं जो ऑडिट रिपोर्ट

समय पर ले नहीं करते हैं। जिसके वे कारण देते हैं। अभी कुछ विभागों पर समिति ने संज्ञान लिया और उन्हें कहा तो वहां से उत्तर आ रहा है कि कोविड लगा हुआ था, परंतु कोविड तो वर्ष 2020 में खत्म हो गया है। अभी भी रिपोर्ट्स तैयार नहीं की गई हैं। समिति के संज्ञान में ऐसे भी संस्थान है जिनके द्वारा User Charges Collect किए जाते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

03.09.2024/1550/डीटी/वाईके-1

श्री संजय रत्न.... जारी

जिसमें प्रदेश की सभी रोगी कल्याण समितियां, शिमला जल प्रबंधन निगम शामिल है। परंतु उन संस्थानों का स्टेट लोकल ऑडिट विभाग द्वारा ऑडिट किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश क्लियर नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा की संस्थाओं के स्टेट ऑडिट विभाग के द्वारा ऑडिट कराने हेतु दिशा-निर्देश/ गाइडलाइंस बनाई जाएं। वर्तमान में जिन संस्थाओं का ऑडिट फाइनेंस विभाग की ऑर्डर/नोटिफिकेशन के द्वारा होता है, उन संस्थानों द्वारा पैराज सैटल नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि स्टेट ऑडिट विभाग को पैरा सैटल करने हेतु कोई भी पावर नहीं है। यह भी देखने में आया है कि कुछ संस्थानों द्वारा लंबे समय से अपना ऑडिट राज्य लेखा विभाग से नहीं करवाया गया है जिसमें कल्लू का दशहरा, शिमला समर फेस्टिवल, मंडी शिवरात्रि मेला, टूरिज्म काउंसिल मनाली, इंदिरा गांधी खेल परिसर और ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है जिसका अभी तक ऑडिट नहीं करवाया गया है। कुछ यूजर चार्जिज जैसे यूनिवर्सिटीज व कॉलेज से स्टूडेंट फंड इकट्ठा किया जा रहा है। हमारे शिमला में कोटशेरा कॉलेज जिसमें स्टूडेंट फंड 5 करोड़ रुपए है, उस फंड का क्या यूज हो रहा है? उसका कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। पिछले समय हमारी कमेटी पालमपुर में गई और हमने वहां देखा कि कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट फंड से अढाई करोड़ रुपये का एक गेट बन रहा है। जबकि स्टूडेंट फंड से स्टूडेंट के लिए कोई फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी। उनके लिए कोई लाइब्रेरी, बैठने के लिए डैस्क या कोई क्लास रूम बनाये जाएं लेकिन वे इस फंड से गेट बनाने का काम कर रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्टूडेंट फंड को इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। हमारे ऐसे बहुत से संस्थान है,ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें स्टूडेंट फंड इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन उस फंड का मिसयूज

अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा कहीं और ही किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, वित्त विभाग और मुख्य सचिव से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने अपना एक्ट बनाया है उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी एक्ट बनना चाहिए ताकि इसका प्रोपर ऑडिट हो सके ताकि इसकी रिपोर्ट समय में विधान सभा के सभा पटल पर 'ले' हो सके। अंत में मैं यह महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि समिति के दायरे में आने वाले जिला स्तरीय संस्थान, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ऑडिट में लगाए गए इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर ही कार्रवाई नहीं करते हैं और न ही लेखा परीक्षा विभाग को किसी प्रकार का जवाब देते हैं। इसलिए वित्त विभाग को इस संबंध में शीघ्र कदम उठाकर राज्य लेखापरीक्षा विभाग

03.09.2024/1550/डीटी/वाईके-2

(श्री अनिल शर्मा, सभापति पदासीन हुए।)

के संचालन और सशक्तिकरण के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर एक्ट बनाकर प्रदेश में लागू करना चाहिए ताकि इस कमेटी का औचित्य भी रहे। यह कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि जो लोकल यूजर चार्जिज इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वह यूनिवर्सिटीज के द्वारा या जल निगम, मेला कमेटीज के द्वारा किए जाते हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा किए जाते हैं, उन सबका ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से पैराज पेंडिंग पड़े हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। पिछले दिनों मैंने रूरल डवलपमेंट विभाग और उपायुक्त, सिरमौर का मौखिक साक्ष्य किया था। उस मौखिक साक्ष्य में हमने देखा कि लगभग 25000 पैराज पेंडिंग थे। अगर इतने पैराज पेंडिंग होंगे तो सरकार के पैसे का सदुपयोग कैसे होगा। यह तो पैसे का मिसयूज हो रहा है। शिलाई ब्लॉक की एक पंचायत में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया लेकिन ग्राउंड में एक पैसा नहीं लगा। वह बिल वाउचर बन गए बिल वाउचर बनाकर पेमेंट भी हो गई लेकिनन तो उस सचिव के ऊपर कोई संज्ञान हुआ न उस सचिव को चार्जशीट किया गया और न इस मामले की कोई इंक्वारी की गई। बी.डी.ओ. की भी कोई इंक्वारी नहीं हुई है । लेकिन जब हमने ओरल इग्जामिनेशन किया तो उसके बाद उसके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं, बहुत सी ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिनमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यह दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि उनकी रिपोर्ट विधान सभा में ले नहीं होती है। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वे यूनिवर्सिटीज कहती है कि हम अपनी सीनेट से

अप्रूव करवा लेंगे, हम अपनी इ.सी. से अप्रूव करवा लेंगे जबकि यह पैसा हिमाचल सरकार का है। हिमाचल सरकार जो अनुदान देती है उस पैसे का हमें पता लगना चाहिए और उसकी रिपोर्ट विधान सभा में ले होनी चाहिए। करोड़ों रुपये स्टूडेंट फंड का इकट्ठा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोटशेरा कॉलेज में अभी 5 करोड़ रुपये स्टूडेंट फंडा का इकट्ठा हुआ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर में अढाई करोड़ रुपये का गेट ही बन रहा है। जबकि उस पैसे से स्टूडेंट के लिए फैसेलिटीज होनी चाहिए थी। इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज व गैर सरकारी कॉलेज व यूनिवर्सिटीज हैं

श्री एन. जी.द्वारा...जारी

03-09-2024/1555/वाई.के.-एन.जी/1

श्री संजय रत्न.....जारी

उनमें करोड़ों रुपये विद्यार्थियों से Student Welfare Fund के लिए लिया जाता है। लेकिन उस पैसे का क्या यूज़ हो रहा है, इसका हम तभी संज्ञान ले सकते हैं जब इसके ऊपर वित्त विभाग द्वारा जल्द-से-जल्द एक एक्ट बनाया जाएगा। उस एक्ट के जरिए जितने भी ये संस्थान हैं, इन सभी की रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर ले होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री व वित्त विभाग से कहना चाहता हूं कि इस एक्ट को शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए। जितने भी विभाग व विश्वविद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या सरकारी विश्वविद्यालय, उन सभी को सख्त निर्देश दिए जाएं कि जल्द-से-जल्द रिपोर्ट बनाकर विधान सभा के पटल पर ले करवाने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 को प्रस्तुत करने व इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त/-

03-09-2024/1555/वाई.के.-एन.जी/2

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : सभापति महोदय, आज माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न जी और मैं नियम-130 के तहत प्रस्ताव लेकर आए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, वर्ष 2023 में विधान सभा में स्थानीय निधी लेखा समिति का गठन हुआ था और मुझे भी उस समिति का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। यह toothless कमेटी है। हमारी अनेक बैठकें हो चुकी हैं। हम लोगों ने प्रदेश का भी दौरा किया है। जिन संस्थानों का जिक्र मुझसे पूर्व माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने किया और इन्होंने पूरी तस्वीर माननीय सदन के समक्ष रख दी है कि संस्थानों में किस प्रकार से घाल-मेल चल रहा है। जैसा इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का उदाहरण दिया कि जो Student Welfare Fund को छात्रों के कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए था लेकिन उससे वहां पर 2.5 करोड़ रुपये का गेट बना दिया गया। यह तो केवल एक उदाहरण है जोकि हमारे सामने आया है लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में कॉलेज व स्कूलों के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन उसका बहुत ज्यादा दुरूप्योग हो रहा है। इसी प्रकार मेलों में बहुत ज्यादा आय होती है और खर्च कितना होता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। उनके अपने सी.ए. होते हैं। हमें इस बात की हैरानी हुई कि हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में भी वर्षों से ऑडिट नहीं हो रहा है। सरकार पंचायतों व स्थानीय निकायों को बहुत ज्यादा पैसा देती है लेकिन उसका कहीं पर भी कंट्रोल नहीं है। इस बात को लेकर हमने जरूरत समझी कि इस प्रस्ताव को माननीय सदन में चर्चा के लिए लेकर आएं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश के 15 राज्यों में पहले से ही इस पर एक एक्ट बन चुका है। उनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडू, केरल, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखण्ड और तेलांगना शामिल है। ये 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर काफी समय पहले से यह एक्ट बन चुका है। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। इसके लिए हमारी विधान सभा में पिछले वर्ष ही एक समिति का गठन किया गया है। हालांकि हमारे मुख्य सचिव व वित्त विभाग को इस बाबत लिखा गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा मुख्य मंत्री व

मुख्य सचिव और वित्त विभाग से आग्रह है कि इस पर एक एक्ट लाने की जरूरत है। एक तो हमारे पास पैसों की पहले ही कमी है

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1600/केएस/एजी/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी---

कि इस पर एक्ट लाने की ज़रूरत है। एक तो पैसे की पहले ही कमी है, हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और जो पैसा हमारे पास है, उसका युटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है। यह बहुत गम्भीर बात है क्योंकि हमने तो पंचायतों में देखा है, मैं सभी पंचायतों की बात नहीं करता कि हर जगह दुरुपयोग हो रहा है लेकिन एक पारदर्शिता जो होनी चाहिए वह नहीं है क्योंकि कहीं से इस कमेटी को सहयोग नहीं मिल रहा है। बाकी तो संजय रत्न जी ने तफ़सील में कह ही दिया है, मैं इस पर लम्बी तक़रीर नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त विभाग से, मुख्य सचिव से दोबारा निवेदन करता हूं कि जल्दी से एक्ट बनाएं ताकि पूरी तरह से रेगुलेट हो और इस कमेटी को ताकत मिले और नीचे तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वह पारदर्शी हो, मुझे यही कहना है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.09.2024/1600/केएस/एजी/2

सभापति : अब इस चर्चा में डॉ0 हंस राज जी भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं माननीय सभापति महोदय। जो एक महत्वपूर्ण चर्चा माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और कुलदीप सिंह राठौर जी लाए हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं क्योंकि यह पूरे सिस्टम से, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे इन्होंने भी चिंता ज़ाहिर की, हमारे यहां विधान सभा में जितनी भी कमेटियां बनी हैं, सभी माननीय सदस्य किसी न किसी कमेटी में विभाजित हैं और उसमें अपना काम भी करते हैं। सभापति जी, आप स्वयं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सभापति हैं और आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें चलती भी हैं। इसी तरह से हमारी एक लोकल फंड कमेटी बनी है जिसमें हमारे सभापति माननीय संजय रत्न जी हैं। इन्होंने बहुत सारे विषयों

पर डिटेल में चर्चा की। इन्होंने कहा कि विधान सभा को सारी चीजों से अवगत ही नहीं करवाया जाता। पंचायती राज या लोकल संस्थान किस लैवल पर ऑडिट करवाते हैं या इन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों की चर्चा की, पंचायती राज पर चर्चा हुई । सरकार की तरफ से इनको जितने भी फंड्ज़ दिए जाते हैं, कोई भी उस तरीके से उत्तरदायी नहीं है। थाड़ा सा सी.ए.का ऑडिट करवाया और उसको अपने विभाग के माध्यम से भेज दिया और जितने भी पैरे लगते हैं, उनको कैसे सैटल करना है, इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना ही निवेदन है कि जैसे हमारी लोकल फंड कमेटी है, अब विधान सभा में हम लोगों ने ही उसको कंस्टीट्यूट किया हुआ है। उसमें बहुत सारे माननीय सदस्य और सभापति सारा जितना बिजनैस है, उसको हम डिस्कस भी करते हैं लेकिन जो-जो चीजें जिन विभागों से मांगी जाती हैं या जितनी रिपोर्ट्स उनसे मांगी जा रही हैं, अभी तक भी इस कमेटी को उस तरह से गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करुंगा कि एक बार इस विषय को गम्भीरता से लेने की ज़रूरत है क्योंकि मैं देख रहा था, बहुत सारे ऐसे मैटर्ज़ हैं, जैसे पंचायती राज का इन्होंने सिरमौर का तो ज़िक्र कर ही लिया, इसमें तो हमने सैक्रेटरी पंचायती राज और डायरैक्टर को बुला ही लिया था, उनका ओरल हुआ था लेकिन मैं एक चंबा का बहुत बड़ा वृतांत आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारी एक सनवाल पंचायत है।

03.09.2024/1600/केएस/एजी/3

मैं स्वयं बड़ा विचलित हुआ जब उनका हमने सारा डाटा लिया। हालांकि उस पूर्व प्रधान पर, अभी सीटिंग प्रधान तो कोई और है लेकिन अभी भी वही चला रहा है। वहां डी.सी. के पास उनका सारा का सारा कच्चा चिट्ठा है। लगभग 1.47 करोड़ रुपये का घपला है, सरकार ने 90 लाख तो माना हुआ है। उसको कई बार उस सम्बन्ध में चिट्ठियां भी जा चुकी हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि डी.सी. ऑफिस, ए.डी.एम. ऑफिस या

डी.पी.ओ. ऑफिस से सरकार तक वह चीज़ ही नहीं पहुंची है। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि हमें अब इस तरफ सोचने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मनरेगा पंचायतों के माध्यम से इम्पलीमेंट हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में खर्च हो रहा है। इन पर हमारा किसी तरह का कोई चैक नहीं है। जिस तरह से पालमपुर युनिवर्सिटी में दो-दो, ढाई-ढाई करोड़ रुपये के गेट ही बन रहे हैं, उस फंड का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चम्बा में मिंजर मेला हुआ। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि उसके लिए वहां पर आपने कितना फंड जनरेट किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ? इन्होंने बताया कि एक कलाकार को 22-22 लाख रुपये दिए गए,

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी---

03.09.2024/1605/av/ag/1

डॉ0 हंस राज------जारी

और हिमाचल के कलाकारों को सवा लाख रुपये या लाख रुपये में ही निपटा दिया गया। मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है कि जो लोकल फंक्शन होते हैं, उसमें चाहे मण्डी की शिवरात्रि, चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला, कुल्लू का दशहरा या दूसरे टैम्पल्ज इत्यादि में अगर हम रेगुलटरी लगाते हैं। उसमें स्टेट ऑडिट होना चाहिए ताकि यूजर्स चार्जिज जो हम एकत्रित कर रहे हैं उनका क्या किया जा रहा है, उसका कम-से-कम पता लग सके। मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी विधान सभा की लोकल फण्ड कमेटी को सीरियसली लिया जाए और जिस प्रकार से पी0ए0सी0 अपना काम कर रही है वैसे ही उसको भी एनफोर्स करने की जरूरत है। हमारा जो स्टेट लैवल का ऑडिट डिपार्टमेंट है जोकि अन्य विषयों पर पैराज बनाकर रखते हैं। फिर सारे विषय विधान सभा में आते हैं उनको सोर्टआउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए।

मैं भी माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा लाए गए विषय में अपने आपको सम्माहित करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी चर्चा में भाग लेंगे।

03.09.2024/1605/av/ag/2

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, आदरणीय श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा नियम-130 के अंतर्गत लाए गए प्रस्ताव कि राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।

इस प्रस्ताव के अंतर्गत मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कसौली से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 2500 सदस्य हैं। इसमें कुछ लोगों की मोनोपली है और उन्होंने खुद ही ऑडिट किया है जिसमें मेरे ख्याल से करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। वह इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें सही तरीके की ऑडिट सबमिशन्ज उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से हमारे कुमारहट्टी में कलोगड़ा सोसाइटी है, उसमें भी इसी प्रकार का घपला हुआ है। उसमें काम दिखाया गया है और एक दिन में एक ट्रक चार सौ चक्कर मिट्टी के डंम्पिग करके आया। हमारे सामने जब इस प्रकार की बातें या करप्शन्ज आती हैं तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ऑडिट की नज़र होनी चाहिए। वहां सुबाथू में जो 2500 लोग सफर कर रहे हैं, इसमें दो-तीन लोगों की मोनोपली है और इस बारे में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। हमने अपने स्कूल्ज, कॉलेजिज और यूनिवर्सिटीज में भी पाया है कि बिल्डिंग तथा टूअर्स फण्ड के नाम पर बहुत सारे पैसों का मिसयूटिलाईज होता है। यहां पर जैसे कहा गया कि कई यूनिवर्सिटीज में बड़े-बड़े गेट लगाए जा रहे हैं। उसकी कॉस्ट को अगर चैक किया जाए तो आपको पता चलेगा कि पैसों का किस प्रकार से मिसयूज़ हो रहा है। इस पर हमें अंकुश लगाने की जरूरत है। मैं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं कि

आपने सदन के अंदर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है और आशा करता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जहां-जहां पर इस प्रकार के घपले हुए हैं उसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार और वित्त विभाग को इसको आगे दुरुस्ती के लिए विधान सभा के पटल पर भेजना चाहिए। इस प्रस्ताव को सदन के अंदर लाने के लिए मैं अपने सीनियर लीडर्ज का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1610/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री केवल सिंह पठानियाः आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय श्री संजय रत्न और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे के बारे में प्रस्ताव रखा है। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने सही कहा कि चाहे मेले, मन्दिर, सहकारी समितियां और स्टूडेंट वेलफेयर फंड का पैसा हो, हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां 2-3 करोड़ रुपया पी0टी0ए0 का इकट्ठा होता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हिज एक्सीलेंसी कॉलेज संजौजी और प्रदेश के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं जिनमें 6-7 हजार से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं, वहां पर स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है। एनुअल फंक्शन के लिए तीन आदमी की कमेटी बनती है और पी0टी0ए0 के अध्यक्ष को एनुअल फंक्शन में धाम दी जाती है। आजकल बच्चे पढ़ते ही कहां हैं? बड़े-बड़े परिवारों के बच्चे कान्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई बी0सी0एस0, और स्टीफन स्कूल में जा रहा है, कोई नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में जा रहा है और कोई चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी में जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वेलफेयर फंड से एनुअल फंक्शन पर रेज्योल्यूशन आता है। वहां पर जो डी0डी0ओ0 होते हैं वे पहले ही पैसा बांट लेते हैं और लॉस्ट में पी0टी0ए0 के अध्यक्ष को शॉल-टोपी डाल दी जाती है। इस तरह से 3-4 लाख रुपया एनुअल फंक्शन पर खर्च किया जाता है। एक कॉलेज ने 2.50 लाख रुपये एनुअल फंक्शन पर खर्च किए गए हैं। माननीय

सदस्य श्री हंस राज जी ने ठीक कहा कि मेला कमेटीज तो उपायुक्त की डी0जी0 है, वे जहां चाहे जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते हैं। जबकि वह पैसा प्रदेश की जनता का है। हमारे जितने भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं वे जिलाधीश के द्वारा ही संचालित होते हैं। उनके ऊपर कोई भी कमेटी नहीं होती है कि कौन आदमी आएगा और किस रेट पर आएगा? मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि आई0टी0आई0, शाहपुर में पी0टी0ए0 का 7.50 करोड़ रुपया था उससे इनोवा गाड़ी खरीदी गई। ऐसे गाड़ी खरीदनी हो 20 प्रकार के ऑब्जेक्शन लगाते हैं लेकिन उस शाहपुर की आई0टी0आई0 कमेटी के पैसों से 14 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी गई। यहां गरीब आदमी को नौकरी देनी हो तो प्रश्न लगेगा, rule is this. एल-1 का 9 लाख रुपया आया जिसका आई0एम0सी0 कमेटी

03.09.2024/1610/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

में टेंडर हुआ और जब ज्वाइंट डायरेक्टर की मैंने रिव्यू मीटिंग ली तो पता चला कि 14 लाख रुपये की गाड़ी आई0टी0आई0 के प्रिसिंपल ने ली है। उसका भी मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा। इस तरह से और जगह भी अनियमितताएं हुईं हैं। इसलिए उस आई0टी0आई0 की इंक्वायरी होनी चाहिए। उस आई0टी0आई0 की स्ट्रेंथ 6500 है और हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी कोई आई0टी0आई0 नहीं है। इसमें जो टीचर रखे गए वे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते थे और उनको 6 साल तक आई0टी0आई0 मैनेजमेंट कमेटी से पेमेंट होती रही। मैं चाहूंगा कि इस शाहपुर आई0टी0आई0 में जो 6-7 करोड़ रुपये का मिसयूज हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए। इसी तरह से ब्रजेश्वरी, चामुण्डा, ज्वालामुखी मंदिर और अन्य सभी मंदिरों में हम स्थानीय निधि लेखा समिति के साथ 6 जिलों में गए। बिलासपुर में नगर पंचायत, बिलासपुर के पास 3.43 करोड़ रुपये की एफ0डी0 है। यह जो एफ0डी0 का मामला है यह मिली-भगत है। मैं सदन के नेता को बताना चाहता हूं कि बिलासपुर में स्थानीय निधि लेखा समिति के 5 मेंनेडेट की 2.44 करोड़ रुपये की एफ0डी0 और मण्डी के अंदर 7.44 लाख रुपये की एफ0डीज0, पालमपुर एम0सी0 और यूनिवर्सिटी की एफ0डी0 को मिलाकर 2.64 करोड़ रुपये की एफ0डीज0 हैं और इसी तरह से

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-09-2024/1615/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री केवल सिंह पठानिया ----- जारी

धर्मशाला और चम्बा में लगभग 125 करोड़ रुपये की एफ0डीज0 और टेंपल्ज की 140 करोड़ रुपये की एफ0डीज0 यानी कुल मिलाकर 265 करोड़ रुपये की एफ0डीज0 हैं। मैं इन एफ0डीज0 के स्टेट्स के बारे में जानना चाहता हूं। वैसे तो वित्त विभाग हर जगह ऑब्जैक्शन लगाता है। आप वर्ष 1982 की एफ0डी0 देंखे। मेरे पास पूर्व सरकार के पत्र हैं जिसमें प्रधान सचिव, शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार कह रहा है कि आप एच0डी0एफ0सी0 बैंक में अकाउंट खोलें। प्रिंसीपल्ज को पत्र लिखे जा रहे हैं कि आप आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में अकाउंट खोलो। इसी तरीके से ए0पी0एम0सी0 को भी पत्र लिखे जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक वाले अधिकारियों को मिलते हैं और ये पत्र जारी कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमेटी बनी है तो मैंने वहां भी यह बात रखी है। वित्त विभाग की सोच देखो कि मियां काहन सिंह जो जलाड़ी के रहने वाले थे, उन्होंने दिनांक 17 मार्च, 1920 में 5 राजपूत इकट्ठे हुए और सोचा कि हम बैंक बनाएं। आर0बी0आई बैंक भी बाद में आया। वर्तमान में हम जिसे के0सी0सी0 बैंक कहते हैं, यह मियां काहन सिंह जी की देन है। वर्ष 1920 में यह राजपूतों का बैंक था। लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके उस बैंक की स्थापना की और धीरे-धीरे यह बड़ा बैंक बनता चला गया। हिमाचल प्रदेश में यह ऐसा बैंक है जो एफ0डीज0 के ऊपर 7.1 प्रतिशत, आधा प्रतिशत एम0डी0 के पास और 1 प्रतिशत ब्याज बोर्ड के पास होता है। यह इकलौता बैंक है जो एफ0डी के ऊपर 8.30 प्रतिशत ब्याज देता है। मैंने इससे संबंधित प्रश्न भी लगाया है और जब इसका जवाब आएगा तो मैं सदन के नेता से जानना चाहूंगा कि विभागों की मेक्सिमम एफ0डीज0 कहां हैं? मैंने एफ0डी0 और गाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछा है लेकिन इस प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में लगाया है। मैंने यह प्रश्न तीसरी बार लगाया है। सभापति महोदय, विभागों की मेक्सिमम एफ0डीज0 एच0डी0एफ0सी0 और आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकों में हैं। जहां 6.60 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। वर्ष 1954 में हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव बैंक बना। इसका इंटरेस्ट रेट 7.40 प्रतिशत है लेकिन सभी विभागों की 99 प्रतिशत एफ0डीज0 प्राइवेट बैंकों में हैं। करुणामूलक आधार पर नौकरी का मामला आ जाए या कोई ऐसा बिल

आ जाए तो उसके ऊपर इन्कवायरी करते हैं। ए0पी0एम0सी0, कांगड़ा की 35 करोड़ रुपये की एफ0डी0 है और पिछले 16

03-09-2024/1615/एन0एस0-ए0एस0/2

सालों से है और जवाब अतारांकित में आता है। हम सब विधायक कल शाम को इकट्ठे बैठे थे और जो हम विधान सभा में प्रश्न लगाते हैं उसके मैनडेट को चेंज किया जाए। ऑन लाइन यानी गूग्गल के माध्यम से सूचना अलग आती है और विधान सभा से अलग आती है। मैं कल जब इस पर चर्चा करूंगा तो विद रेफरेंस दूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आउंगा। पूछा कुछ होता है और जवाब कुछ आता है। इसका मतलब है कि तालमेल कहीं-न-कहीं तो है।

सभापति महोदय, 10 करोड़ रुपये की एफ0डी0 के0सी0सी0बी0 और एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा की है। मैं कहता हूं कि इसमें 15 से 25 लाख रुपये एक साल का ब्याज आता है। आपके पास पूरे प्रदेश में लगभग 2000 करोड़ रुपये की एफ0डीज0 हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग क्या देखता है? हम जब कृषि विश्वविद्यालय में गए तो उनकी भी लगभग 3.40 करोड़ रुपये की एफ0डी0 है। इनका मिसयूज कहां होता है? मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1972 में जो लोग पौंग बांध के कारण विस्थापित हुए तो पुडा का पैसा लगभग 18 करोड़ रुपये था। जब हमने रिव्यू लिया तो 8 करोड़ रुपये की एफ0डी0 एच0डी0एफ0सी0 बैंक के पास है। वहां साथ ही के0सी0सी0 बैंक हैं जो 8.30 प्रतिशत ब्याज देता है लेकिन वहां एफ0डी0 नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि रिव्यू कहां हो रहा है? रिव्यू क्या गरीब आदमियों पर होता है, छोटे कर्मचारियों पर होता है या गरीब आदमी को हमने कोई रिलेक्सेशन देनी हो, उस पर होता है। मैं चाहता हूं कि जो यह एफ0डी0 वाला मामला है और इस पर माननीय सदन के नेता का क्रिस्टल क्लीयर उत्तर आएगा कि कितनी एफ0डीज0 हैं और किस ब्याज दर पर हैं, तब पूछूंगा। अधिकारियों की जब फाइल आती है कि exposer visit is there. ये विदेश जा रहे हैं और there is no financial burden मैं बता दूं और मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। उनको कौन लोग स्पाँसर कर रहे हैं? भैया, भूखे पेट पूजा नहीं होती। क्या कोई आपको अमरीका,

इंग्लैंड का विजिट या अन्य देशों का विजिट मुफ्त दे सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि कोई नहीं दे सकता। फिर आता है कि there is no financial burden अंदर खाते आज अधिकारी एच0डी0एफ0सी0 बैंक को चिट्ठी लिख रहे हैं और आज एज ए कर्मचारी **आर0के0एस0 द्वारा** ------**जारी**

03.09.2024/1620/RKS/DC-1

श्री केवल सिंह पठानिया... जारी

पत्र लिख रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी कहीं-न-कहीं malafide intention है। मैंने प्रश्न उठाया कि आई.टी.आई. की गाड़ी सचिवालय में चल रही है। मैं माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 48 घंटो के भीतर वह गाड़ी आई.टी.आई., शाहपुर में पहुंचा दी। इस कार्य के लिए शाहपुर की जनता भी आपका धन्यवाद करती है। वह 14 लाख रुपये की गाड़ी थी। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप स्टूडेंट फंड की भी जांच करवाएं। क्योंकि आई.टी.आई., शाहपुर में जो लोग क्वालिफाइ नहीं थे उन्हें 6 सालों में 45 लाख रुपये की पेमेंट की गई है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि हम राम गोपाल मंदिर, डमटाल का प्रोपर ऑडिट करें तो वहां भी कई घपले सामने आएंगे। वहां पर आजतक 15-18 उपायुक्त रह चुके होंगे। इस मंदिर की जमीन में लगभग 8-9 होटल्स और 6 क्रशर्ज़ स्थापित हैं। इस मंदिर के नाम 15 करोड़ रुपये की एफ.डी. है। इस तरह इस मंदिर के पास लगभग 60 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है। वहां पर स्थापित कर्शर्ज़ से पहले 4 रुपये प्रति फुट बजरी का रेट था लेकिन अब जाकर वह रेट बड़ी मुश्किल से 40-50 रुपये प्रति फुट किया गया है। इस राम गोपाल मंदिर के नाम पर 6 क्रशर्ज़ स्थापित हैं। इस मंदिर की लोकल कमेटी बनी हुई है परंतु इस पर लोकल एकाउंट फंड कमेटी का कोई कंट्रोल नहीं है। राम गोपाल मंदिर की जमीन पर 6 क्रशर्ज़, 14 होटल्स और एक पूरा बाजार स्थापित है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो विधान सभा की समितियां हैं उनकी कार्यवाही को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सभापति महोदय, आप भी पी.ए.सी. के चेयरमैन हैं। जब हम किसी पैरा का जवाब मांगते हैं तो यह उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हम पी.ए.सी. के सभी सदस्य वर्तमान में मरे

हुए लोगों के पैराज को सैटल कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि विधान सभा कमेटियों को गंभीरता से लिया जाए और कमेटियों से संबंधित सारे कार्यों को अपडेट किया जाए। मेरा सरकार से आग्रह है कि मैंने जो बातें यहां रखी हैं उनका जवाब आना चाहिए। क्योंकि यह पैसा न तो हमारा है और न ही आपका, यह पैसा हिमाचल प्रदेश की जनता का है। मैं अभी फोरन विजिट पर भी बात करुंगा। जो मैंने गाड़ियों के बारे में जवाब मांगा था मैं उसे भी लोकल अकाउंट फंड के साथ जोड़ सकता हूं। आपने 'पूडा' और मंदिर ट्रस्ट से गाड़िया खरीदी लेकिन मुझे इन गाड़ियों के खरीदने का कुछ गोलमोल

03.09.2024/1620/RKS/D-2

ही जवाब आया। मुझे ऐसी जानकारी है कि 200 या 250 गाड़ियां एक्सट्रा खरीदी गई है। मैं इस विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। यह एक विधायक संस्थान है और सदन के नेता भी यहां उपस्थित हैं। 15-15, 18-18 गाड़ियां टैम्पल ट्रस्ट की हैं, 'पूडा' की गाड़ी भी वहां पर है। लेकिन दुःख तब होता है जब एक एम.एल.ए. उपायुक्त कार्यालय जाता है या गलती से गाड़ी के लिए फोन कर देता है तो वह कहता है कि 'there is no provision'. लेकिन यह सोचने की बात है कि एक उपायुक्त 6-6 गाड़ियां कैसे यूज कर रहा है? उपायुक्त के पास टैम्पल व 'पूडा' की गाड़ी होती है। वे मेला समितियों द्वारा खरीदी गई गाड़ियां का भी यूज कर रहे हैं। अगर बाई चांस कोई विधायक गाड़ी मांग ले तो वे कह देते हैं 'there is no provision'. उत्तराखंड से चाहे प्रधान सचिव आ जाए उसके लिए गाड़ी का प्रावधान हो जाएगा लेकिन विधायक को गाड़ी का प्रावधान नहीं हो सकता। मैं एयरपोर्ट के साथ रहता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब मुख्य सचिव, असम, और प्रधान सचिव, तेलंगाना आये थे तो उनके लिए गाड़ियों का प्रावधान हो गया। मैं इसकी फोटो भी दिखा सकता हूं। उनका स्वागत करने के लिए तो एस.डी.एम. भी वहां पहुंच गया लेकिन जब कोई एम.एल.ए. वहां जाए तो एस.डी.एम. वहां पहुंचने की हिमायत नहीं करता। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके लिए मंदिर कमेटी की गाड़ियां किस कानून के तहत संचालित की गई? मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था संवैधानिक संस्था के लिए भी होनी चाहिए।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

03.09.2024/1625/बी.एस./ डी.सी-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

राम गोपाल टेंपल का 50-60 करोड़ रुपये का मामला है। सभापति महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, जो नियम-130 के तहत श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ‘राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, बोर्डों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देरी से करने बारे यह सदन विचार करे।’

सभापति जी, मेरे से पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने इस माननीय सदन में इस पर सार्थक एवं बहुमूल्य सुझाव आपके माध्यम से दिए हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मैं पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की आयु लगभग 47 वर्ष की हो गई है। पूरे देश में यदि 80 विश्वविद्यालय हैं तो उनमें से इस विश्वविद्यालय का रैंक 22वां है। इस विश्वविद्यालय में जहां वेटरनरी कॉलेज है, बेसिक सांइस है और होम साइंस है। यानी ऐसा करके यह विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में या मैं यह कह सकता हूं कि इस विश्वविद्यलय का प्राकृतिक खेती के मामले में और बेसिक साइंस के मामले में अपना नाम है और अगर हम इसका 47-48 सालों का बैकग्राउंड देखें तो हजारों विद्यार्थी आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। परंतु यह जो एक महत्वपूर्ण विषय यहां पर भाई संजय रत्न जी और आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी ने प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में मुझे इतना ही कहना है कि विश्वविद्यालय का एक गेट बन रहा है और कुछ दिन पहले काफी अखबारों में खबरें भी छपी थीं। अब ऐसा भी क्या गेट बन गया कि उस गेट का करोड़ों रुपये में निर्माण

हुआ? वहां कोई भी पूछताछ करने वाला नहीं है। इस प्रकार की जो लीकेजिज हैं और इस प्रकार जो उनकी बी.ओ.डी. ने सोच लिया और मोहर लगा दी और विश्वविद्यालय को सुन्दर बनाने के लिए करोड़ों

03.09.2024/1625/बी.एस./ डी.सी-2

रुपये का गेट बन गया। यह ठीक है कि यू.जी.सी. उन्हें ग्रांट देती है परंतु हिमाचल प्रदेश के खजाने से भी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। चाहे वह प्लान एक्सपेंडिचर हो, चाहे वह नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में यह बात रखना चाहता हूं।

दूसरा, पंचायती राज हमारे इस लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है और उस कड़ी में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पैसा अलग-अलग हैड में आता है। वह प्रदेश सरकार का हो, चाहे एन.डी.आर.एफ. की बात हो, चाहे एस.डी.पी. की बात हो, वी.के.वी.एन. की बात हो या फिर विकास में जन सहयोग की बात हो। जिसमें मैं कह सकता हूं कि बैकवर्ड एरिया सब प्लान की बात हो। हम यह कह सकते हैं कि वह पैसा आता तो है परंतु वह पैसा प्रमाणिकता की उस कसौटी पर ठीक नहीं उतरता।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

03.09.2024/1630/DT/HK-1

श्री विपिन सिंह परमार...जारी

हम चुने हुए विधायक लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कहां-कहां नहीं पहुंचते; कहां-कहां अपनी आवाज नहीं उठाते परंतु जो पैसा इसके लिए उपलब्ध होता है उस पैसे का धरातल पर गुणवत्ता के उस तय पैमाने के आधार पर उपयोग हमें नहीं दिखता और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी दिखाई देती है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मुख्यमंत्री जी आपने एक ब्लॉक पालमपुर को भी बना दिया। इसलिए सुलह ब्लॉक अब छोटा हो गया। सुलह विधान सभा क्षेत्र में 80 पंचायतें हैं। परंतु मैं भवारना डवेल्पमेंट ब्लॉक की बात करूं या मैं सुलह डवेल्पमेंट ब्लॉक की बात करूं, वहां पर टेक्निकल स्टाफ की

अत्यधिक कमी है और इस कमी के कारण वहां का काम कछुए की चाल से चला हुआ है। अगर हमने दो लाख रुपये किसी कार्य के लिए दिएं हैं और वह छोटा सा कार्य भी है तो उस कार्य को पूर्ण होने के लिए 18 महीनें लग जाते हैं। यह काम शीघ्र गति से पूर्ण तब होंगे जब हम वहां के बी0डी0ओ0 या अन्य अधिकारियों के पीछे लगेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टेक्निकल स्टाफ व ग्राम सेवक की नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि मनरेगा की धांधलियों में चैक लगे। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर प्लांटेशन के नाम पर लिकेजिज होती हैं। मैं पिछले दिनों पड़ रहा था कि तीसा की एक सनवाल नामक पंचायत में 1 करोड़ 20 लाख रुपये का गबन हो गया। जब ऐसी धांधलियां सामने आतीं हैं तो उपायुक्त उस पर कार्रवाई करने में गुरेज क्यों करते हैं। इस प्रकार का एक मामला नहीं, अनगिनत ऐसे मामले हैं। मनरेगा की हाजिरी लगाने के मामले को लेकर भी बहुत से मामले हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग ब्लॉक में हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर ऑडिट ही नहीं हुए हैं। ऑडिट को अवॉइड कर रहे हैं। मैं यहां पर स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा। हां, आजकल यह जरूर हो रहा है क्योंकि सुलह विधान सभा क्षेत्र में विपक्ष का विधायक है इसलिए वहां से किसी भी योजना के लिए सैंक्शन फंड का पैसा किसी भी विधान सभा क्षेत्र में लेकर के चले जाओ। मुझे नुकसान नहीं है, पर जो लेकर के जा रहे हैं वह अपने वहां पर विकास के कामों को गति दें, नहीं तो लोग अपनी पारखी नजरों के बाद निर्णय स्वयं देते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास खण्डों में टेक्निकल स्टाफ हैं, सेक्रेटरीज हैं, ग्राम सेवक हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं

03.09.2024/1630/DT/HK-2

या अकाउंटेंट हैं उनके पदों को भरा जाना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा अकाउंटेंट है जोकि बिल ही गलत बना देता है, भेजना किसी पंचायत को होता है, भेज किसी और पंचायत को देता है। ...(व्यवधान)

Speaker : Hon'ble Member please address to the Chair.

श्री विपिन सिंह परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेलों की बात हो रही है या जो यह हाइडल प्रोजेक्टस लगें हैं। लाडा की बात करते हैं, सी0एस0आर0 की बात करते हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारी क्या इस संबंध में कोई जानकारी लेते हैं? आपके चम्बा जिला में जो रावी बेसिन है वहां पर लगभग 19 हाइडल प्रोजेक्टस हैं। लाडा भी लगता है सी0एस0आर0 भी लगता है। जो ये विषय हमारे साथी श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी लेकर आएं हैं कि यहां पर इस माननीय विधान सभा में भी इन सारे विषयों को ऑडिट के रूप में प्रस्तुत किया जाये क्योंकि यहां पर इनका कोई ऑडिट नहीं है तीन-चार साल तक कोई जानकारी नहीं है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03-09-2024/1635/एच.के.-एन.जी/1

श्री विपिन सिंह परमार.....जारी

और जो हाइडल प्रोजैक्ट को चलाने वाले हैं उनमें से कुछ तो कहते हैं कि हम हैदराबाद के हैं, कुछ कहते हैं कि सिकंदराबाद के हैं। कुछ अपने आप को लाइज़िनिंग अफसर कहते हैं, मालूम नहीं किसके साथ उनका लाइज़न होता होगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 9 मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं 8 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य 8 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं और तब तक तो अगला विषय चला जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि 5 बजे तक दूसरा विषय भी इंटरड्यूज़ हो जाए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितने भी मेले होते हैं तो उनके लिए स्कूल के बच्चों से भी कलैक्शन की जाती है। वहां पर जो प्रोफेशनल कॉलेजिज़ हैं उनसे भी कलैक्शन की जाती है। व्यापारियों से भी कलैक्शन की जाती है। किस गायक व कलकार को कितना पैसा दिया गया वह केवल शब्दों में बताया जाता है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है कि इस माननीय सदन में इन सभी का वार्षिक प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए और इसे करने की जरूरत भी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई श्री केवल सिंह पठानिया जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है कि कांगड़ा सैंट्रल कॉप्रेटिव बैंक को किस प्रकार से कुछ लोगों ने मिलकर चलाया था। लेकिन आज कांगड़ा सैंट्रल कॉप्रेटिव बैंक में एन.पी.ए. बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये ले लिए और हम उनके बारे में पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। जब वे किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो बड़ी सुंदर टाई, कोट पहने होते हैं और उनका अंदाज भी कुछ अलग ही होता है। उनका perfume ही पूरे माहौल को अच्छा बना देता है। जब हम उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि उसने बैंक से 35 करोड़ रुपये लिए हैं और 35 पैसे भी वापिस नहीं दिए। यह हाल पालमपुर का भी है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति व कारोबारी हैं

03-09-2024/1635/एच.के.-एन.जी/2

जिन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन वापिस नहीं किए। मेरे पास ऐसे लोगों की एक लम्बी सूची है। विभिन्न सरकारों ने One Time Settlement का अभियान चलाया है ताकि मूल पूंजी ही प्राप्त हो जाए। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होने चाहिएं। उन्होंने किस उद्योग के लिए पैसे लिए यह भी सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने नालों में प्रोपर्टी को pledge करवा दिया है। वह प्रोपर्टी किस तहसीलदार ने pledge कर दी, इसका भी पता करना चाहिए। उसकी मार्किट वैल्यू भी बहुत थोड़ी होती है लेकिन उसकी एवज में करोड़ों रुपये ले लिए गए। वे सारे पैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं और कांगड़ा सैंट्रल कॉप्रेटिव बैंक में यदि हालात इसी प्रकार के चलते रहे तो यह बैंक कहीं बंद होने की अवस्था में न आ जाए। मुख्य मंत्री जी इसके सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और मेरा मानना है कि आप इस दिशा में अवश्य कार्रवाई करें। बड़े-बड़े मगरमच्छ, जिन्होंने लोन लिए हैं, उनका पर्दाफ़ाश होना चाहिए। उनका अख़बारों में भी नाम आना चाहिए। वे लोग समाज में बड़े साहूकार बने हुए हैं लेकिन हमारे गरीब व किसान, ग्रामीण परिवेश के लोग और कांगड़ा के हज़ारों सैनिक भाइयों ने यहां पर पैसा जमा करवाया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के हालात हमारी Agricultural Cooperative Societies के भी हैं। मैं उनके नाम भी दे सकता हूं। 6 साल हो गए हैं और उनका कोई भी ऑडिट नहीं हो रहा है। गरीब लोगों ने अपनी जमा पूंजी, 10-15-20 हज़ार रुपये जमा करवाई हुई है और आज तक उन्हें अपना पैसा वापिस प्राप्त नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष रखने के लिए मेरे पास बातें बहुत हैं। यहां पर जो विषय निजी व सरकारी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, सहकारी सभाएं, कृषि विश्वविद्यालय व अन्य विद्यालयों, निगमों, बोड्र्स आदि के संदर्भ में लाया गया है तो इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि इनका जो भी ऑडिट होता है उसकी रिपोर्ट को समयावधि में इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया जाए ताकि मालूम पड़ सके कि कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे और इनके उत्तर के साथ ही यह चर्चा समाप्त हो जाएगी।

मुख्य मंत्री....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

03.09.2024/1640/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री संजय रत्न और कुलदीप सिंह राठौर जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया, डॉ0 हंस राज, विनोद सुल्तानपुर, केवल सिंह पठानिया और विपिन सिंह परमार जी ने उस चर्चा में भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ नेता श्री विपिन सिंह परमार जी से शुरू करता हूं क्योंकि आपने बैंकिंग से सम्बन्धित काफी बातें कही हैं। यह जो लोकल ऑडिट के बारे में प्रस्ताव हैं, आपसे स्टार्ट करके मैं इस पर आऊंगा। यह बिल्कुल सही है कि कांगड़ा कॉप्रेटिव बैंक में जिस प्रकार से लोन का आबंटन हुआ, करोड़ों रुपये के लोन लिए गए। मुझे पिछली बार का याद है कि 35 प्रतिशत के करीब उनका एन.पी.ए. था । उस सम्बन्ध में एम.डी. और चेयरमैन साहब से मेरी चर्चा हुई। अब 7 प्रतिशत के लगभग एन.पी.ए., लोन कम हुआ है लेकिन कई लोगों द्वारा 20 करोड़, 30 करोड़ और 35 करोड़ रुपये के लोन लिए गए और लोन की प्रक्रिया तोड़-मरोड़ कर पेश की गई। ऐसी परिस्थितियों में बैंक फिर भी प्रोफिट कमा रहे हैं लेकिन जो डिफाल्टर हैं, जैसे विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि जो बड़ा लोन लेते हैं, दिखाते कुछ और कार्य हैं, करते कुछ और हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, इस विषय पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और जितना सम्भव होगा, इन चीजों को

रोकने की हम कोशिश करेंगे। 20 महीने पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर था, उसमें और सुधार करेंगे। माननीय विपिन सिंह परमार जी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी सहायक नहीं हैं, अन्य स्टाफ नहीं है, **इन्हीं चीजों के लिए तो हमने व्यवस्था परिवर्तन करना है और मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज में जहां भी कर्मचारियों की कमी है, विभाग से रिक्त पदों की पोजीशन मंगवाई जाएगी और उस पर आगे गौर किया जाएगा।**

अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट कॉप्रेटिव बैंक की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा कि वे अपने कर्मचारियों और बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज़ को देते बहुत कम हैं परंतु 48 करोड़, 40 करोड़ और 20 करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स दे देते हैं। जो इन्कम टैक्स बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ देते हैं, मैने कहा कि तुम अपने अधिकारी/कर्मचारियों को डी.ए. और एरियर भी दो। आप इन्कम टैक्स क्यों दे रहे हैं? अपने बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के सदस्यों का मानदेय भी बढ़ाएं क्योंकि खर्चे में शो होगा। परंतु हमारे स्टेट कॉप्रेटिव बैंक की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि पूरे हिंदुस्तान के स्टेट कॉप्रेटिव बैंकों में

03.09.2024/1640/केएस/एचके/2

से वन ऑफ द बैस्ट स्टेट कॉप्रेटिव बैंक हमारा है। जो भी प्रोफिट करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वह अगर अपने कर्मचारियों को डी.ए. देना चाहती हैं, एरियर देना चाहती हैं और जो अपने खर्चे कम करना चाहती हैं, कई बार तो चार-चार करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स हमारी कॉर्पोरेशन्ज़ दे रही हैं। फूड कॉर्पोरेशन भी दो करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स दे रही है। एस.आई.डी.सी. कॉर्पोरेशन भी इन्कम टैक्स दे रही है। डी.आई.सी. भी इन्कम टैक्स दे रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इन्कम टैक्स दे रहा है। सिर्फ जो हमसे 2200 करोड़ रुपये ले रहा है, वह है बिजली बोर्ड। ये जो इंस्टीट्यूशन्ज़ हैं, इनकी सैलरी तो ये निकाल चुके हैं। सिर्फ सरकारी विभागों की जो सैलरी की बात है उसमें थोड़ा सा ट्रेज़री के सिस्टम को हम सही कर रहे हैं। यह कोई आर्थिक मैस नहीं है। ट्रेज़री के सिस्टम को हमें सही करना है जिसके बारे में मैं कल एक वक्तव्य भी दूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ अच्छा काम करते हैं, वे नॉन ऑफिशियल मैम्बर्ज़ को, अपने

चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अगर अच्छी सैलरी देना चाहते हैं, अपने कर्मचारियों को भी अगर डी.ए. का पूरा एरियर देना चाहते हैं, इन्कम टैक्स न देकर कर्मचारियों का डी.ए. और एरियर दे दिया जाए, इस बारे में सरकार पूर्णतः विचार करेगी।

जो विषय माननीय सदस्य श्री संजय रत्न और कुलदीप सिंह राठौर जी ने रखा कि राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जिन संस्थानों में लोकल रेज़िडेंट ऑडिट स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और जिन संस्थानों का ऑडिट किया जा रहा है, उनसे सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित न करने या देर से करने बारे यह सदन विचार करें, अध्यक्ष महोदय, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लोक रेज़िडेंट ऑडिट स्कीम और जिन संस्थानों का ऑडिट किया जाता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.09.2024/1645/av/yk/1

मुख्य मंत्री------जारी

अध्यक्ष महोदय मामले का तथ्य इस प्रकार हैं :-

उनसे संबन्धित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संबन्धित प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उन वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने बारे संबन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य लेखा परीक्षा विभाग को कोई सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध नहीं करवाई जाती।

अध्यक्ष महोदय, Local Resident Audit Scheme से संबन्धित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संबन्धित प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किए जाने की वर्तमान स्थिति संलग्न परिशिष्ट-1 पर दी गई है जोकि इस प्रकार से है :-

परिशिष्ट -1

Sr No	Name of Resident Audit Scheme	Years for which the Accounts are presented for certification	Date of submission of the accounts to audit	Latest audit report issued	Date of issue to the Administrative Department.	Allotted vide Act/Letter No./Notification/Instructions
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	HP Board of School Education Dharamshala, Distt Kangra(H.P.)	2023-2024	08-07-2024	2021-2022	29.08.2023	Under Section 48(2)-A of the H.P. Board of School Education Act, 1968
2	Dr. YS Parmar University of Horticulture & Forestry Nauni, Distt Solan(H.P.)	2021-2022	23.07.2024	2020-2021	08.04.2024	Section 45(3) of the H.P. Universities of Agriculture Hort. & Forestry Act read with the provision contained under section 13.2 of the University's Statutes framed there under
3	Chaudhary Swaran Kumar Agriculture University Palampur, Distt Kangra(H.P.)	2021-2022	03-11-2023	2020-2021	19.03.2024	Under Section 45(3) of the H.P. Universities of Agriculture Hort. & Forestry Act read with the provisions relating to audit contained in University's Statutes framed there under
4	Himachal Pradesh University, Shimla(H.P.)	2019-2020 & 2020-2021	20-06-2024 revised submitted on 13-02-2024 & 21-03-2024	2018-2019	18.10.2023	Under Section 29(1) of the H.P. University Act, 1970
5	Sardar Patel University Mandi	20.06.2019 to 31.03.2022	14.07.2022	2019-2022	19.09.2022	Vide notification No. 1-77/70-Fin(LA)-Vol-7 part,-8121-8129, dated 19.12.2019
6	Atal Medical and Research University Ner Chowk Mandi	2021-2022 & 2022-23	21.05.2024	2022-2023	18.07.2024	Vide notification No. 1-77/70-Fin(LA)-Vol-7part,-8121-8129, dated 19.12.2019
7	HP Technical University Hamirpur	2021-22	25.04.2023	2021-2022	03.08.2023	Vide notification No. 1-77/70-Fin(LA)-Vol-7part,-8121-8129, dated 19.12.2019

8	HP State Agriculture Marketing Board, Shimla(H.P.)	2020-2021	01-07-2024	2019-2020	20.04.2022	U/S 48(2) Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development And Regulation) Act, 2005.

अध्यक्ष महोदय, जो भी लोकल रिपोर्ट होती है वह चाहे एच0पी0यू0, होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी या दूसरे विभागों की हैं, उनका ऑडिट हमारा लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। वह 9 महीने के अंदर-अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास भेजनी होती है और उसके बाद वह वित्त विभाग के पास आती है। विधान सभा कमेटी में तो बाद की बात है, वह 9 महीने बीत जाने के बाद दी ही नहीं गई है। यहां पर सभी सदस्यों ने ठीक ही कहा कि ऑडिट कहां से होना क्योंकि समिति के पास तो 8-10 साल पुरानी रिपोर्ट आती है। मैं यहां पर एच0पी0यू0 का उदाहरण देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने एक्ट में यह प्रोविजन किया हुआ है कि वे लोकल ऑडिट करवाएंगे और 9 महीने के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को रिपोर्ट देंगे तथा उसके बाद वह वित्त विभाग के पास आएगी। उसके पश्चात उस प्रतिवेदन की कॉपी वित्त मंत्री के माध्यम से विधान सभा सचिवालय में आ जाती है। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत होता है क्योंकि सरकार के पास पहुंचने में ही 6-7 साल लग जाते हैं। यहां पर जिस गेट की बात और लोकल फण्ड से गाड़ियां खरीदने की बात हो रही है, उनके बारे में तब पता चलता है जब वे गाड़ियां कंडम हो चुकी होती हैं। इस बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है क्योंकि यह समय के अनुसार होना चाहिए। अब वह समय नहीं है कि 10-15 वर्षों के बाद रिपोर्ट भेजी। कई बार तो रिपोर्ट आने में 20-20 साल लग जाते हैं। मैं अंदर सुन रहा था जब माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी बोल रहे थे कि

03.09.2024/1645/av/yk/3

इसके बारे में एक्ट बनाना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर विषय है। श्री संजय रत्न जी इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं तथा यहां पर इस विषय के संदर्भ में जो अभी बोले हैं वे लगभग सभी इसके सदस्य हैं। ये लोग अब जब कमेटी के अंतर्गत उस रिपोर्ट को देखते होंगे तो उसमें सारी चीजों का पता चलता है। यहां पर माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी और श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने जो विषय रखा है तो **सरकार इस बारे में एक्ट बनाने के संदर्भ में गंभीरता से विचार करेगी।**

यह एक्ट अन्य 15 राज्यों में बना हुआ है। उसमें केरल,उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि हैं और उन्हीं की तर्ज़ पर **हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग में भी मामला एक्ट बनाने बारे विचाराधीन है जो शीघ्र ही विधान सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।** हम इस एक्ट को बनाने बारे विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस दिशा में हमें कैसे आगे बढ़ना है, **हम इस बारे में विचार करेंगे।** कई बार तो कॉर्पोरेशन्ज और बोड्र्ज इत्यादि में कितने इम्प्लॉईज होने चाहिए, यह भी सरकार को पता नहीं होता जबकि बोड्र्ज/कॉर्पोरेशन्ज उनको अपने हिसाब से रख लेते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बहुत ही गंभीर है। मैं भी जब किसी कमेटी का सदस्य होता था तो उसमें 10-12 साल पुरानी रिपोर्ट डिस्कस होती थी। लेकिन इनके एक्ट में ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट करवाकर 9 महीने के अंदर-अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन सरकार को 9 महीने तो क्या वह रिपोर्ट 9-9 साल तक नहीं आती और फिर वह वित्त विभाग देखता है। उसके पश्चात उसकी कॉपी विधान सभा सचिवालय में लाई जाती है। हमारी सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करेगी और मैं माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, श्री विपिन सिंह परमार जी, डॉ0 हंस राज और श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने जो सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार बैंकों को लूटा जा रहा है। **कई लोग नकली जगह दिखाकर बैंकों से लोन ले रहे हैं, हमारी सरकार ऐसे लोन्स पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करेगी, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। हम निश्चित तौर पर लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट को भी बोलेंगे कि इन मामलों के संदर्भ में विधान सभा की कमेटीज द्वारा पूछे गए सवाल को गंभीरतापूर्वक लें। धन्यवाद।**

अध्यक्ष टी सी द्वारा जारी

03.09.2024/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

अध्यक्ष : इससे पूर्व कि मैं अगला विषय चर्चा हेतु लूं, आज भी और लगभग हर दिन नियम-323 का उल्लेख करते हुए बहुत-सारे हाथ उठते हैं यानी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर और प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का स्कोप बहुत लिमिटिड है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका चर्चाओं के बजाय माननीय सदन में उल्लेख किया जाए तो एक मिनट के अंदर उनका निष्पादन हो

सकता है। इसलिए विषय की गंभीरता को समझते हुए, अभी भी बहुत-सारे माननीय सदस्य मुझे चैंबर में मिले कि मैंने नियम-61, 62 और 63 में विषय दिए हैं, आप उसको चर्चा हेतु लगा दें। हम कोशिश करेंगे कि वे सारे विषय जो आपने दिए हैं, वे चर्चा हेतु सदन में लगें लेकिन कल से I am permitting the Zero Hour after the Question Hour for half an hour whereby very-very important questions can be taken up और जो भी माननीय सदस्य उस पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा, विभाग उसका संज्ञान लेगा। That should be very crisp and short and no speeches. The Zero Hour we are starting from tomorrow after the Question Hour from 12.00 to 12.30 pm. Thank you.

अब एक और चर्चा है जो माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने इस माननीय सदन में निमय-130 के अंतर्गत यहां लाई है। मैं श्री जीत राम कटवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे। इस पर कोई मतदान नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद यह चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब केवल मात्र 7-8 मिनट का समय शेष बचा है। मैं श्री जीत राम कटवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें, अगर वे अपनी बात समाप्त कर सके तो ठीक है, नहीं तो यह विषय कल के लिए चर्चा हेतु लिस्ट हो जाएगा।

03.09.2024/1650/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इस विषय को कल के लिए लिस्ट किया जाए।

अध्यक्ष : अगर सदन की इजाजत है तो इस विषय को कल टेकअप करेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2024 के 11.00 बज़े (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 03 सितम्बर, 2024 **सचिव ।**